राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] तेरहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का तैंतालीसवां दिवस [संख्या : 12

सोमवार,

9 अप्रैल, 2012

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

मेवाड़ क्षेत्र के किसानों हेतु ऋण माफी नियमों में संशोधन

210. **श्री हरिसिंह रावत** (भीम): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मेवाड़ में किसानों को कृषि ऋण गंगानगर की भौगोलिक कृषि की स्थिति के हिसाब से दिया जाता है तथा ऋण माफ भी इसी आधार पर किया जाता है? यदि हां, तो इसके क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गंगानगर की भौगोलिक स्थिति तथा मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति में काफी अन्तर है और कृषि भूमि में भी काफी अन्तर है जिससे मेवाड़ में गंगानगर की अपेक्षा कृषि छोटे-छोटे टुकड़ों में की जाती है? क्या सरकार मेवाड़ के किसानों को ऋण माफ करने के लिये अपने नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री परसादीलाल): (1) किसानों को कृषि ऋण, जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा कृषक के पास उपलब्ध भूमि की जोत तथा उसमें बोई जाने वाली फसल की लागत ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

सहकारिता मंत्री (श्री परसादीलाल): ...के आधार पर, फसलवार निर्धारित वित्त सीमा के अन्तर्गत दिया जाता है। उदयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, उदयपुर द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में फसली ऋण के फसलवार मानदण्ड प्रचलित किये जाने सम्बन्धी आदेश दिनांक 15.03.2011 की प्रतिलिपि परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, प्रश्न काल में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं।

सहकारिता मंत्री (श्री परसादीलाल): ऋण माफी केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/नाबार्ड द्वारा समय-समय पर जारी योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार ही की जाती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। कोई व्यवधान नहीं प्रश्न काल में। कृपया प्रश्न काल को शांतिपूर्ण ढंग से चलने दीजिए। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

सहकारिता मंत्री (श्री परसादीलाल): (2) ऋण माफी केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार/नाबार्ड द्वारा समय-समय पर जारी योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार ही की जाती है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य।

सहकारिता मंत्री (श्री परसादीलाल): वर्तमान में ऋण माफी की कोई योजना प्रभावी नहीं है तथा इस सम्बन्ध में भविष्य में जारी होने वाली योजनाओं में संशोधन भारत सरकार स्तर पर ही सम्भव है। (व्यवधान)

(प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

सदन कूप में

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश एवं उनके द्वारा अपने मोबाइल फोन सचिव, विधान सभा एवं माननीय अध्यक्ष की मेज पर रखे गये)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

सदन की कार्यवाही 1 घण्टे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.05 बजे 12.05 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(12.05 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

सदस्य की गिरफ्तारी

राजेन्द्र राठौड़, श्री, सदस्य की गिरफ्तारी

श्री अध्यक्ष: विधान सभा के सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि उप महानिरीक्षक, पुलिस, सीबीआई/एससी-2/नई दिल्ली, कैम्प जयपुर ...(व्यवधान) आसन पांवों पर (व्यवधान) फैक्स मैसेज दिनांक 5 अप्रैल, 2012 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य, राजस्थान विधान सभा को अभियोग संख्या आरसी 2 एस/2010/एससीयू-वी/एससी-2/सीबीआई/न्यू डेल्ही में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अन्तर्गत 5 अप्रैल, 2012 को दारा सिंह हत्या प्रकरण में जांच हेतु गिरफ्तार किया गया है। श्री राजेन्द्र राठौड़ को सी बी आई की कस्टडी में सी बी आई, कैम्प आफिस जयपुर में रखा गया है।

साथ ही, अग्रेतर मुझे यह भी सूचित करना है कि अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 5 अप्रैल, 2012 के अनुसार श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य, राजस्थान विधान सभा को माननीय अपर मुख्य न्यायाधीश, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला जयपुर से प्रकरण संख्या आरसी 2 एस/2010-एससीयू-5/एससी-2/सीबीआई, नई दिल्ली अन्तर्गत धारा 120 बी सपठित 302, 364, 201, 218 भारतीय दण्ड संहिता में दिनांक 5 अप्रैल, 2010 को केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में दाखिल कराया गया है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आसन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): कि गोपालगढ़ के अन्दर...

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मुख्य मंत्रीजी की, गृह मंत्रीजी की एस पी से, कलक्टर से वार्तालाप टेलीफोन पर हुई है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्रीमती अनिता भदेल एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के 186 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद भी आनासागर को बदबू रहित करने में आ रही कठिनाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) डा. जसवन्त सिंह यादव एवं एक अन्य सदस्य की ओर से बहरोड़ के धर्मचन्द गांधी महाविद्यालय में सरकारी स्तर पर विज्ञान संकाय खोलने के सम्बन्ध में।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): उनकी काल डिटेल्स मंगवाई जाएं। सवाई माधोपुर के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, जब फूल मोहम्मदजी को जिंदा जलाया गया, आज अख़बार के अन्दर यह सारी बात अल्पसंख्यक समाज ने उठाई है, वहां पर जिन लोगों के चार्ज शीट के अन्दर नाम हैं, सप्लीमेंटरी चार्ज-शीट के अन्दर नाम हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। गृह मंत्री और मुख्य मंत्री की वहां भी वार्तालाप हुई है, उन काल डिटेल्स को मंगवाया जाए।

श्री अध्यक्ष:...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है, अंकित नहीं होगा।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: (3) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से कोटा विश्वविद्यालय में कार्यरत उप कुल सचिव डा. प्रवीण गोयल को पद से हटाकर उनके कार्यों की जांच करवाने के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है, मुझे व्यवस्था देने दीजिए। अंकित नहीं होगा।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। वैसे भी माननीय सदस्य श्रीमती अनिता भदेल इसी विषय पर आज पर्ची के माध्यम से अपने विचार प्रकट करेंगी।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्रीमती किरण माहेश्वरी एवं आठ अन्य सदस्यों की ओर से भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित नर्सिंग कालेजों पर छापे मारे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप में आगमन)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्या, श्रीमती किरण माहेश्वरी को अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

1. श्री कानसिंह कोटड़ी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना के उपखण्ड मुख्यालय सिवाना पर राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

2. श्री जीवाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांचौर में चिलतपाणा से ही थी गांव रोड पर नर्मदा की नहर पर बनी पुलिया की मरम्मत के सम्बन्ध में।

3. श्री ग्यारसाराम कोली, सदस्य की ओर से जिला भरतपुर में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कारगर उपाय करने के सम्बन्ध में।

4. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के राजकीय प्रभुतानन्द चिकित्सालय, प्रताप नगर को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करने के संबध में।

5. श्री अजय सिंह, सदस्य की ओर से डेगाना विधान सभा क्षेत्र के

(श्री अध्यक्ष)
ग्राम मांझी, गूणसली, बटेसरों की ढाणी (डावोली मीठी) में पानी भराव की समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

6. श्री मदन प्रजापत, सदस्य की ओर से तहसील पचपदरा के परम्परागत जल स्रोतों को बचाने के लिए क्षेत्र का भौतिक सर्वे करवा कर माइनिंग लीज के आवेदन निरस्त कर राजस्व रिकार्ड में पहाड़ी क्षेत्र को आगोर दर्ज करने के सम्बन्ध में।

7. श्री भगवान सहाय सैनी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमूं के चिकित्सालयों में स्त्री रोग विशेषज्ञों के नये पद सृजित करने के सम्बन्ध में।

8. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से फालना के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

9. श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीम की कतिपय ग्राम पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में।

10. श्री गणेश सिंह परमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कुम्भलगढ़ की तहसील आमेट के कस्बा आमेट को वाघरी नाका से नई पाइप लाइन बिछाकर पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

11. श्रीमती कमला कस्वां, सदस्या की ओर से कस्बा राजगढ़ (चूरू) में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

12. श्री कमल बैरवा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्राम दतवास में उप तहसील कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

295 को पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: आज दिनांक 9 अप्रैल, 2012 को शून्य काल में बोलने हेतु 8 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं जो निम्नांकित हैं :-

1. श्री राधेश्याम गंगानगर; 2. श्रीमती अनिता भदेल; 3. श्री ज्ञानचन्द पारख; एवं 4. श्री बनवारी लाल सिंघल।

श्री राधेश्याम गंगानगर ।

श्री अनिता भदेल ।

श्री ज्ञानचन्द पारख ।

श्री बनवारी लाल सिंघल ।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.09 बजे 13.09 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(13.09 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय सदस्यों का कर्तव्य निर्वह्न और उसमें मोबाइल की भूमिका

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्षजी, एक व्यवस्था चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपना फोन सदन के पटल पर रखा। और भी माननीय सदस्यों ने अपने फोन सदन के पटल पर आकर रख दिये। इसमें सिर्फ माननीय सदस्यों की एक मूलभूत कार्य, उनकी भावना से जुड़ा हुआ प्रश्न है। उदाहरण के लिए माननीय सदस्या, अनीता सिंहजी और माननीय जाहिदा जी को कलक्टर ने फोन करके बुलाया कि राजीनामा कराने के लिए आप आएं। ये लोग वहां पर गये, फिर बातचीत की। उन फोन काल डिटेल्स के आधार पर उनसे इन्क्वायरी हो रही है। हमारे से मिलने के लिए बहुत लोग आते हैं। हम माननीय अधिकारियों को फोन भी करते रहते हैं। इन सब

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मामलों में अगर इसके कारण से कोई माननीय सदस्य अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाता है तो उस समय बड़ी विचित्र स्थिति पैदा होती है। इसलिए सारे माननीय सदस्यों ने जो आपके सामने ये फोन रखे हैं, वे किसी विरोध स्वरूप नहीं रखे हैं। हमको न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है, न्यायपालिका जो भी निर्णय करेगी जिन मुकदमों में वह करेगी लेकिन हमारे सब के हितों का संरक्षण हो। हमें कोई अपराधी फोन कर सकता है। अब उसका फोन कैसे आया और हम उसके लिए किन अधिकारियों को फोन करें, उन सारों में माननीय सदस्यों के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। क्योंकि हमसे मिलने बहुत लोग आते हैं, हमारे साथ फोटो भी बहुत लोग शादी-ब्याह में जाते हैं तब उतरवाते हैं। उनके आधार पर यदि हमारे पर कार्यवाही होने लगी तो हमारे सब का एक तरह से काम करना, जो हमारा जन-प्रतिनिधियों के रूप में काम करने का नैतिक कर्तव्य है, उसके अधिकार की हानि होती है।

इसलिए मेरा आपसे सिर्फ इतना ही आग्रह है कि इन सब बातों में हमारी सुरक्षा किस प्रकार से हो और हम हमारे कर्तव्य किस प्रकार से पूरे कर सकें, उसकी संरक्षा, सुरक्षा आप हमको प्रदान करें जिसके कारण से जन-प्रतिनिधि अपना काम पूर्ण कर सकें। यह आपसे निवेदन करने के लिए, ये सारे के सारे जो रखे गये वे इसलिए रखे गये, और किसी कारण से नहीं। इसलिए मैं चाहूंगा कि या तो हमको सबको इस प्रकार के कोई सरकार की तरफ से फोन उपलब्ध करा दिए जाएं कि उन सारे फोन का रेगुलर टेप रिकार्ड होता रहे और हम कोई गलत काम करते हों तो हम लोगों को उस पर किया जाए। क्योंकि हमारे पास जो मिलने वाला आदमी आया है, एक बार हम कहने के लिए माननीय मंत्रीगण को फोन करते हैं, अधिकारियों को भी फोन करते हैं कि यह आदमी हमारे पास आया है, जरा आप इसको सुन लीजिये। कई बार हमको पता भी नहीं रहता है कि वह आदमी अपराधी है या नहीं, वह आदमी अच्छा है या नहीं।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे चाहूंगा कि सारे माननीय सदस्यों ने फोन रखे हैं, इस पर आप अपनी व्यवस्था निश्चित रूप से दें ताकि हम हमारा काम ठीक ढंग से कर सकें।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री शांति धारीवाल।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, 150 सी.डीज. हैं, उन सी.डीज. को.... (व्यवधान)

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्न 5 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-124 दिनांक 30 मार्च, 2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-125 दिनांक 30 मार्च, 2012 जिसके द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या : एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-150 दिनांक 09.3.2011 में संशोधन किया गया है;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-126 दिनांक 30 मार्च, 2012 जिसके द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या : एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-151 दिनांक 09.3.2011 में संशोधन किया गया है;

4- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-127 दिनांक 30 मार्च, 2012 जिसके द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी, 2009 के अधीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय समूह वर्ग के लिये नगरीय क्षेत्रों में 750/- रुपये प्रति वर्ग फीट तक की अधिकतम विक्रय कीमत वाले मकानों के संनिर्माण से सम्बन्धित संकर्म संविदाओं के निष्पादन में अन्तर्वलित माल में की सम्पत्ति के अन्तरण पर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा संदेय कर के संदाय से छूट प्रदान की गई है; एवं

5- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-128 दिनांक 30 मार्च, 2012 जिसके द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या: एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-81 दिनांक 11.8.2006 में संशोधन किया गया है ।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, 150 सी.डीज. और बनी हैं। (व्यवधान) गम्भीर मामला है, अध्यक्ष महोदय।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक। श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक, 2012

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं।

नारेबाजी

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

व्यवस्था/घोषणा

अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

श्री अध्यक्ष: अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर व्यवस्था।

(श्री अध्यक्ष)

अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस सदन की परम्परा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव जिस दिन की मांग आती है, जो प्रस्तुत होते हैं, वे यह मान लिए जाते हैं कि सदन में पेश हो गए हैं और बोलने के लिए उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती है जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत किए जाते हैं। विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय बोलने के लिए प्राथमिकता उन्हीं माननीय सदस्यों को दें जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं, ऐसा मेरा अनुरोध है। जब मांग मतदान के लिए आती है, उस समय भी स्वतः यह मान लिया जाता है कि वे कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किए गए हैं, वे वापस ले लिए गए हैं। यह परम्परा इस सदन की रही है। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाए, वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें, वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाए गए प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिए जाएंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सकें, उनके लिखित उत्तर सम्बन्धित माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से मिल जाएं, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, कम से कम एक कमेटी बना दीजिये। कोई निर्णय तो कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष: कोई अन्य सदस्य का अंकित नहीं होगा।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-2013, द्वितीय अवस्था, अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान। श्री बृजकिशोर शर्मा।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24–शिक्षा, कला एवं संस्कृति की प्रस्तुति

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24–शिक्षा, कला एवं संस्कृति

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,25,49,75,14,000/- (एक खरब पच्चीस अरब उनचास करोड़ पचहत्तर लाख चौदह हजार रुपये) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 24 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री अध्यक्ष: यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो मैं उनको अनुमति देने के लिए तैयार हूं। यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो उनको अनुमति दी जा सकेगी। आप बोलना चाहते हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, बोलना है।

श्री अध्यक्ष: इसी पर?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): लेकिन आप आर्डर में लायेंगे तब है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर में तो आप आने देंगे तब आएगा।

श्री बृजकिशोर शर्मा, शिक्षा मंत्री; बीना काक, कला एवं संस्कृति मंत्री; डा. दयाराम परमार, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री; श्री रामकिशोर सैनी, तकनीकी एवं अभियांत्रिकी शिक्षा राज्य मंत्री; एवं श्री मांगीलाल गरासिया, खेल राज्य मंत्री वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

(मांग संख्या 24 पर श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री), बीना काक (कला एवं संस्कृति मंत्री), डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा), श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, तकनीकी एवं अभियांत्रिकी शिक्षा), व श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, खेल) के वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट क्रमशः 3A, 3B, 3C, 3D, व 3E देखें)

मांग संख्या 24 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24 – शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,25,49,75,14,000/- (एक खरब पच्चीस अरब उनचास करोड़ पचहत्तर लाख चौदह हजार रुपये) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 10 अप्रैल, 2012 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.16 बजे दिनांक 10 अप्रैल, 2012 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

दुग्ध डेयरियों द्वारा प्लास्टिक थैलियों के उपयोग से प्रभावित पर्यावरण

211. श्री सुखराम (बसेडी) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि डेयरी द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 3000 मैट्रिक टन प्लास्टिक थैलियों का उपयोग किया जाता है? यदि हां, तो क्या उक्त प्लास्टिक थैलियों से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता है?

(2) उक्त कचरे के निस्तारण की क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पर्यावरण सुरक्षा के लिए मिल्क फिल्म की बजाय पैकिंग के अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। डेयरी द्वारा प्रयोग में ली जा रही प्लास्टिक थैलियों का उपयोग राजस्थान पर्यावरण विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.07.2010 के अन्तर्गत अनुमत है ।

(2) जिला दुग्ध संघों द्वारा पोलीथीन स्क्रेप (कचरा) के निस्तारण हेतु निविदा के माध्यम से ठेकेदार नियुक्त कर कचरे का निस्तारण किया जाता है।

(3) जी नहीं । राजस्थान पर्यावरण विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.07.2010 से राजस्थान में प्रतिबन्धित प्लास्टिक बैग की श्रेणी में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों में प्रयुक्त पोलीथीन रोल सम्मिलित नहीं है। प्रयुक्त पैकिंग सामग्री भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित गुणवत्ता आई.एस.11805:2007 के अनुरूप है।

सादुलपुर की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण

212. श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती कमला कस्वां)

(1) क्या यह सही है कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना द्वारा प्रदेश के कई जिलों में विद्युतीकरण से वंचित ग्रामों, ढाणियों को जोड़ा गया था? यदि हां, तो क्या चूरू जिला भी इसमें शामिल था? क्या उक्त जिले के सभी ग्राम व ढाणी विद्युतीकृत हो गये हैं? यदि नहीं, तो कितने ग्राम व ढाणी शेष हैं? तहसीलवार ग्राम व ढाणियों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी से लगती हुई ढाणियां बस गई हैं तथा उन ढाणियों में राजकीय सुविधाएं यथा स्कूल-आंगनबाड़ी-पानी की टंकी उपलब्ध है? क्या सरकार इन ढाणियों/बस्तियों में विद्युतीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के ग्राम राधा छोटी के पूर्व में आबाद हरिजन बस्ती का राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में विद्युतीकरण के लिए सर्वे किया गया था?

(4) क्या यह सही है कि उक्त बस्ती में प्राथमिक विद्यालय व सामुदायिक विकास केन्द्र भी स्थित है? यदि हां, तो उक्त बस्ती का अब तक विद्युतीकरण क्यों नहीं किया गया?

(5) क्या सरकार उक्त बस्ती का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश के सभी जिलों के जनगणना 2001 में सम्मिलित आबाद ग्राम स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित है। पूर्व में सम्मिलित होने से वंचित रह गई 100 से अधिक आबादी वाली अविद्युतिकृत ढाणियों के विद्युतीकरण हेतु 32 जिलों की पूरक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाऐं बनाकर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (भारत सरकार) को स्वीकृति हेतु भिजवाई हुई है, जिनकी स्वीकृति अभी प्रतीक्षित है। भारत सरकार से इन योजनाओं की स्वीकृति उपरांत इनका क्रियान्वयन कर विद्युतीकरण कार्य नियमानुसार किया जा सकेगा। 100 से कम आबादी वाली अविद्युतीकृत ढाणियों के विद्युतीकरण का राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं में प्रावधान नहीं है।

चूरू जिले की भी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्वीकृत

(ऊर्जा मंत्री)

है। इस योजना में 11 आबाद अविद्युतीकृत ग्रामों व 87 अविद्युतीकृत ढाणियों का विद्युतीकरण प्रस्तावित था। जिनमें से 6 आबाद अविद्युतीकृत ग्रामों का तथा 87 आबाद ढाणियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा 5 ग्रामों जिनका वर्तमान में गैर आबाद हो जाने के कारण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत नियमानुसार नहीं किया गया है। अतः इस योजना में कोई भी ढाणी एवं आबाद ग्राम विद्युतीकृत किया जाना शेष नहीं है।

(2) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी से लगती हुई बस्तियों/ढाणियों का अधिकृत विवरण निगमों के पास उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में चल रही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं में 300 से अधिक आबादी वाली स्वीकृत ढाणियों को स्वीकृत योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि/स्वीकृत विद्युत तंत्र के अनुसार विद्युतीकृत करने का प्रावधान है। ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार पूर्व में सम्मिलित होने से वंचित रह गयी राष्ट्रीय सर्वे 2003 अनुसार 100 से अधिक आबादी वाली अविद्युतीकृत ढाणियों के विद्युतीकरण हेतु 32 जिलों की पूरक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाऐं बनाकर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को स्वीकृति हेतु भिजवायी गयी हैं, जिनकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही इनका विद्युतीकरण सम्भव हो पायेगा।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के ग्राम राधा छोटी का विद्युतीकरण वर्ष 1987 में हो गया था, जिसकी जनसंख्या (सेन्सस 2001 के अनुसार) 1402 है। ग्राम के पूर्व में आबाद हरिजन बस्ती का नेशनल सर्वे रिपोर्ट-2003 में चिन्हित नहीं होने के कारण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सर्वे नहीं किया गया।

(4) जी हां। उक्त हरिजन बस्ती राधा छोटी से एक किमी. की दूरी पर स्थित है एवं बस्ती में 40 घर हैं, जिसमें प्राथमिक विद्यालय व सामुदायिक केन्द्र भी स्थित है। इस बस्ती में 30 घर अनुसूचित जाति व 10 घर में ओ बी सी एवं अन्य जाति के लोग निवास कर रहे हैं, जिनके विद्युतीकरण के लिए कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ तथा पंचायत द्वारा भी हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण का प्रस्ताव अब तक प्राप्त नहीं हुआ।

(5) उक्त बस्ती का पूरक राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित कर, विद्युतीकरण का प्रस्ताव भिजवाया जा रहा है। स्कीम की स्वीकृति प्राप्त होने पर उक्त बस्ती का विद्युतीकरण शीघ्र कर दिया जावेगा।

डूंगरगढ़ में घटिया सड़क निर्माण कार्य

213. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में गत 3 वर्षों में किन-किन गांवों को किस-किस योजना में सड़कों से जोडा गया?

(2) क्या सरकार लूणकरणसर वाया कालू, श्रीडूंगरगढ़, सरदार शहर सड़क के सुद्वढ़ीकरण कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस योजना के अन्तर्गत व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) श्रीडूंगरगढ़-बिदासर, सड़क निर्माण कार्य की निविदा कब निकाली गई व उक्त सड़क का निर्माण किस एजेन्सी द्वारा किया जा रहा है? क्या उक्त सड़क निर्माण का कार्य अभी भी चल रहा है? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा तथा इसके निर्माण पूर्ण होने की अवधि क्या थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि घटिया सामग्री का उपयोग करने के कारण सड़क बनने से पहले ही जगह-जगह से टूट गई है? क्या सरकार इस सड़क निर्माण में उपयोग में ली गई सामग्री की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में गत तीन वर्षो में 2 गांवों (जो पूर्व में डामर सड़क से नहीं जुडे थे) को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जोड़ा गया है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। उक्त सड़क (लूणकरणसर वाया कालू श्रीडूंगरगढ़ सरदार शहर) का निर्माण व सुदृढ़ीकरण का कार्य बी.ओ.टी. योजना के तहत करवाया जाना प्रस्तावित है, जिसकी निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। निविदाएं दिनांक 09.04.2012 को प्राप्त की जानी हैं। निविदा की प्रति परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) श्रीडूंगरगढ बीदासर सड़क पर निर्माण कार्य भारत सरकार के अधीन सीमा सड़क संगठन (मुख्य अभियन्ता चेतक परियोजना) द्वारा कराया जा रहा है। इस कार्य की 3 निविदायें दिनांक 24 दिसम्बर, 2009, 26 फरवरी, 2010 तथा 5 अक्टूबर 2010 को निकाली गईं, जिनका विवरण

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है। इन निविदाओं में से 2 निविदाओं के अन्तर्गत कार्य समाप्त हो चुका है एवं 1 निविदा के विरुद्ध कार्य प्रगति पर है। इस निविदा के अन्तर्गत 90 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है एवं निर्माण कार्य पूरा करने की अवधि 8 अप्रैल, 2012 तक है। शेष निर्माण 8 अप्रैल 2012 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

(4) मुख्य अभियन्ता चेतक परियोजना के पत्र क्रमांक 119 दिनांक 26.03.2012 के द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार सड़क का क्षतिग्रस्त होना स्वीकर किया है। इस कार्य को सीमा सड़क संगठन (मुख्य अभियन्ता चेतक परियोजना) द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। सभी प्रकार की कमियां दूर होने के पश्चात् ही उनके द्वारा कार्य स्वीकार किया जायेगा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा यह सड़क दिनांक 10.07.2009 को भारत सरकार के अधीन सीमा सड़क संगठन को हस्तान्तरित कर दिया गया था। सीमा सड़क संगठन द्वारा कराये जा रहे कार्य की सामग्री की जांच करना विभाग के क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

मण्डा-भिण्डा ग्राम (जयपुर) की सरकारी भूमि का नियम विरुद्ध आबंटन

214. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर की पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के ग्राम मण्डा-भिण्डा में सरकारी जमीन को नियम विरुद्ध तरीके से आबंटन कर अनियमितता की गई है? यदि हां, तो कब व उक्त में किन-किन को आबंटन पत्र जारी किये गये?

(2) क्या ग्राम पंचायत द्वारा सरकारी जमीन को आबंटन करने के लिए कोई नियम एवं शर्तें निर्धारित हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा नियमों एवं शर्तों की पालना की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बंशीधर खण्डेला)

(4) क्या यह सही है कि ग्राम मण्डा-भिण्डा में करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन के गैर कानूनी तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार कर मनमर्जी से पट्टे जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कब एवं किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी जमीन के पट्टे? क्या सरकार उक्त पट्टों को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार अमानत में खयानत करने वाले दोषी अधिकारियों को निलम्बित करने एवं नाजायज तरीके से फायदा पहुंचाने वाले ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों को बर्खास्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति गोविन्दगढ़ की ग्राम पंचायत मण्डा भिण्डा में वर्ष 2009-10 में जारी पट्टों के संदर्भ में गठित जांच कमेटी के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा बदनियती से पुरानी तिथियों में तथा राजस्थान पंचायती राज नियम 142 की बिन्दु सं. 2 के अभाव में पट्टे जारी किये गये हैं। आबंटन पत्र की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 तथा नियम, 1996 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी करने हेतु नियम व प्रक्रिया निर्धारित हैं। विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

(3) उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा नियम व शर्तों की अक्षरश: पालना नहीं की गई, इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी हैं। दोषियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मु.सं. 48/2012 दिनांक 25.2.2012 पुलिस थाना गोविन्दगढ़ में दर्ज करवाया जा चुका है। (परिशिष्ट-3)

(4) जांच कमेटी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत मण्डा-भिण्डा द्वारा जारी पट्टों में राजस्थान पंचायती राज नियम 142 के बिन्दु सं. 2 का अभाव तथा बदनियती से पुरानी तिथियों में जारी करना पाया गया। जारी किये गये पट्टों से सम्बन्धित विवरण संलग्न है। अनियमित तथा विवादित पट्टों को निरस्त करवाने हेतु न्यायालय जिला कलक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने की कार्यवाही प्रगतिरत है।

(पंचायती राज मंत्री)

(5) श्री रामचन्द्र कुमावत, तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत मण्डा-भिण्डा हाल ग्राम पंचायत सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत जाटावली को विकास अधिकारी, पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के आदेश क्रमांक 565 दिनांक 27.2.2012 के द्वारा निलम्बित किया जा चुका है। दोषी कर्मचारी के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। ग्राम पंचायत के तत्कालीन जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध धारा 38 की कार्यवाही जारी है। दोषी वार्ड पंचों के विरुद्ध नियमानुसार आरोप पत्र जारी किये जा चुके हैं।

(सूची, विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

अलवर जिले के आरक्षित वर्ग के छात्रों को देय छात्रवृत्ति

215. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विगत तीन वर्षों में अलवर जिले में अनुसूचित जाति/जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति का वितरण किया गया हैं? यदि हां, तो वर्षवार वितरित की गई छात्रवृत्ति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रवृत्ति वितरण के लिये वर्तमान में क्या नये प्रावधान किये गये है? प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त छात्रवृत्ति का वितरण निजी विद्यालयों व सरकारी विद्यालयों में किस आधार पर किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। विगत तीन वर्षो (2008-09, 2009-10 एवं 2010-11) में जिला अलवर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को वितरित छात्रवृत्ति राशि एवं लाभान्वितों का वर्षवार, वर्गवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में दिनांक 1.7.2010 से अनुरक्षण भत्तों एवं आय सीमा, पाठ्यक्रम समूहों का वर्गीकरण आदि में संशोधन किया गया है। नये प्रावधानों की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में दिनांक 1.7.2011 से अनुरक्षण भत्तों, आय सीमा, पाठ्यक्रम समूहों के वर्गीकरण आदि में संशोधन किया है। नये प्रावधानों की प्रति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

अल्पसंख्यक उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में भारत सरकार द्वारा दिनांक 1.4.2011 से अनुरक्षण भत्तों में संशोधन किया गया है। नवीन प्रावधानों की प्रति परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में छात्राओं को देय छात्रवृत्ति की दरों में वर्ष 2009-10 में संशोधन किया गया है। नवीन प्रावधानों की प्रति परिशिष्ट 'य' पर संलग्न है।

(3) विद्यालय स्तर पर छात्रवृत्ति वितरण का कार्य शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है। शिक्षा विभाग की सूचना के अनुसार माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत निजी विद्यालय व सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर पात्र विद्यार्थियों को निर्धारित प्रावधानानुसार छात्रवृत्ति दी जाती है।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग की सूचना के अनुसार छात्रवृत्ति का वितरण निजी एवं सरकारी विद्यालयों में समान आधार पर किया जाता है।

(4) जी नहीं।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

रासायनिक उर्वरकों की कालाबाजारी व नकली खाद विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही

216. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में खेती के काम आने वाली रसायन उर्वरकों तथा डी.ए.पी., यूरिया, पोटाश, एम.ओ.पी., इफ्को एम.पी. की दरों में विगत 3 वर्षों में कितनी-कितनी बढोतरी कब-कब हुई? क्या सरकार किसानों को बढ़ी हुई दरों में राहत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कैसे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(2) राज्य में इस वर्ष खरीफ व रबी की फसलों में रसायन उर्वरकों तथा डी.ए.पी., यूरिया, पोटाश, एम. ओ. पी., इफ्को एम. पी. की आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा भारत सरकार को मांग कब-कब भेजी गयी व इनकी कितनी-कितनी आपूर्ति हुई? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार को इस वर्ष खाद की कालाबाजारी व नकली खाद बेचे जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों के आधार पर कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2011 से समस्त फास्फेटिक एवं पोटेशिक उर्वरकों की कीमतों को मुक्त किये जाने के फलस्वरूप निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्यों का निर्धारण किया जा रहा है तथा उर्वरक निर्माता/आपूर्तिकर्ता द्वारा उर्वरकों के प्रत्येक बैग पर अधिकतम खुदरा मूल्य व तत्व आधारित अनुदान (एनबीएस) अंकित करना आवश्यक है।

खेती के काम आने वाले रासायनिक उर्वरकों यथा डीएपी, यूरिया, म्यूरेट आफ पोटाश, काम्पलेक्स उर्वरकों व अन्य उर्वरकों की गत 3 वर्षों में अधिकतम खुदरा मूल्य का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) गत वर्षों में हुये उर्वरकों की खपत, वर्षा की स्थिति एवं फसल पद्धति को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक वर्ष खरीफ मौसम हेतु जनवरी-फरवरी माह में एवं रबी मौसम हेतु अगस्त-सितम्बर माह में उर्वरकों की मांग का आंकलन किया जाता है। जिसकी समीक्षा प्रत्येक फसल मौसम पूर्व भारत सरकार द्वारा आयोजित जोनल कान्फ्रेंस की बैठक में की जाकर उर्वरकों की मांग को अंतिम रूप दिया जाता है। वर्ष 2011-12 हेतु खरीफ व रबी मौसम में भारत सरकार को प्रेषित विभिन्न उर्वरकों की मांग व प्राप्त आपूर्ति का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। वर्ष 2011-12 में राज्य के 15 जिलों में उर्वरकों की कालाबाजारी के 49 प्रकरणों में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों के तहत सम्बन्धित अधिकारियों/निरीक्षकों द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की गई। विभिन्न प्रकरणों में की गई कार्यवाही का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-3 व 4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

घूमडिया (जालौर) केन्द्रीय सहकारी बैंक के कार्मिकों द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

217. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक घूमडिया जिला जालौर के प्रबन्धक ने जिन किसानों को एक पैसा भी नहीं मिला उनके खाते में 17 लाख का ऋण बताकर सहकारी बैंक के लिपिक के साथ मिलकर राशि का गबन किया है? यदि हां, तो उक्त सहकारी बैंक के कितने खातेदारों के नाम कितनी-कितनी राशि प्रबंधक ने लिपिक के साथ मिलकर गबन की? विवरण सदन पर की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कर्मियों के विरुद्व सरकार ने फरवरी, 2012 तक कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। खातेदारों के नाम एवं राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। दोषियों के विरुद्व की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फुलेरा की पेयजल समस्या के समाधान हेतु कार्य योजना

218. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की पेयजल समस्या के समाधान के लिये बीसलपुर से पेयजल आपूर्ति किये जाने हेतु वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं में किन-किन ग्रामों/कस्बों को शामिल किया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में कौन-कौन से गांव/कस्बे फ्लोराइड

(श्री निर्मल कुमावत)

की समस्या से ग्रस्त हैं और उनको इस समस्या से निजात दिलाने हेतु जनवरी, 2009 से फरवरी, 2012 तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्य सतही पेयजल स्रोत बीसलपुर बांध से माह अक्टूबर, 2007 में राशि रुपये 678.87 करोड़ की संशोधित स्वीकृत बीसलपुर-दूदू वृहद् पेयजल परियोजना के प्रथम भाग में सम्मिलित कुल 718 ग्रामों (जयपुर एवं टौंक जिले के) में से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सम्मिलित समस्त 151 ग्रामों को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है ।

(2) उक्त परियोजना से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के कस्बे क्रमशः सांभर एवं नरैना पूर्ण रूप से तथा फुलेरा आंशिक रूप से लाभान्वित हैं। कस्बा नरैना में स्थानीय जल स्रोतों से निर्धारित मानकों के अनुरूप पेयजल उपलब्ध होने के कारण उक्त परियोजना से वर्तमान में पानी नहीं लिया जा रहा है ।

परियोजना में उक्त क्षेत्र के सम्मिलित समस्त 151 ग्रामों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(3) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के वर्ष 2003 के सर्वे के अनुसार 69 ग्रामों के स्थानीय जल स्रोतों में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है । अब इन सभी की पुनः जांच की जा रही है । इस समस्या के निराकरण हेतु वर्णित अवधि में स्वीकृत की गईं 7 योजनाओं में 23 प्रभावित ग्राम सम्मिलित हैं ।

उक्त फ्लोराइड प्रभावित ग्राम तथा फ्लोराइड समस्या के निराकरण हेतु स्वीकृत योजनाएं एवं अब तक की प्रगति सम्बन्ध विवरण क्रमशः परिशिष्ट-ब व - स पर संलग्न है ।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

तिजारा फाटक (अलवर शहर) पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण

219. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अलवर शहर में तिजारा फाटक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त रेलवे

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

ओवरब्रिज का निर्माण कुल कितनी भूमि पर कहां से कहां तक किया जा रहा है और उक्त निर्माण हेतु कुल कितनी लागत प्रस्तावित की गई थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अत्यधिक शिथिलता के चलते उक्त निर्माण कार्य की लागत में अन्तर आया है? यदि हां, तो कितना व इसके लिये कौन जिम्मेदार है? अब उक्त रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य आगामी कितने समय में पूर्ण करा दिया जायेगा?

(3) उक्त रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण हेतु कब व कौनसी बैठक में निर्णय लिया गया एवं इसकी स्वीकृति कब हुई? उक्त रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण हेतु विभाग द्वारा निविदा कब आमंत्रित की गई और उक्त निविदा में किस-किस संवेदक द्वारा निविदा भरी गई? प्रत्येक संवेदक द्वारा लगाई गई निविदा की बोली निविदा की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य किस संवेदक को किस अनुमानित लागत पर कब दिया गया? कार्य सम्पादन के आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा अलवर शहर में तिजारा फाटक रेलवे ओवरब्रिज का आर.एस.आर.डी.सी.सी. के माध्यम से निर्माण कराया जा रहा है। उक्त रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण अलवर शहर की तरफ रेलवे सीमा से 303 मीटर एवं तिजारा रोड की तरफ रेलवे सीमा से 334 मीटर तक किया जा रहा है। उक्त निर्माण हेतु कुल रु. 20.55 करोड़ की लागत प्रस्तावित की गयी थी।

(2) जी नहीं, कार्य की लागत में शिथिलता के कारण कोई अन्तर नहीं आया है। परियोजना का आकार बढ़ने एवं रेलवे ओवरब्रिज की लम्बाई बढ़ने के कारण संशोधित स्वीकृति होने के बाद कार्य प्रारम्भ किया गया है।

उक्त आर.ओ.बी. की 2 लेन का निर्माण कार्य जून, 2012 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है तथा 4 लेन का निर्माण कार्य अक्टूबर 2012 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(3) रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण का निर्णय नगर विकास न्याय अलवर

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

के ट्रस्ट की बैठक संख्या-248 दिनांक 25.03.2006 में लिया गया। रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नगरीय विकास विभाग द्वारा शासन उप सचिव (द्वितीय) के पत्र क्रमांक प.8(1)नविवि/1/06 दिनांक 17.01.2007 को रुपये 13.23 करोड़ एवं संशोधित स्वीकृति समसंख्याक पत्र दिनांक 17.09.2008 को रुपये 20.55 करोड़ की हुई।

इस आर.ओ.बी. की आर.एस.आर.डी.सी.सी. द्वारा पुल निर्माण एवं पुल की एप्रोच निर्माण हेतु प्रथम निविदा दिनांक 28.06.2008 को आमंत्रित की गई। इस निविदा में प्रथम कार्य पुल निर्माण कार्य हेतु मै. जैन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की निविदा रुपये चार करोड़ इकलीस लाख उनतीस हजार पांच सौ चौहत्तर एवं मै. भारत स्पन पाइप एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की निविदा रुपये तीन करोड़ चौदह लाख चौदह हजार दो सौ उनतीस थी। यह निविदा उच्च दर होने के कारण निरस्त की गई। इस निविदा में द्वितीय कार्य एप्रोच निर्माण कार्य हेतु मै. जैन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की निविदा रुपये तीन करोड़ छियानवे लाख चौरानवे हजार चार सौ सत्यासी एवं मै. भारत स्पन पाईप एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की निविदा रुपये तीन करोड़ पिच्यासी लाख सतत्तर हजार पांच सौ निन्यानवे थी। आमंत्रित निविदाओं के तुलनात्मक विवरण एवं निविदा की प्रति परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

इस आर.ओ.बी. की पुल निर्माण कार्य हेतु द्वितीय निविदा दिनांक 05.09.2008 को आमंत्रित की गई जिसमें मै. रमेश कुमार बंसल की निविदा रुपये दस करोड़ पिच्यानवे लाख तिरेसठ हजार चार सौ तिरानवें, मै. भारत स्पन पाइप एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की निविदा रुपये तीन करोड़ उनियासी लाख अठ्ठाईस हजार पांच सौ उनतीस एवं मै. भगत कान्ट्रेक्टर की निविदा रुपये चार करोड़ सत्तर लाख दस हजार चार सौ अठ्ठाईस थी। आमंत्रित निविदाओं के तुलनात्मक विवरण एवं निविदा की प्रति परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है। यह निविदा अधिक दर प्राप्त होने के कारण निरस्त की गई।

इस आर.ओ.बी. के पुल एवं सर्विस रोड निर्माण हेतु तृतीय निविदा दिनांक 06.01.2009 को आमंत्रित की गई जिसमें मै. अनिल सिंह कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर्स की निविदा रुपये चार करोड़ उनहत्तर लाख छत्तीस हजार नौ सौ छियासठ एवं मै. भारत स्पन पाइप एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की निविदा

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

रुपये पांच करोड़ चौदह लाख इक्यानवे हजार छह सौ बहत्तर की थी। आमंत्रित निविदाओं के तुलनात्मक विवरण एवं निविदा की प्रति परिशिष्ट-स पर प्रस्तुत है।

इस आर.ओ.बी. की चतुर्थ निविदा तिजारा की ओर एप्रोच निर्माण हेतु दिनांक 06.07.2011 को आमंत्रित की गई जिसमें मै. रेणु एन्टरप्राईजेज-पी.आर.एल. (जे.वी.) की निविदा रुपये तीन करोड़ पिच्यानवे लाख इकसठ हजार सात सौ बीस एवं मै. बी.पी. मोदी की निविदा रुपये चार करोड़ पांच लाख तेईस हजार चार सौ चौबीस थी। आमंत्रित निविदाओं के तुलनात्मक विवरण एवं निविदा की प्रति परिशिष्ट-द पर प्रस्तुत है।

(4) इस रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण हेतु प्रथम निविदा के अन्तर्गत मै. भारत स्पन पाइप एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को रुपये तीन करोड़ पिच्यासी लाख सतत्तर हजार पांच सौ निन्यानवे का कार्य दिनांक 23.08.2008 को, तृतीय निविदा के अन्तर्गत मै. अनिल सिंह कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर्स को रुपये चार करोड़ सत्तावन लाख छत्तीस हजार नौ सौ पैंसठ का कार्य दिनांक 30.01.2009 को एवं चतुर्थ निविदा के अन्तर्गत मै. रेणु एन्टरप्राईजेज पी.आर.एल. (जे.वी.) को रुपये तीन करोड़ पिच्यानवे लाख छब्बीस हजार दो सौ उन्यासी का कार्य दिनांक 05.10.2011 को दिया गया। रेलवे ओवरब्रिज के आर.एस.आर.डी.सी.सी. द्वारा निर्माण कार्य हेतु दिये गये उपरोक्त कार्य आदेशों की प्रतिलिपियां परिशिष्ट-क, ख एवं ग पर प्रस्तुत हैं।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र में पंचायत सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत प्राप्त राशि

220. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या पंचायतों के सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्य बाबत टी.एफ.सी. एवं ''एस.एफ.सी.' मद के तहत सरकार द्वारा पंचायतों को तथा पंचायत समितियों को फण्ड का आबंटन किया जाता है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में वित्तीय वर्ष 2008-2009 से फरवरी, 2012 तक पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को आबंटित राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री केसाराम चौधरी)

(2) क्या ग्राम पंचायतों को टी.एफ.सी. एवं एस.एफ.सी. के तहत आबंटित राशि के सदुपयोग पर सरकार द्वारा कोई नियंत्रण रखा जाता है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में अब तक आबंटित राशि में से कितनी राशि का सदुपयोग किया गया है तथा वर्तमान में प्रत्येक पंचायत के पास एवं पंचायत समिति के पास कितनी राशि अधिशेष है? आबंटित, व्यय एवं शेष राशि का पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) आबंटित राशि का उपयोग नहीं करने पर सरकार द्वारा सम्बन्धित पंचायत समिति अथवा ग्राम पंचायत के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है तथा सरकार शेष राशि को कब तक उपयोग करने हेतु पाबंद करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायतों के सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्य बाबत टी.एफ.सी. एवं एस.एफ.सी. के तहत सरकार द्वारा पंचायतों को तथा पंचायत समितियों को फंड का आबंटन किया जाता है । विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, देसूरी एवं रानी में वित्तीय वर्ष 2008-2009 से फरवरी 2012 तक पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को आबंटित राशि का विवरण संलग्न अनुसार है । (परिशिष्ट-1)

(2) जी हां। विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को टी.एफ.सी. एवं एस.एफ.सी. के अन्तर्गत दी गई अनुदान राशि के उपयोग पर नियन्त्रण हेतु दिशा-निर्देश जारी किये हुये हैं । (परिशिष्ट-2) ग्राम पंचायतों द्वारा व्यय राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायत समिति में प्रस्तुत किये जाते हैं। विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में वित्तीय वर्ष 2008-2009 से फरवरी 2012 तक आबंटित, व्यय एवं शेष राशि का पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतवार विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(3) जी नहीं। कोई कार्यवाही प्रस्तावित नही की गयी है। विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में शेष राशि को 30 सितम्बर, 2012 तक उपयोग करने हेतु जिला परिषद पाली द्वारा पाबंद किया गया है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सीकर जिले के आरक्षित वर्ग के छात्रों की बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान

221. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में जिला सीकर के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों एवं प्रशिक्षणार्थियों की छात्रवृत्ति बकाया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि गत दो वर्षों से बी.पी.एल. परिवारों के छात्रों की भी छात्रवृत्ति बकाया है? यदि हां, तो क्यों? क्या बजट के अभाव में छात्रवृत्ति वितरित नहीं हो सकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब उक्त अवधि की बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला सीकर में वर्ष 2011-12 के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में आवेदन पत्र जांच हेतु प्रक्रियाधीन होने तथा आवेदन पत्रों में आक्षेप होने के कारण बकाया रहे हैं, उक्त योजनाओं में वर्ष 2010-11 के किसी भी पात्र आवेदक की छात्रवृत्ति बकाया नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12 के आवेदन पत्र सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत एवं आवेदन पत्रों में आक्षेप होने के कारण बकाया रहे हैं। पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। शिक्षा विभाग की सूचना के अनुसार वर्ष 2011-12 में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत आवेदन पत्र बकाया रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के आवेदन पत्र वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत बकाया रहे हैं।

(2) विभाग द्वारा केवल बी.पी.एल. के आधार पर किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में वित्तीय संसाधन सीमित होने के कारण बी.पी.एल. सहित अन्य प्राथमिकताऐं निर्धारित की गई हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 2010-11 में

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

बी.पी.एल. परिवारों के 152 विद्यार्थियों को सम्बन्धित स्वीकृति अधिकारियों द्वारा बजट उपलब्धता के दृष्टिगत छात्रवृत्ति का वितरण नहीं किया जा सका तथा 34 विद्यार्थियों को बैंक से चैक क्लियर नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति का वितरण नहीं हो सका। वर्ष 2011-12 में बी.पी.एल. परिवारों के 02 विद्यार्थियों को सम्बन्धित स्वीकृति अधिकारियों द्वारा बजट उपलब्धता के दृष्टिगत तथा 196 आवेदकों के आवेदन पत्रों में आक्षेप होने के कारण छात्रवृत्ति का वितरण नहीं किया जा सका।

(3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2011-12 के बकाया पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण 2012-13 में कर दिया जावेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत केवल चालू वर्ष के विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्ति दी जा रही है।

शिक्षा विभाग की सूचना के अनुसार पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के अनुसार छात्रवृत्ति दी जा रही है।

केन्द्रीय योजनाओं में कृषि क्षेत्र को योजनावार आबंटित राशि

222. **डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराट नगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कृषि क्षेत्र में 9वीं, 10वीं एवं 11वीं योजना में बजट का कितना हिस्सा आबंटित किया गया तथा कितना व्यय किया गया? योजनावार तथा 11वीं योजना का वर्षवार राशि एवं प्रतिशत सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) केन्द्रीय योजना में कितनी राशि कृषि क्षेत्र के लिए प्राप्त हुई? 10वीं एवं 11वीं योजना का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि "मनरेगा" के कारण कृषि क्षेत्र में कृषि श्रम महंगा होने से किसानों की फसली लागत है? यदि हां, तो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

(1) प्रदेश में पंचवर्षीय योजनावार राज्य का कुल बजट प्रावधान, कृषि क्षेत्र में बजट प्रावधान तथा कृषि क्षेत्र में किये गये व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

(कृषि मंत्री)

(राशि लाख रु.)

पंचवर्षीय योजना	**राज्य का बजट प्रावधान**	**कृषि क्षेत्र में बजट प्रावधान**	**कृषि क्षेत्र में व्यय राशि**	**विवरण**
9वीं पंचवर्षीय योजना	2105882.76	119687.21	105006.62	विवरण परिशिष्ट-1 संलग्न है।
10वीं पंचवर्षीय योजना	3352868.39	96752.06	101370.04	विवरण परिशिष्ट-2 संलग्न है।
11वीं पंचवर्षीय योजना	9703803.07	291907.20	523480.25 (माह जनवरी,2012 तक)	पंचवर्षीय योजना के प्रावधान विवरण परिशिष्ट-3 संलग्न है।

11वीं पंचवर्षीय योजना का वर्षवार राज्य का कुल बजट प्रावधान, कृषि क्षेत्र में बजट प्रावधान एवं कृषि क्षेत्र में किया गया व्यय तथा व्यय का प्रतिशत का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाख रु.)

वित्तीय वर्ष	**राज्य का बजट प्रावधान**	**कृषि क्षेत्र में बजट प्रावधान**	**कृषि क्षेत्र को राज्य के कुल बजट प्रावधान में से आबंटित राशि (प्रतिशत में)**	**कृषि क्षेत्र में व्यय राशि**	**वि.वि.**
2007-08	1368431.90	49729.28	3.63	51939.96	विवरण परिशिष्ट-4
2008-09	1492453.22	92844.58	6.22	102249.85	विवरण परिशिष्ट-5
2009-10	1856085.47	98765.97	5.32	88420.27	विवरण परिशिष्ट-6
2010-11	2356288.66	185360.30	7.87	184654.35	विवरण परिशिष्ट-7
2011-12	2869152.00	109211.20	3.80 (माह जनवरी, 2012 तक)	96215.82	विवरण परिशिष्ट-8

(कृषि मंत्री)

(2) 10वीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय योजनान्तर्गत कृषि क्षेत्र के लिए 79384.53 लाख रू0 प्राप्त हुए-विस्तृत विवरण परिशिष्ट-9 पर संलग्न है।

11वीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय योजनान्तर्गत कृषि क्षेत्र के लिए 187430.50 लाख रु. प्राप्त हुए-विस्तृत विवरण परिशिष्ट-10 पर संलग्न है।

(3) कृषि कार्यों को मनरेगा योजना में सम्मिलित कराने के प्रयास जारी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजसमन्द जिले के सहकारी समिति रहित ग्राम पंचायत मुख्यालय

223. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला राजसमन्द में कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं वृहदाकार बहुउद्देशीय कृषि सहकारी समितियां (लैम्पस) नहीं है? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त जिले की जिन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सहकारी समितियां नहीं हैं वहां पर सहकारी समितियां स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2011-12 में राजफैड के माध्यम से 3 लाख 50 मैट्रिक टन डीएपी के अग्रिम भण्डारण की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो राजफैड द्वारा कितना डीएपी का अग्रिम भण्डारण किया गया?

(4) उक्त जिले की प्रत्येक तहसील को राजफैड द्वारा कितना डीएपी उर्वरक उपलब्ध करवाया गया ? क्या उर्वरक मांग के अनुरूप उपलब्ध करवाया गया ?

उत्तर

(1) जिला राजसमन्द के 139 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं वृहतकार बहुउद्देशीय कृषि सहकारी समितियां (लैम्पस) नहीं है। तहसीलवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(सहकारिता मंत्री)

(2) ग्राम पंचायत स्तर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर एवं निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति होने पर ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(3) राजफैड द्वारा वर्ष 2011-12 (दिनांक 23.03.12 तक) 3,27,189 मै. टन डीएपी का अग्रिम भण्डारण सदस्य क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से किया गया।

(4) वर्ष 2011-12 में राजफैड द्वारा कृषि विभाग के निर्देशानुसार राजसमन्द जिले की प्रत्येक तहसील में निम्नानुसार डीएपी उर्वरक बफर स्टाकिंग योजना में उपलब्ध करवाया गया:-

क्र.सं.	तहसील	मात्रा (मै.टन)
1.	खमनौर	353
2.	राजसमन्द	591
3.	आमेट	436
4.	कुम्भलगढ़	20
5.	रेलमगरा	773
6.	देवगढ़	403
7.	भीम	-
	योग	**2576**

राजफैड के द्वारा बफर स्टाकिंग योजनान्तर्गत कृषि विभाग के निर्देशानुसार डीएपी आपूर्ति करवाया गया।

परिशिष्ट-1

क्र. सं.	नाम तहसील	ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम सेवा सहकारी समितियों की संख्या	शेष ग्राम पंचायतें जिन में ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं हैं
1	नाथद्वारा	44	16	28
2	राजसमन्द	33	13	20
3	कुम्भलगढ़	42	15	27
4	आमेट	21	8	13
5	देवगढ़	19	8	11
6	भीम	31	8	23
7	रेलमगरा	30	13	17
	योग	**220**	**81**	**139**

डीग-कुम्हेर (भरतपुर) क्षेत्र में चम्बल नदी से जलापूर्ति हेतु कार्य योजना

224. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार आगामी वर्ष में डीग-कुम्हेर क्षेत्र हेतु चम्बल का पानी लाने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) सरकार चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना को कितनी अवधि में पूर्ण करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। चम्बल नदी को मुख्य पेयजल स्रोत लेकर चम्बल-धौलपुर-भरतपुर वृहद् पेयजल परियोजना अन्तर्गत मल्लाह हैडवर्क्स (भरतपुर) से कुम्हेर, डीग, नगर, पहाड़ी एवं कामां तक की मुख्य ट्रांसमिशन प्रणाली के कार्यों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह सितम्बर, 2011 में जारी की जा चुकी है ।

(2) चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना के स्वीकृत प्रथम चरण के प्रथम भाग अन्तर्गत मुख्य ट्रांसमिशन लाइन एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्बन्ध कार्य माह जून, 2012 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है । योजना से भरतपुर शहर को दिसम्बर, 2011 के अंत से विद्यमान पेयजल वितरण तंत्र से आंशिक पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गई है । भरतपुर एवं धौलपुर जिले के कुल सम्मिलित 212 गांवों में वितरण प्रणाली विकसित करने के कार्यों में से धौलपुर जिले के 44 ग्रामों को माह जून, 2012 तक लाभान्वित करना प्रस्तावित है । आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाकर योजना के शेष गांवों को आगामी तीन वर्षों में लाभान्वित करना प्रस्तावित है ।

जोधपुर-बाड़मेर जिलों की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण कार्य

225. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग व यातायात विभाग द्वारा विभागीय वार्षिक प्लान 2010-11 में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 114 जोधपुर-पोकरण सड़क नवीनीकरण किमी 45 से किलोमीटर 53, किमी 59 से किमी 69 व कि.मी. 69 से कि.मी. 75 तक के लिये राशि 30 करोड़ स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

(2) क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारियों की अनदेखी एवं लापरवाही के कारण उक्त सड़क मार्ग का नवीनीकरण कार्य नहीं हो पाया? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा दोषियों के विरुद्व सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 114 जोधपुर-पोकरण क्षतिग्रस्त सड़क का नवीनीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सड़क का मरम्मत व पेच कार्य भी करवाया गया है? यदि हां, तो कब-कब व इस पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या तहसील शेरगढ़ में पंचायत समिति मुख्यालय बालेसर सत्ता क्षेत्र में गुजरने वाले जोधपुर-जैसलमेर सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 114 पर पुलिया, डिवाइडर निर्माण व पूर्व में निर्मित रपटों को भी चौड़ा करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो सरकार उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत कराने का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिनांक 06.07.2010 को अनुमोदित किये गये वार्षिक प्लान 2010-11 में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114 जोधपुर-पोकरण सड़क के कि.मी. 0/0 से 8/0, कि.मी. 45/0 से 53/0 व कि.मी. 59/0 से 69/0 के सुदृढ़ीकरण हेतु राशि रुपये 16.00 करोड़ तथा कि.मी. 69/0 से 75/0 तक के चार लेन निर्माण हेतु राशि रुपये 14.00 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। इस प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114 हेतु वार्षिक प्लान 2010-11 में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कुल राशि रुपये 30.00 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कि.मी. 0/0 से 8/0, कि.मी. 45/0 से 53/0, कि.मी. 59/0 से 69/0 हेतु राशि रुपये 15.68 करोड़ का तकमीना दिनांक 04.01.2011 को तथा कि.मी. 69/0 से 75/0 हेतु राशि रुपये 15.87 करोड़ का तकमीना दिनांक 01.11.2010 को वांछित स्वीकृति हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये थे। उक्त पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान वांछित स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के कारण उक्त कार्य नहीं कराये जा सके।

(2) जी नहीं। उक्त सड़क मार्ग का नवीनीकरण कार्य भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के कारण नहीं हो पाया। अतः कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(3) जी हां। सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114 क्षतिग्रस्त जोधपुर-पोकरण सड़क का नवीनीकरण करवाने का विचार रखती है, परन्तु इसका क्रियान्वयन भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-114 हेतु वर्ष 2011-12 के दौरान कि.मी. 0/0 से कि.मी. 8/0 के सतह सुधार कार्य की स्वीकृति भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिनांक 27.02.2012 को जारी हो चुकी है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है, इस कार्य हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कि.मी. 36/0 से 45/0 एवं कि.मी. 45/0 से 69/0 के सामयिक नवीनीकरण पुनः दिनांक 18.01.2012 को प्रस्तावित किया गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है। यह प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में विचाराधीन है। कि.मी. 69/0 से 75/0 का चार लेन में चौड़ाईकरण कार्य का तकमीना भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को दिनांक 05.12.2011 को वांछित स्वीकृति हेतु भेजा गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-5 पर प्रस्तुत है। वांछित स्वीकृति भारत सरकार से अपेक्षित है। इसी सड़क के कि.मी. 129/500 से 140/0 एवं कि.मी. 153/0 से 176/500 तक के सुदृढ़ीकरण एवं पेव्ड शोल्डर निर्माण हेतु भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 11.03.2011 को राशि रुपये 20.64 करोड़ की स्वीकृति जारी की है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-6 पर प्रस्तुत है। इस कार्य का कार्यादेश दिनांक 15.09.2011 को जारी किया जा चुका है, जिसके अनुसार कार्य के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 24.03.2013 है, कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट-7 पर प्रस्तुत है।

(4) जी हां। उक्त सड़क का मरम्मत व पेच कार्य वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान माह अप्रैल, 2011 से दिसम्बर, 2012 तक समय-समय पर करवाये

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

गये हैं, जिस पर राशि रुपये 55.00 लाख व्यय की गई है। विवरण परिशिष्ट-8 पर प्रस्तुत है।

(5) तहसील शेरगढ़ में पंचायत समिति मुख्यालय बालेसर सत्ता क्षेत्र से गुजरने वाले जोधपुर-जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114 पर पुलिया डिवाइडर निर्माण व पूर्व में निर्मित रपटों को भी चौड़ा करने का कार्य तकमीने कि.मी. 69/0 से 75/0 हेतु भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को दिनांक 05.12.2011 को प्रेषित तकमीने में सम्मिलित है। जिसकी प्रति परिशिष्ट-9 पर प्रस्तुत है। वांछित स्वीकृति सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार से अपेक्षित है।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

शहरी क्षेत्र के स्टेट बी.पी.एल. परिवारों को खाद्यान्न सुविधा

226. श्री विजय बंसल (भरतपुर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में गरीबी रेखा के नीचे की सूची में सम्मिलित ऐसे नाम जो नई सूची में नहीं सम्मिलित हैं, को सरकार द्वारा स्टेट बी पी एल माना गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इनको किस मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराये जा रहे हैं? प्रत्येक खाद्यान्न की दरों (प्रति किलोग्राम) की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार शहरी क्षेत्रों में स्थित स्टेट बी पी एल को भी उपरोक्त सुविधायें प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पूर्व में गरीबी रेखा के नीचे की सूची में सम्मिलित ऐसे नाम जो नई सूची में नहीं है को सरकार द्वारा स्टेट बीपीएल माना गया है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में स्टेट बी पी एल परिवारों को 2/-रु. प्रति किलो की दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। जारी आदेश दिनांक 03.05.2010 की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

(2) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-अ

ई-मेल/फैक्स

राजस्थान सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक:एफ.13(1)खा.वि./आबंटन/बी पी एल/ए ए वाई/2009-10

जयपुर, दिनांक 3.5.2010

संशोधित आबंटन आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30.03.2010 एवं 01.04.2010 द्वारा ए.पी.एल अन्त्योदय एवं बी पी एल योजनाओं में खाद्यान्न (गेहूं) का आबंटन माह अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011 तक जारी किया गया था।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विधान सभा में की गयी घोषणा के अनुसरण में वर्ष 2002 के ग्रामीण बी पी एल सर्वे में पहली बार चयनित बी पी एल परिवार तथा स्टेट बी पी एल परिवारों (वर्ष 1997 की बी पी एल सूची में चयनित तथा वर्ष 2002 की बी पी एल चयनित सूची से वंचित लाभार्थी) को माह मई, 2010 से 2/- रुपये प्रति किलो की दर से 25 किलो गेहूं प्रति माह प्रति परिवार खाद्यान्न देने की घोषणा के परिणामस्वरूप ए पी एल/बी पी एल/स्टेट बीपीएल परिवारों के लिए जिलेवार सूची के अनुसार विस्तृत विवरण सहित आबंटन आदेश संलग्न कर प्रेषित हैं।

अन्य शर्तें एवं व्यवस्था पूर्व आदेश के अनुसार ही होंगी।

उपायुक्त एवं

उप शासन सचिव

भरतपुर जिले में विधवा पेंशन स्वीकृति में दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही

227. **श्रीमती अनीता सिंह** (नगर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला भरतपुर में गत तीन वर्षों में कितनी विधवाओं को पेंशन दी गयी? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में अपात्रों को भी विधवा पेंशन दी जा रही है? यदि हां, तो किन-किन को, किस-किस गांव में कब से? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अपात्रों को पेंशन देने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती अनीता सिंह)

(4) अपात्रों को अब तक दी गयी पेंशन की राशि कितनी है? इसमें से कितनी राशि वसूल की जा चुकी है? और कितनी शेष है व सरकार अब कब तक शेष राशि वसूल करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों का लेखा विधान सभा क्षेत्रवार संधारित नहीं किया जाकर, कोष एवं उप कोषवार संधारित किया जाता है। जिला भरतपुर में गत तीन वर्षों में विधवा पेंशनरों की उपकोषवार सूचना निम्नानुसार है:-

उप कोष का नाम	विधवा पेंशनरों की संख्या		
	2008-09	2009-10	2010-11
भरतपुर	1744	1976	2239
कामां	635	698	745
पहाड़ी	212	386	505
कुम्हेर	848	1024	903
नदबई	867	942	1029
नगर	684	493	742
डीग	767	884	673
बयाना	1227	1194	1198
रूपवास	1008	1177	1275
वैर	1450	1392	1590
कुल	**9442**	**10166**	**10899**

(2) भरतपुर जिले में अपात्र विधवा महिलाओं को पेंशन स्वीकृति की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायत प्राप्त होते ही शिकायत की पात्रता के संदर्भ में जांच करवाकर तदनुसार पेंशन जारी रखने/पेंशन निरस्त करने/वसूलने की कार्यवाही की जा रही है। कामां उपकोष में 11 विधवा पेंशनधारियों से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिन्हें जांच में सही पाये जाने पर निरस्त कर दिया गया है। शिकायत इसी परिप्रेक्ष्य में महिला एवं बाल विकास विभाग को उनके विभाग में कार्य करते हुए विधवा पेंशन प्राप्त करने वाली

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

महिलाओं की सूची भिजवाने बाबत लिखा जिसमें उनके द्वारा 175 महिलाएं चिन्हित की गई हैं।

(3) 11 अपात्र विधवाओं द्वारा आंगनबाड़ी में कार्य करते हुये पेंशन प्राप्त करने बाबत शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा कार्यवाही करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भरतपुर को जिम्मेदार विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, भरतपुर द्वारा कालान्तर में जिन 175 महिलाओं को चिन्हित किया गया उसके सम्बन्ध में 57 महिलाओं के प्रकरणों में उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, भरतपुर द्वारा पीपीओ नम्बर प्रेषित कि गये हैं। इसके सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भरतपुर को ग्रामीण विधवा पेंशनरों के सम्बन्ध में जिस विकास अधिकारी के परिक्षेत्र से सम्बन्धित गलत भुगतान हुआ है, उसे निरस्त करने तथा शहरी क्षेत्र में जिस उप खण्ड अधिकारी के परिक्षेत्र में गलत भुगतान हुआ है, की स्वीकृति निरस्त करने हेतु सम्बन्धित उप खण्ड अधिकारी को निर्देशित किया गया तथा सम्बन्धित उप खण्डाधिकारियों को नोटिस भी जारी किये गये। इस प्रकार वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही समानान्तर रूप से जारी है।

(4) पेंशन वसूली योग्य वास्तविक राशि का निर्धारण प्रक्रियाधीन है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चिन्हित 175 महिलाओं का मानदेय रोककर वसूली के आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं। पूर्व में जिन 11 महिलाओं बाबत शिकायत प्राप्त हुई थी, में से 9 महिलाओं से राशि रुपये 36,000 की वसूली की जा चुकी है। शेष प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही जारी है।

चौमूं में प्रस्तावित पशु चिकित्सा उप केन्द्र

228. **श्री भगवान सहाय सैनी** (चौमूं) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौमूं के गांवों में पशुओं की संख्या काफी अधिक है? क्या सरकार उक्त क्षेत्र के गांवों में पशु चिकित्सालय या पशु उप केन्द्रों की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(श्री भगवान सहाय सैनी)

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम आलीसर, महारकला, मोरीजा, भूतेडा, नांगलगोविन्द, सान्दरसर एवं घिनोई में पशुओं की अत्याधिक संख्या होते हुए भी कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों में पशु उप केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पशु चिकित्सा संस्थाऐं आवश्यकता एवं उपलब्धता अनुसार खोली जाती हैं।

(2) जी नहीं। ग्राम आलीसर, भूतेडा, सान्दरसर एवं घिनोई में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र संचालित हैं।

(3) पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं उपलब्धता अनुसार खोली जाती हैं।

माण्डलगढ़ में प्रस्तावित उचित मूल्य की दुकानें

229. **श्री प्रदीप कुमार सिंह** (माण्डलगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में उचित मूल्य की कुल कितनी दुकानें संचालित हैं?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं द्वारा कितनी दुकानों का संचालन किया जा रहा है व निजी वितरकों की संख्या कितनी है तथा कितने पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जहां उचित मूल्य की दुकानें नहीं है?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा माण्डलगढ़ में नई दुकानें खोलने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी? यदि हां, तो उसे क्यों रोका गया?

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में नई उचित मूल्य की दुकानें स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में वर्तमान में 71 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं।

(2) माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं द्वारा 21 दुकानों का संचालन किया जा रहा है तथा निजी वितरकों की संख्या 50 है। माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में समस्त पंचायत मुख्यालयों पर उचित मूल्य की दुकान कार्यरत है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(3) माण्डलगढ़ की रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों की दिनांक 02.06.2011 को विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र प्राप्त कर साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई थी, परन्तु विभागीय आदेश दिनांक 23.12.2011 से उचित मूल्य दुकान आबंटन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। अब रोक हटा ली गई है।

(4) जी हां। विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में नवसृजित उचित मूल्य दुकानें स्वीकृत कर विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र प्राप्त किए गए हैं। विभागीय आदेश दिनांक 21.02.2012 से आबंटन प्रक्रिया पर रोक हटा दी गई है। अतः शीघ्र ही आबंटन प्रक्रिया पूर्ण कर ली जावेगी। विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में 10 उचित मूल्य दुकानें नवसृजित कर विज्ञप्ति जारी की गई है।

जयपुर शहर के विद्युत उपभोक्ताओं के खराब विद्युत मीटर

230. **श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विद्युत वितरण निगम में उपभोक्ताओं को खराब मीटर बदलवाने व सही करवाने के लिये बार-बार विद्युत वितरण निगम में चक्कर लगाने पडते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मीटर सप्लाई करने वाली कम्पनियों पर कार्यवाही करने का विचार रखती है? उक्त के निराकरण हेतु सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जयपुर शहर में उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण निगम द्वारा नये मीटर महंगे एवं घटिया स्तर के खरीदकर लगाये जा रहे हैं? यदि हां, तो सरकार ऐसी खरीद पर कब तक रोक लगाने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार जयपुर शहर के उपभोक्ताओं के खराब मीटर लगने के कारण बिजली के बिल की राशि अधिक आने में उपभोक्ताओं को राहत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) अगर किसी उपभोक्ता को खराब मीटर के कारण बिल राशि से

(ऊर्जा मंत्री)

कोई शिकायत होती है तो उसके मीटर की जांच कराकर उसकी शिकायत का यथोचित निवारण किया जाता है। खराब पाये जाने पर मीटर नि:शुल्क बदला जाता है।

रूपवास (भरतपुर) की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

231. श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा तहसील रूपवास के खेरिया मोड़ से रूदावल कांदोली होकर बोकोली मोड़ तक सड़क निर्माण हेतु 53 करोड़ 30 लाख रुपये के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये थे? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क विगत तीन साल से टूटकर पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो चुकी है?

(3) क्या सरकार आवागमन में हो रही परेशानियों के मद्देनजर उक्त सड़क का नवीनीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ-2(68)/पी.डब्ल्यू./एस.एस./2000/डी-419 दिनांक 30.03.2010 (परिशिष्ट-1) के द्वारा भरतपुर-रूपवास-धौलपुर एवं खेरिया मोड़-बोकोली मोड़ सड़क (एस.एच.-23, एस.एच.-45 लम्बाई 86 कि.मी. अनुमानित लागत राशि रु. 150 करोड़) का विकास बी.ओ.टी. (टोल एवं एन्यूटी) पर राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के माध्यम से करने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई।

उक्त सड़कों के विकास कार्य हेतु निगम के द्वारा डी.पी.आर. को विभाजित कर खेरिया मोड से रूदावल कांदोली होकर बोकोली मोड़ तक सड़क निर्माण हेतु कुल राशि रु. 53.30 करोड़ की निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, परन्तु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अभाव में इन निविदाओं पर अग्रिम कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी।

(2) जी हां। उक्त सड़क के आस-पास स्थित खनन क्षेत्र के भारी एवं अधिक यातायात के कारण यह सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है।

(3) जी हां। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2012 को अन्तर्राज्यीय सम्पर्क सड़क योजना के अन्तर्गत खेरिया मोड़ से रूदावल होकर बोकोली मोड़ एवं खानुआ से फतेहपुर सीकरी सड़क के चौड़ाईकरण एवं सुदृढीकरण हेतु राशि रु. 1416.51 लाख की स्वीकृति जारी की गई है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। इस कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार के वित्त विभाग से प्राप्त होने के उपरान्त निविदा आमंत्रित करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

''मनरेगा'' रोजगार सहायकों को छठे वेतन आयोग का लाभ

232. **श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति नरेगा में रोजगार सहायकों को छठे वेतन आयोग का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार रोजगार सहायकों को स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। छठे वेतन आयोग का लाभ नरेगा में रोजगार सहायकों को देने का कोई विचार नही है क्योंकि रोजगार सहायक नियमित कर्मचारी नही होकर संविदा कार्मिक हैं एवं छठे वेतन आयोग का लाभ संविदा कर्मियों को देय नहीं है।

(2) जी नहीं। रोजगार सहायकों को स्थायी किये जाने का कोई विचार नही है क्योंकि योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद में होने वाला व्यय केन्द्र सरकार द्वारा देय है एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप योजनान्तर्गत स्थायी एवं नियमित पद सृजित नहीं किये जा सकते हैं।

हनुमानगढ़ जिले में आरक्षित वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति

233. **श्री अभिषेक मटोरिया** (नोहर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षो में हनुमानगढ़ जिले में एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. व अल्पसंख्यक वर्ग के कितने बच्चों को छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है? वर्षवार वितरित की गई छात्रवृत्तियों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

(2) उक्त छात्रवृत्ति वितरण के लिये वर्तमान में क्या-क्या नये प्रावधान किये गये हैं? प्रावधानों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त छात्रवृत्ति का वितरण निजी विद्यालयों व सरकारी विद्यालयों में किस आधार पर किया जाता है? निजी विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं देने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षो (2008-09, 2009-10 एवं 2010-11) में जिला हनुमानगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को वितरित छात्रवृत्ति का वर्षवार संख्या विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में दिनांक 1.7.2010 से अनुरक्षण भत्तों एवं आय सीमा, पाठ्यक्रम समूहों का वर्गीकरण आदि में संशोधन किया गया है। नये प्रावधानों की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में दिनांक 1.7.2011 से अनुरक्षण भत्तों, आय सीमा, पाठ्यक्रम समूहों के वर्गीकरण आदि में संशोधन किया है। नये प्रावधानों की प्रति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

अल्पसंख्यक उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में भारत सरकार द्वारा दिनांक 1.4.2011 से अनुरक्षण भत्तों में संशोधन किया गया है। नवीन प्रावधानों का विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में छात्राओं को देय छात्रवृत्ति की दरों में वर्ष 2009-10 में संशोधन किया गया है। नवीन प्रावधानों की प्रति परिशिष्ट 'य' पर संलग्न है।

(3) विद्यालय स्तर पर छात्रवृत्ति वितरण का कार्य शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है। शिक्षा विभाग की सूचना के अनुसार छात्रवृत्ति प्रावधानानुसार निजी विद्यालय एवं राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को समान रूप से चयनोपरान्त छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग की सूचना के अनुसार छात्रवृत्ति का वितरण निजी एवं सरकारी विद्यालयों में समान आधार पर किया जाता है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

पश्चिमी राजस्थान में उद्यानिकी विकास हेतु संचालित योजनाएं

234. श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत राज्य में उद्यानिकी को बढ़ावा देने की योजनाओं पर अमल किया जा रहा है? यदि हां, तो इस मिशन के तहत राज्य के जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों में बागवानी विकास की किन योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर में खजूर के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये एक नर्सरी की स्थापना की गई है? यदि हां, तो कब व इस सम्बन्ध में सरकार तथा निजी अनुबंधकर्ता के मध्य हुये अनुबंध तथा इस सम्बन्ध में संधारित पत्रावली की प्रति तथा वर्तमान प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि खजूर के उत्पादन के प्रति लोगों ने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत राज्य में उद्यानिकी को बढ़ावा देने की योजनाओं पर अमल किया जा रहा है। राज्य के जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर तथा जैसलमेर जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन में सम्मिलित हैं, इन जिलों में क्रियान्वित बागवानी विकास की योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। नर्सरी स्थापना का निर्णय दिनांक 28 नवम्बर, 2008 को लिया गया। इस सम्बन्ध में किये गये अनुबंध के दस्तावेज परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं। खजूर टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला एवं नर्सरी की स्थापना के सम्बन्ध में लिए गये निर्णय से सम्बन्धित संधारित पत्रावली के सुसंगत भाग पैरा-38/एन लगायत 41/एन की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

वर्तमान में खजूर उत्तक संवर्द्धन प्रयोगशाला का निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रयोगशाला में आवश्यक उपकरण स्थापित किये जाकर खजूर पौध उत्पादन कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

(कृषि मंत्री)

(3) जी नहीं। खजूर के उत्पादन के प्रति लोगों ने उत्साह दिखाया है। कार्यक्रम के प्रथम वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 अन्त तक जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों के कुल 131 कृषकों ने 347.11 हैक्टेयर क्षेत्र में खजूर पौध रोपण किया है। इसके अतिरिक्त 23 कृषकों के यहां 112.12 हैक्टेयर क्षेत्र में खजूर पौध रोपण कार्य प्रक्रियाधीन है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

कृषि जिन्सों के समर्थन मूल्य घोषित करने के मानदण्ड

235. **श्री प्रभुलाल सैनी** (हिण्डौली) व **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि मूल्य लागत आयोग सरकारों की अभिशंषा पर समर्थन मूल्य घोषित करता है? यदि हां, तो अभिशंषा हेतु जिन्स राशि निर्धारित करने के क्या प्रावधान है? प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा खरीफ एवं रबी के उत्पादित जिन्सों के समर्थन मूल्य में प्रत्येक वर्ष बढ़ोतरी की जाती है? यदि हां, तो वर्ष 2009 से फरवरी, 2012 तक किस-किस जिन्स की कितनी-कितनी राशि बढ़ाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त वर्षों में समर्थन मूल्य पर जिन्स खरीदने के तुलाई केन्द्र खोले गये हैं? यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कौन-कौन से जिले में कितने-कितने केन्द्र खोले गये तथा उन केन्द्रों पर कितनी-कितनी मात्रा में जिन्स किसानों से क्रय किये गये?

(4) क्या यह सही है कि समर्थन मूल्य तुलाई केन्द्रों पर तुलाई एजेंसी द्वारा एफ ए क्वालिटी का बहाना बनाकर किसानों की फसलें तुलवाई नहीं की जाती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार एफ ए क्वालिटी के मानदण्डों में परिवर्तन करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि जिन्सों का समर्थन मूल्य कृषि मूल्य और लागत आयोग की अभिशंषा पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण से सम्बन्धित पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) वर्ष 2009 से 2012 तक की अवधि में जिन्स की जितनी-जितनी राशि बढ़ाई गई, उसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2009 से 2012 तक कुल जिन्स के क्रय केन्द्र तथा खरीदी गई मात्रा के विवरण की सूची परिशिष्ट-2(1) व 2(2) पर संलग्न है।

(4) न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जिन्स की खरीद के समय खरीद केन्द्रों पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता, मापदण्ड (एफ.ए.क्यू. नार्म्स) के अनुसार ही माल क्रय किया जाना होता है और समर्थन मूल्य खरीद के समय सभी जिन्स, जो एफ.ए.क्यू. नार्म्स में आते हैं, उसे क्रय किया जाता है। एफ.ए.क्यू. मापदण्डों में परिवर्तन भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है।

(प्रतियां, विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

भीलवाड़ा जिले के डार्क जोन क्षेत्र घोषित तहसीलों में हैण्डपम्प एवं ट्यूबवैल पर रोक

236. **श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भीलवाड़ा जिले में डार्क जोन की तहसीलों में हैण्डपम्प व ट्यूबवेल पर रोक लगा रखी है। यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

नहीं। यह सही नहीं है कि सरकार द्वारा भीलवाड़ा जिले में डार्क जोन की तहसीलों में हैण्डपम्प, ट्यूबवेल पर रोक लगा रखी है। वस्तुतः समस्त राज्य में नये नलकूप/बोरवैल/भूजल दोहन की अन्य यूनिट के निर्माण हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश एवं तदनुसार राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुरूप सक्षम अधिकारी (सम्बन्धित जिला कलक्टर) से अनुमति ली जाना अनिवार्य है।

नसीराबाद यार्ड (अजमेर) पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण

237. **श्री महेन्द्र सिंह** (नसीराबाद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार समपार फाटक संख्या 18 नसीराबाद यार्ड पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री महेन्द्र सिंह)

(2) क्या यह सही है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में वित्तीय वर्ष 2011-12 में उक्त समपार फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण करने की घोषणा की थी? यदि हां, तो अब तक उक्त कार्य की क्या प्रगति हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। नसीराबाद-मांगलियावास-पीसांगन सड़क के कि.मी. 3 में स्थित समपार फाटक संख्या 18 नसीराबाद यार्ड पर आर.ओ.बी. निर्माण हेतु उत्तर पश्चिम रेलवे के पत्र दिनांक 25.02.2007 (परिशिष्ट-1) के संदर्भ में रक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र दिनांक 10.09.2009 (परिशिष्ट-2) के द्वारा 50 प्रतिशत हिस्सा वहन करने, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु आग्रह किया गया। इस सन्दर्भ में स्टेशन कमाण्डर छावनी नसीराबाद ने उनके पत्र क्रमांक 212/3/Q दिनांक 07.06.2010 (परिशिष्ट-3) द्वारा उक्त आर.ओ.बी. निर्माण के अन्य विकल्प के तौर पर बाईपास निर्माण के प्रस्ताव की पुनः समीक्षा के लिये लिखा है। उक्त कार्य हेतु अभी तक कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में वित्तीय वर्ष 2011-12 में 32 आर.ओ.बी. निर्माण कराने की घोषणा की गई (परिशिष्ट-4) जिसमें समपार फाटक संख्या 18 नसीराबाद यार्ड आर.ओ.बी. के निर्माण की घोषणा सम्मिलित नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

झाड़ोल के विद्यालयों में पोषाहार वितरण की प्राप्त शिकायतें

238. **श्री बाबूलाल खराड़ी** (झाडोल) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झाडोल में विद्यालय पोषाहार वितरण में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कब तथा कहां-कहां कितनी शिकायतें प्राप्त हुई व सरकार द्वारा उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झाडोल में विद्यालय पोषाहार वितरण में अनियमितताओं की शिकायतें दर्ज हुई हैं। झाडोल क्षेत्र के 5 विद्यालयों में एवं कोटड़ा क्षेत्र के 12 विद्यालयों में खाद्यान्न समय पर वितरण नहीं होने की सूचना प्राप्त हुई। जिले द्वारा इस पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

वृद्धजनों को पेंशन पात्रता हेतु निर्धारित आयु में संशोधन/छूट

239. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2003 में वृद्धों को दी जाने वाली राज्य स्तरीय एवं राष्ट्र स्तरीय पेंशन योजना में वृद्ध पुरुष एवं महिला की पेंशन पाने हेतु क्या-क्या आयु सीमा निर्धारित की गई थी? आयु सीमा अनुसार तत्कालीन समय में देय पेंशन का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में वृद्धजनों को देय राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय पेंशन योजना में वृद्धजनों की आयुसीमा जरूरत से ज्यादा बढ़ा दी गई है तथा आयु सीमा को कम ज्यादा करते हुए पेंशन राशि भी कम ज्यादा करके वृद्धजनों के साथ भेदभाव किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त दोनों ही प्रकार की पेंशन योजनाओं में बढ़ाई गई आयु सीमा एवं आयु सीमा अनुसार देय कम ज्यादा पेंशन राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वर्ष 2003 की भांति 58 वर्ष या इससे अधिक के वृद्ध पुरुष एवं 55 वर्ष या इससे अधिक आयुवर्ग की वृद्ध महिलाओं को वर्तमान में जो पेंशन राशि 65 वर्ष या उससे अधिक आयुवर्ग के वृद्धजनों को दी जा रही है, के समान दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2003 में राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला एवं 58 वर्ष व अधिक आयु के पुरुष को पेंशन देय थी। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत 65 वर्ष व अधिक आयु के वृद्धों को पेंशन देय थी। वर्ष 2003 में राष्ट्रीय एवं राज्य पेंशन योजनान्तर्गत प्रभावी पेंशन दर निम्नानुसार थी:-

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

1.	55 वर्ष व अधिक आयु की महिला	रु. 200 प्रतिमाह
2.	58 वर्ष से अधिक किन्तु 65 वर्ष तक का पुरुष	रु. 100 प्रतिमाह
3.	65 वर्ष व अधिक आयु के पुरुष	रु. 200 प्रतिमाह
4.	पति-पत्नी (संयुक्त पेंशन)	रु. 300 प्रतिमाह

(2) जी नहीं। राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 के अन्तर्गत 58 वर्ष व अधिक आयु के पुरुष एवं 55 वर्ष व अधिक आयु की महिलाओं को पात्रतानुसार वृद्धावस्था पेंशन देय है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन देय है।

दिनांक 01.04.2010 से 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रु. 500/- प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रु. 750/- प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है।

(3) वर्तमान में दिनांक 01.04.2010 से 58 वर्ष व अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पुरुष तथा 55 वर्ष व अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को रु. 500/- प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है। 75 वर्ष व अधिक आयु के वृद्ध (स्त्री/पुरुष) को रुपये 750/- प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है।

पशुपालकों के कल्याण हेतु प्रस्तावित नवीन योजना

240. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा जनवरी 2009 से जनवरी, 2012 तक पशुपालक वर्ग के कल्याण हेतु क्या-क्या योजनायें संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा जनवरी, 2009 से जनवरी, 2012 तक पशुपालक वर्ग के कल्याण हेतु लागू की गई योजनाओं में कितने लोगों को लाभान्वित किया गया? जिले व विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पशुपालक वर्ग के लिये पूर्व में संचालित पशुपालक बीमा योजना में पशुपालकों को लाभान्वित नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(श्री ओटाराम देवासी)

(4) क्या सरकार पशुपालकों के कल्याण हेतु नवीन योजना लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा पशुपालक वर्ग के कल्याण के लिए वर्ष 2009 से जनवरी, 2012 तक विशेष पिछड़ा वर्ग जिसमें पशुपालक वर्ग भी सम्मिलित है, को निम्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया गया है :-

1. विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
2. विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु अनुप्रति योजना
3. देवनारायण आवासीय विद्यालय योजना
4. विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु छात्रावास योजना
5. विभाग के अधीन राईस द्वारा पशुपालकों के बालकों हेतु दो आवासीय विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं - (1) हरियाली (जिला जालौर), (2) धनवाड़ा (जिला झालावाड़)।

(2) जनवरी 2009 से मार्च 2010 तक कोई योजना का संचालन नहीं किया गया तथा वर्ष 2010-11 से जनवरी 2012 तक संचालित योजनाओं का विवरण क्रमश: परिशिष्ट 1, 2, 3, 4 पर उपलब्ध है।

साथ ही आवासीय विद्यालयों हरियाली (विधान सभा क्षेत्र आहोर) जिला जालौर में 1008 बच्चे व धनवाड़ा (विधान सभा क्षेत्र झालरापाटन) जिला झालावाड़ में 106 बच्चे लाभान्वित हुए हैं।

(3) जी नहीं। वर्तमान में गौपालक एवं गौरक्षक बीमा योजना अन्तर्गत पशुपालकों को लाभान्वित किया जा रहा है। साथ ही भेड़पालकों एवं ऊंट पालकों को यह लाभ दिलवाने हेतु बीमा कम्पनियों द्वारा प्रेषित दरों का अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।

(4) जी हां। सागवाड़ा (डूंगरपुर) में वर्ष 2012-13 से नया आवासीय विद्यालय संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

टोंक जिले हेतु प्रस्तावित नवीन पेयजल योजनाएं

413. श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में नवीन पेयजल योजनाओं के लिए वितीय वर्ष 2011-12 में बजट स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो किस-किस योजना में कितना-कितना बजट? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त बजट में जिला टोंक के लिए नवीन पेयजल योजना हेतु बजट स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना-कितना बजट कौन-कौनसी योजना में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां । राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की शहरी/ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 में विभिन्न मदों में जिलेवार आबंटित बजट सम्बन्ध विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(2) जी हां । उक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 में टोंक जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुचारू बनाये रखने हेतु उपलब्ध कराये गये बजट एवं स्वीकृत योजनाओं सम्बन्ध वांछित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नदबई के पेयजल समस्याग्रस्त ग्राम

414. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर 'दीपा' (नदबई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गांव अस्तल एवं सालिमपुर (नदबई) में पेयजल समस्या है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त गांवों में डीप बोर लगाया जाना प्रस्तावित किया गया है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह सही है कि गांव बछामदी एवं रौलीदान की पुरानी पानी की टंकी क्षतिग्रस्त होने के कारण नष्ट कर दी गई है? क्या सरकार उक्त टंकियों के स्थान पर नई पानी की टंकी निर्माण कराये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नदबई के हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित ग्राम

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

अस्तल में कम गहराई पर भू-जल उपलब्धता में कमी एवं अधिक गहराई पर पानी की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होने के कारण पेयजल समस्या है । ग्राम में वर्तमान में कम गहराई के 2 क्रियाशील हैण्डपम्पों से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। ग्राम की पेयजल समस्या के निदान हेतु दूरस्थ जल स्रोत लेकर बनाई गई योजना की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2012-13 में जारी कर क्रियान्वयन प्रारम्भ करने के पूर्ण प्रयास किये जायेंगे ।

उक्त क्षेत्र के ग्राम सालिमपुर (जनसंख्या वर्ष 2001=1044) में वर्तमान में क्रियाशील 2 सिंगल फेस नलकूप एवं 9 हैण्डपम्पों से निर्धारित मात्रा एवं गुणवत्ता अनुरूप पेयजल आपूर्ति होने के कारण कोई समस्या नहीं है।

(2) उक्त क्षेत्र के ग्राम बछामदी स्थित क्षतिग्रस्त उच्च जलाशय को वर्ष 2008 में गिराया जाकर, ग्राम में निर्मित 2 नलकूपों से सार्वजनिक नलों के माध्यम से तथा इसके अतिरिक्त 14 क्रियाशील हैण्डपम्पों से वर्तमान में पेयजल आपूर्ति की जा रही है ।

उक्त क्षेत्र में रौलीदान नाम से कोई ग्राम नहीं है अपितु जनता जल योजना अन्तर्गत संचालित ग्राम बरौलीरान स्थित क्षतिग्रस्त उच्च जलाशय को वर्ष 2008 में गिराया जाकर, ग्राम में निर्मित 1 नलकूप से सार्वजनिक नलों के माध्यम से तथा 24 क्रियाशील हैण्डपम्पों से वर्तमान में पेयजल आपूर्ति की जा रही है ।

उक्त दोनों ग्रामों की वर्ष 2001 की जनगणनानुसार जनसंख्या 4000 से कम होने के कारण इनमें उच्च जलाशय बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है ।

कठूमर के ग्रामों हेतु शुद्ध पेयजल आपूर्ति

415. **श्री बाबूलाल बैरवा** (कठूमर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर के कितने गांवों में खारे पानी की समस्या है? खारे पानी के ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त खारे पानी वाले ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर के 65 ग्रामों के स्थानीय जल स्रोतों में

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

टी.डी.एस. की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा से अधिक होने के कारण पानी खारा है । वांछित सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(2) जी हां । खारे पानी की समस्या से प्रभावित उक्त 65 ग्रामों में से 15 ग्रामों को दूरस्थ पेयजल स्रोत लेकर मानक गुणवत्ता के पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है ।

उक्त क्षेत्र के एक ग्राम टिटपुरी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत योजना के कार्य प्रगति पर हैं तथा अन्य चार ग्राम क्रमशः बहरामपुर, मकरेटा, कैमला एवं टैंटपुर की योजना हेतु जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उपरांत निविदा सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । क्षेत्र के शेष 45 ग्रामों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु स्थाई जल स्रोतों के चयन हेतु भू-जल वैज्ञानिक की राय ली जाकर तदुपरांत अग्रिम कार्यवाही की जावेगी । इन ग्रामों में आवश्यकता एवं मांग अनुसार ग्रीष्म में टैंकरों द्वारा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जावेगा ।

(सूची पुस्तकालय में रखी रखी)

उदयपुर ग्रामीण के पेयजल समस्याग्रस्त ग्राम

416. श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में स्व. मोहनलाल सुखाड़िया जल संवर्द्धन योजना से निकलने वाली सुरंग काफी गहरी होने से ग्राम पंचायत बच्छार एवं डोडावली के गांव डोडावली, करनाली, सुराणा, डाबरमाल, रायता, पिपलिया, नयागुडा, बोरावखेड़ा एवं मादड़ी आदि में वाटर लेवल नीचे चला गया है? क्या उक्त कारण उक्त क्षेत्र के निवासियों को पेयजल/सिंचाई की भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? क्या सरकार उक्त क्षेत्र के निवासियों हेतु पेयजल की स्थायी व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या, कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। स्वीकृत स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया जल संवर्द्धन योजना अन्तर्गत पेयजल हेतु निर्माणाधीन टनल के कारण निकल रहे पानी की डि-वाटरिंग किये जाने के फलस्वरूप वर्णित ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में भू-जल स्तर में गिरावट आई है। निर्माणाधीन टनल में लाइनिंग कार्य पूर्ण होने के उपरांत

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(माह अप्रैल, 2012 तक प्रस्तावित) उक्त कारण से भू-जल स्तर में और गिरावट होना संभावित नहीं है तथा इस वर्ष वर्षा के उपरांत भू-जल स्तर में अपेक्षित वृद्धि सम्भावित है ।

वर्णित समस्त ग्रामों में स्थापित पर्याप्त क्रियाशील हैण्डपम्पों से वर्तमान में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। आवश्यकता होने पर आगामी ग्रीष्म में टैंकर परिवहन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जावेगा । ग्रामवार वर्तमान पेयजल आपूर्ति का विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है ।

परिशिष्ट 'अ'

उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र,की ग्राम पंचायत बच्छार एवं डोडावली के गांवों में वर्तमान पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का विवरण

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	जनसंख्या वर्ष 2001	स्थापित हैण्डपम्पों का विवरण		
			कुल स्थापित	सीजनल/ सूखे	क्रियाशील
1	मादडी	578	14	4	10
2	सुराणा	604	11	2	9
3	डोडावली	1660	20	8	12
4	करनाली	809	11	6	5
5	डाबरमाला (ग्राम करनाली का फला)		2	0	2
6	रायता	586	12	4	8
7	पिपलिया	546	10	4	6
8	नयागुडा	2145	26	4	22
9	बोरों का खेड़ा	182	4	1	3

फलौदी के कृषि कार्यालयों में रिक्त पद

417. श्री ओम जोशी (फलौदी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी की पंचायत समिति फलौदी एवं बाप में वर्तमान में कृषि विभाग के अधीन कितने पद कब से रिक्त हैं? पदनामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ओम जोशी)

(2) उक्त रिक्त पदों पर यथासमय पदस्थापन नहीं करने के क्या कारण हैं?

(3) क्या सरकार अब उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी की पंचायत समिति फलौदी एवं बाप में वर्तमान में सहायक कृषि अधिकारी का एक पद दि. 19.02.2010 से रिक्त है तथा पंचायत समिति फलौदी में विधान सभा क्षेत्र लोहावट में सहायक कृषि अधिकारी का एक पद दि. 01.07.2009 से रिक्त है।

(2) सहायक कृषि अधिकारी की सीधी भर्ती के पद रिक्त होने व पदौन्नति के पदों पर माननीय न्यायालय में प्रकरण लम्बित होने से पदौन्नति नहीं होने के कारण पद रिक्त है।

(3) विभाग में सहायक कृषि अधिकारी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई राजस्थान लोक सेवा आयोग में प्रकियाधीन है। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर पदस्थापन सम्भव होगा।

अलवर जिले में नकली खाद/बीज से प्रभावित कृषकों को मुआवजा

418. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर में बीज निगम द्वारा किन-किन बीजों को प्रमाणित किया जाता है तथा उन्हें प्रमाणित करने हेतु क्या मानदण्ड हैं? मानदण्डों की प्रति एवं बीजों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में गत 3 वर्षों में कितने प्रकरण नकली बीजों के सामने आये तथा उक्त प्रकरणों में क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि चालू वित्तीय वर्ष में किसानों को यूरिया डी.ए.पी. की आपूर्ति मांग की मात्रा के अपेक्षित कम मात्रा में की गयी है, जिससे किसानों को भारी समस्या, कालाबाजारी का सामना करना पड़ा? क्या उक्त कारण किसानों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता प्रभावित हुई है? सरकार आगामी वर्ष में किसानों को खाद, उर्वरक उपलब्ध कराये जाने की क्या कार्य योजना बनाने का विचार रखती है?

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(4) क्या यह सही है कि जिला अलवर में हाल ही में हुई बरसात एवं ओलावृष्टि से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के कुछ ग्रामों में फसलों में भारी तबाही हुई है? क्या सरकार उक्त किसानों का सर्वे करवाकर मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राज्य में बीज प्रमाणीकरण का कार्य राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था द्वारा किया जाता है। गत वर्ष जिला अलवर में प्रमाणीकरण संस्था द्वारा राजस्थान राज्य बीज निगम का रबी में गेहूं, जौ, चना व सरसों तथा खरीफ में अरहर, तिल व ग्वार के आधार व प्रमाणित बीजों का प्रमाणीकरण किया गया। इन बीजों का प्रमाणीकरण भारत सरकार द्वारा भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जाता है। उक्त फसलों के निर्धारित मापदण्डों के फोटो प्रति परिशिष्ट-। (7 पृष्ठ) पर संलग्न है।

(2) अलवर जिले में गत 3 वर्षों में नकली बीज के कोई प्रकरण सामने नहीं आये हैं, परन्तु बीज निरीक्षकों द्वारा लिये गये नमूनों के प्रयोगशाला में विश्लेषण उपरान्त अमानक पाये गये नमूनों एवं इस संदर्भ में की गई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है :-

गत 3 वर्षों में लिये गये कुल नमूनों की संख्या	कुल अमानक नमूनों की संख्या	कार्यवाही का विवरण		
		इस्तगासा दायर	प्रक्रिया में	विभाग द्वारा चेतावनी देकर प्रकरण समाप्त
1138	30	22	02	06

(3) जिला अलवर में चालू वित्तीय वर्ष में किसानों को यूरिया व डीएपी की आपूर्ति विभिन्न सहकारी संस्थाओं/निजी विक्रेताओं द्वारा मांग के अनुरूप की गई थी । भण्डारण एवं रैक की व्यवस्थाओं में कुछ समय लगने के कारण आपूर्ति में अल्प विलम्ब हुआ। उर्वरक की आपूर्ति के कारण फसलों की गुण्वत्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ा। चालू वित्तीय वर्ष में जिला अलवर में मांग की तुलना में मुख्य उर्वरक यूरिया, डीएपी व अन्य उर्वरकों के वितरण का विवरण निम्नानुसार है:-

(कृषि मंत्री)

इकाई- मै.टन

उर्वरक	आंकलित मांग		वितरण	
	खरीफ, 2011	रबी, 2011-12	खरीफ, 2011	रबी (जनवरी, 2012 तक)
यूरिया	34600	44000	31663	40264
डीएपी	26750	17425	25716	12495
एसएसपी	2550	4100	1445	692
काम्पलैक्स	2715	2055	345	553

(4) इस सम्बन्ध में पात्र कृषकों को नियमानुसार आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मुआवजा देने की घोषणा की जा चुकी है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

रायसिंहनगर में कृषि कार्मिकों के रिक्त पद

419. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंह-नगर में कृषि अधिकारियों/कर्मचारियों के कुल स्वीकृत पद कितने हैं व कितने पद किस श्रेणी के रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में कृषि एवं उद्यान विभाग के कृषि अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पद निम्न प्रकार हैं :-

क्र.सं.	नाम पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	सहायक निदेशक कृषि	1	0
2	कृषि अधिकारी	2	0
3	सहायक कृषि अधिकारी	8	3
4	कृषि पर्यवेक्षक	58	21
5	कृषि अन्वेषक	1	1
6	वरिष्ठ लिपिक	1	1
7	कनिष्ठ लिपिक	2	1
8	कनिष्ठ लेखाकार	1	0
9	सहायक कर्मचारी	1	0

(कृषि मंत्री)

(2) जी हां। सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिसके पूर्ण होने पर प्रशासनिक प्राथमिकता के आधार पर रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जावेगा।

भरतपुर जिले में खाद एवं बीज की मांग एवं आपूर्ति

420. श्री बहादुर सिंह (वैर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला भरतपुर के किसानों की रबी की फसल हेतु वर्ष 2011-12 में कितनी यूरिया व डी.ए.पी. खाद की मांग थी व सरकार द्वारा कितनी खाद की आपूर्ति की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि रबी की फसल की बुवाई के समय भरतपुर जिले में खाद की कालाबाजारी की जा रही थी और खाद को यूपी में भेजा जा रहा था? यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्तियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) वैर तहसील क्षेत्र में रबी की फसल के लिये कितनी मात्रा में यूरिया खाद की आपूर्ति की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में वर्ष 2011-12 के रबी मौसम में यूरिया व डीएपी की आंकलित मांग क्रमशः 46900 मै.टन व 20700 मै.टन के विरूद्ध माह फरवरी, 2012 तक 44281 मै.टन यूरिया व 16676 मै.टन डीएपी की आपूर्ति विभिन्न निर्माताओं/आयातकों द्वारा की गई है।

(2) पडौसी राज्यों में उर्वरकों के संचालन रोकने हेतु कृषि विभाग द्वारा समस्त जिला कलक्टर से आग्रह किया गया तथा आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन व कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मियों की निगरानी में उर्वरकों का वितरण करवाया गया। भरतपुर जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायत प्राप्त होने पर कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा 7 प्रकरणों में उर्वरक की जब्ती कर 6 ए के तहत जिला कलक्टर भरतपुर के यहां न्यायिक कार्यवाही की गई है। 4 प्रकरणों में सम्बन्धित पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उर्वरक विक्रय में अनियमितता पाये जाने पर 1 उर्वरक विक्रेता का प्राधिकार पत्र निरस्त व 4 उर्वरक विक्रेताओं के प्राधिकार पत्र निलम्बित किये गये।

(कृषि मंत्री)

(3) वैर तहसील में रबी फसल के लिए फरवरी, 2012 तक 5350 मै.टन यूरिया की आपूर्ति विभिन्न निर्माताओं/आयातकों द्वारा की गई है। वैर तहसील में रबी 2011-12 में माह फरवरी, 2012 तक यूरिया आपूर्ति का कम्पनीवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

वैर तहसील में रबी 2011-12 में माह फरवरी, 2012 तक यूरिया आपूर्ति का कम्पनीवार विवरण

क्र.सं.	कम्पनी	आपूर्तित यूरिया (मात्रा मै. टन)
1	मै. श्रीराम फर्टी. एण्ड कैमी. लि.	272
2	मै. कृभको लि.	414
3	मै. चम्बल फर्टी. लि.	1975
4	मै. आईपीएल	124
5	मै. इफको लि.	2318
6	मै. आरसीएफ लि.	192
7	मै. जीएसएफसी	55
	कुल योग	**5350**

जयपुर जिले में बागवानी मिशन योजना में व्याप्त अनियमितताएं

421. श्रीमती अंजु खन्गवाल (बस्सी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं कृषि विभाग द्वारा कौन-कौनसी योजनायें वर्तमान में संचालित की जा रही हैं?

(2) उक्त योजनाओं में जयपुर जिले में गत 3 वर्ष में किस-किस व्यक्ति को कितना-कितना ऋण और अनुदान दिया गया? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार को जिले में गलत अनुदान उठाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किस-किस की तथा प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) प्रदेश में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत नर्सरी विकास, बीज ढांचागत विकास, फल बगीचों की स्थापना, मशरूम, लूज फ्लावार के बगीचों की स्थापना (देशी गुलाब), मसाला बगीचों की स्थापना, पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार, जलस्त्रोतों का विकास, संरक्षित खेती, जैविक खेती (वर्मी कम्पोस्ट यूनिट), मधुमक्खी पालन, उद्यानिकी में यांत्रिकरण, मानव संसाधन विकास, फसलोत्तर प्रबन्धन एवं बागवानी उत्पादों हेतु विपणन आधारभूत ढांचों की स्थापना आदि योजनायें संचालित की जा रही हैं।

कृषि विभाग द्वारा राज्य योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं अन्तर्गत आइसोपाम (तिलहन, दलहन एवं मक्का की समेकित योजना), कार्य योजना, गहन कपास विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं आत्मा आदि योजनायें संचालित की जा रही हैं।

(2) उद्यान निदेशालय से प्राप्त अब तक की सूचना के आधार पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना में जयपुर जिले में तहसीलवार गत 3 वर्षों में दिए गये अनुदान की संकलित सूचियां परिशिष्ट-1 (पेज संख्या 1 से 14 तक) पर संलग्न है।

उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिष्द, जयपुर से प्राप्त अब तक की सूचना के आधार पर कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में जयपुर जिले में तहसीलवार विभिन्न कम्पोनेन्टवार गत 3 वर्षों में लाभान्वित कृषकों का विवरण परिशिष्ट-1 (पेज संख्या 15 से 28) पर संलग्न है। उक्त बागवानी मिशन व कृषि विभाग की योजनाओं में विभिन्न कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत तहसीलवार लाभान्वित कृषकों की विस्तृत सूचियां संलग्न हैं।

(3) जी हां। उद्यान विभाग जिला जयपुर की प्राप्त शिकायतों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार व विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 एवं 3 पर संलग्न है।

सहायक निदेशक उद्यान कार्यालय जयपुर में कार्यरत कतिपय कार्मिकों के विरुद्ध (1) श्री देवकरण मीणा, जमवारामगढ़, जयपुर एवं (2) जयपुर ड्रिप डीलर एसोसिएशन, जयपुर, पंचायत समिति, फुलेरा, कृषक समूह, पंचायत समिति, रामगढ़, कृषक समूह, पंचायत समिति, दूदू, कृषक समूह, पंचायत समिति, फागी, कृषक समूह द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो विभाग द्वारा जांच करवाने पर सत्य नहीं पाई गई। जांच प्रतिवेदन परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(कृषि मंत्री)

राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत सहायक निदेशक उद्यान, दुर्गापुरा, जयपुर के माध्यम से दिनांक 13.01.2012 को मैसर्स शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी, अनाज मण्डी के सामने, बस्सी के विरुद्ध मिलीभगत कर अनुचित तरीके से अनुदान राशि उठाने की शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत के क्रम में सहायक निदेशक उद्यान, दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध दिनांक 18.01.2012 को पुलिस थाना शिप्रापथ, मानसरोवर, जयपुर में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई तथा सम्बन्धित फर्म के कार्य करने पर रोक सम्बन्धी आदेश निदेशालय स्तर से दिनांक 25.01.2012 को जारी किए गये। प्राथमिकी एवं दिनांक 25.01.2012 के आदेश की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

कृषि विभाग में सरकार को जयपुर जिले में गलत अनुदान उठाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(सूचियां, विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

भारतीय खाद्य निगम से राज्य को प्राप्त गेहूं की गुणवत्ता की जांच

422. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक भारतीय खाद्य निगम से कितना-कितना गेहूं लिया गया? इसमें से कितने-कितने गेहूं को जिलों में वितरित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त गेहूं में से कितने गेहूं की जांच की गई व उसमें से कितना गेहूं खराब पाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार को आबंटित गेहूं भारतीय खाद्य निगम द्वारा पूरा जारी कर दिया गया था? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक के आबंटन एवं उठाव का वर्षवार/जिलावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त गेहूं के सैम्पल लिए जाकर रेण्डम

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

पद्धति से जांच की जाती है। उपरोक्त अवधि में भारतीय खाद्य निगम से जो भी गेहूं उठाया गया, उसमें खराब गेहूं नहीं पाया गया।

(3) जी हां। भारतीय खाद्य निगम द्वारा आबंटित गेहूं को जिलों द्वारा किए गए उठाव के विरुद्ध पूर्ण मात्रा में जारी किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले के दूर-दराज क्षेत्रों में रसोई गैस आपूर्ति हेतु कार्य योजना

423. **श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकारी तेल कम्पनियों के रसोई गैस वितरकों को उनके पंजीकृत उपभोक्ताओं के पते पर होम डिलीवरी सम्बन्ध क्या-क्या प्रावधान हैं?

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जैसे रेगिस्तानी जिलों में जहां जिला मुख्यालय से 50 से 70 किमी की दूरी पर पंजीकृत उपभोक्ता हैं वहां पर परिवहन व्यय दर बहुत कम होने के कारण गैस की डिलीवरी सही तरीके से नहीं हो पा रही है ?

(3) क्या सरकार पंजीकृत उपभोक्ताओं तक गैस आपूर्ति सुगम करने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ 17(7)खा.वि./विधि/06 दिनांक 23.12.2011 के अनुसार पंजीकृत उपभोक्ताओं के लिए गैस वितरक द्वारा उनके प्राधिकृत व्यापार स्थल/गोदाम की 15 किमी. की परिधि में उन्हें रसोई गैस की निर्धारित खुदरा विक्रय दर पर होम डिलीवरी देय होने का प्रावधान है।

(2) शहरी वितरक का निर्धारित बिक्री क्षेत्र नगरपालिका सीमा होता है और शहरी/ग्रामीण तथा ग्रामीण वितरक का बिक्री क्षेत्र 15 किमी. का दायरा होता है। एलपीजी वितरकों से यह अपेक्षित है, कि वे अपने बिक्री क्षेत्र में बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के होम डिलीवरी करें।

(3) उपभोक्ताओं तक गैस आपूर्ति सुगम करने हेतु भारतीय तेल निगम द्वारा आरजीजीएलवी वितरकों के लिए विज्ञापन निकाले गये हैं तथा

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

इन्द्राणा, गडरा रोड, रामसर, पादरू एवं शिव में आरजीजीएलवी वितरक नियुक्त किये जा चुके हैं, इसके अतिरिक्त भूंका, कल्याणपुर और पारलू में भी शीघ्र आरजीजीएलवी वितरक आने की संभावना है। साथ ही आसोतरा, गुढामलानी, बावडीकलां, बुरहान का तला, खारा राठौडां में उम्मीदवारों के कागजातों की जांच चल रही है, सही पाये जाने पर उन्हें आशय पत्र दिया जायेगा। जसोल, मोकलसर, आलमसर, गंगासर, पाटोदी, शोभाला में भी आरजीजीएलवी प्रस्तावित है, जिनकी चुनाव प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त बायतू (एचपीसी की), धोरीमन्ना (बीपीसी की), सिनधारी (आईओसी की), पचपदरा (आईओसी की) में विपणन योजना के अन्तर्गत एजेन्सी प्रस्तावित है।

सहकारी सुपर मार्केट को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नियम विरुद्ध आबंटित राशन सामग्री

424. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2009 में ए.पी.एल. श्रेणी के उपभोक्ताओं को आटा वितरण करने के लिए डेयरी बूथों व सहकारी सुपर मार्केट में आटा रखवाया गया था? यदि हां, तो उन्हें प्राधिकार-पत्र कब प्राप्त हुआ?

(2) क्या सहकारी सुपर मार्केट को अब तक लाइसेंस नहीं मिले? यदि हां, तो बिना अधिकार पत्र जारी किये सहकारी भंडारों व सुपर मार्केट में नवम्बर, 2010 तक आटा कैसे पहुंचाया गया तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा वर्ष 2009 में सम्भागीय मुख्यालयों की नगरीय सीमा में एपीएल के गेहूं का आटा तैयार कर सरस डेयरी बूथ/उपभोक्ता भण्डारों के माध्यम से वितरण/विक्रय के निर्देश जारी किए थे। डेयरी बूथ/उपभोक्ता भण्डारों को प्राधिकार पत्र जारी करने के बारे में विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) बिन्दु संख्या 1 के अनुसार डेयरी बूथ/उपभोक्ता भण्डारों को प्राधिकार पत्र जारी करने के बारे में विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। राज्य

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

सरकार के आदेश दिनांक 16.05.1977 एवं 26.10.1977 द्वारा यह व्यवस्था की हुई है कि यदि किसी सहकारी संस्था/भण्डार की एक से अधिक अधिकृत राशन की दुकानें संचालित हैं तो उसे उसकी सभी दुकानों के लिए एक ही प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकता है। उक्त व्यवस्था के तहत सहकारी उपभोक्ता भण्डार के अन्तर्गत सहकारी सुपर मार्केट द्वारा कार्य किए जाने के कारण पृथक से प्राधिकार पत्र जारी नहीं किये गये थे। आदेशों की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

राजसमन्द जिले में राज्यावास-सूरजपुरा-ओडा सड़क निर्माण कार्य

425. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला राजसमन्द में सूरजपुरा चौराहे से कांकरौली रेलवे स्टेशन तक सड़क निर्माण के लिये कितनी वित्तीय स्वीकृति जारी की गई?

(2) क्या उक्त सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है? यदि नहीं, तो कौनसा खण्ड पूर्ण नहीं हुआ है और उक्त सड़क निर्माण कार्य पर वास्तविक व्यय कितना हुआ?

(3) क्या माली खेड़ा से सूरजपुरा एवं राज्यावास से ओड़ा सड़क कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला राजसमन्द में सूरजपुरा चौराहे से कांकरोली तक सड़क चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए तीन भाग में कुल 44.10 कि.मी. लम्बाई हेतु रु. 1327.86 लाख की स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (थ्रू-रूट) में प्राप्त हुई। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) स्वीकृति अनुसार उक्त सड़क के तीनों भागों का कार्य पूर्ण हो चुका है, इन पर कुल रु. 1089.86 लाख का व्यय किया गया है, विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। माली खेड़ा से सूरजपुरा तक 1.25 कि.मी. एवं राज्यावास से ओड़ा तक 3.00 कि.मी. के भाग में चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति नहीं होने से कार्य नहीं कराया गया है। सड़क के इस भाग में वर्तमान में चौड़ाई 3.00 मीटर है।

(3) माली खेड़ा से सूरजपुरा एवं राज्यावास से ओड़ा सड़क के भाग में

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

चौड़ाइकरण एवं सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति नहीं होने से कार्य नहीं कराया गया है।

परिशिष्ट-1

सूरजपुरा चौराहे से कांकरोली रेलवे स्टेशन तक सड़क निर्माण हेतु प्राप्त वित्तीय स्वीकृतियों का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	सड़क की स्वीकृत लम्बाई (कि. मी.)	स्वीकृत राशि (रु. लाख)	जनवरी, 2012 तक व्यय राशि (रु. लाख)	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	रेलमगरा से कांकरोली सड़क किमी 0/0 से 12/0	12.00	401.89	356.61	स्वीकृति अनुसार कार्य पूर्ण
2	रेलमगरा से कांकरोली सड़क किमी 15/0 से 29/0	14.10	346.81	290.26	स्वीकृति अनुसार कार्य पूर्ण
3	रेलमगरा से गिलुण्ड सडक किमी 0/0 से 18/0	18.00	579.16	442.99	स्वीकृति अनुसार कार्य पूर्ण
	योग	**44.10**	**1327.86**	**1089.86**	

बाड़मेर जिले के चवा-सिणधरी सड़क मार्ग का सुदृढ़ीकरण

426. श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बाड़मेर को जालोर से जोड़ने वाली स्टेट हाइवे सड़क की बाड़मेर से सिणधरी के बीच की दूरी कितनी है?

(2) उक्त स्टेट हाइवे पर कितने किमी. चौड़ाई एवं नवीनीकरण का कार्य हो चुका है और कितना शेष है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त स्टेट हाइवे की शेष बची सड़क की चौड़ाई 3 मीटर है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्टेट हाइवे को चवा से सिणधरी तक सीआरएफ में चौड़ा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में जालोर से जोड़ने वाली बीकानेर से सिणधरी स्टेट हाइवे नं. 40 (29 कि.मी.) एवं स्टेट हाइवे नं. 16(37 कि.मी.) कुल लम्बाई 66 कि.मी. है।

(2) स्टेट हाइवे नं. 40 पर कुल लम्बाई 29 कि.मी. में 7 मीटर चौड़ाइकरण एवं नवीनीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा स्टेट हाइवे नं. 16 की कुल लम्बाई 37 कि.मी. में से 2 कि.मी. लम्बाई में 7 मीटर चौड़ाइकरण एवं नवीनीकरण का कार्य पूर्ण है। शेष 35 कि.मी. लम्बाई में चौड़ाइकरण एवं नवीनीकरण का कार्य बाकी है।

(3) जी हां। यह सही है कि स्टेट हाइवे 16 की शेष बची 35 कि.मी. सड़क में 22 कि.मी. की चौड़ाई 3 मीटर है, 10.50 कि.मी. की चौड़ाई 3.66 मीटर व 2.50 कि.मी. की चौड़ाई 5.50 मीटर है। इसमें से 29 कि.मी. में नवीनीकरण स्वीकृत है तथा वर्तमान में 20 कि.मी. में कार्य पूर्ण किया गया है। चवा से सिणधरी सड़क के 0/0 से 12/0 (12 कि.मी.) लम्बाई में सड़क को चौड़ा करने हेतु रुपये 700.00 लाख के प्रस्ताव सी.आर.एफ. योजना के अन्तर्गत भारत सरकार को प्रेषित है जिनकी स्वीकृति भारत सरकार से अप्राप्त है।

डेगाना की क्षतिग्रस्त सड़कें

427. श्री अजय सिंह (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र डेगाना की कौन-कौनसी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

डेगाना विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है। सड़कों की मरम्मत करवाने एवं कार्यपूर्णता का विवरण परिशिष्ट -1 के कालम संख्या 11 में अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धोद की डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों का डामरीकरण

428. श्री पेमाराम (धोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री पेमाराम)

(1) विधान सभा क्षेत्र धोद में वर्ष 2000 से 2005 के मध्य कितनी डब्ल्यू.बी.एम. सड़कें बनाई गईं? स्वीकृतियों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों में से कितनी सड़कों का डामरीकरण हो चुका है तथा कितनी सड़कों का डामरीकरण होना शेष है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में परडोली छोटी से परडोली बड़ी तथा किडोली से साखलोदा वाया महताब खां का बाठ डब्ल्यू.बी.एम. सड़क का निर्माण किया गया था? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त दोनों सड़कों का डामरीकरण कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धोद में वर्ष 2000 से 2005 के बीच 21 डब्ल्यू.बी.एम. सड़कें बनाई गईं। स्वीकृतियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर तथा प्रतियां परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत हैं।

(2) उक्त 21 डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों में से 14 सड़कों का डामरीकरण हो चुका है तथा 1 डामरीकरण हेतु आर.आई.डी.एफ.-16 में (धार्मिक सड़कें) स्वीकृत हैं तथा प्रगतिरत हैं, शेष 6 सड़कों पर डामरीकरण होना शेष है। विवरण परिशिष्ट-1 के कालम संख्या 7, 8 व 9 में अंकित है।

(3) जी हां। उक्त अवधि में परडोली छोटी से परडोली बड़ी तथा किरडोली से सांवलोदा डब्ल्यू.बी.एम. सड़क का निर्माण किया गया था। इन सड़कों का डामरीकरण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

बामनवास की अपूर्ण सड़कें

429. **श्री नवलकिशोर मीणा** (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में गत तीन वर्षों में किस-किस योजनान्तर्गत किस-किस स्थान पर कितने किलोमीटर तक सड़कों का निर्माण किया गया? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र बामनवास में बोरदा वाया मित्रपुरा से पिपलदा (बौंली) व बौंली निवाई रोड से पीपलवाड़ा वाया हिन्दुपुरा की सड़कों

(श्री नवलकिशोर मीणा)

का निर्माण कार्य चल रहा है? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में गत तीन वर्षों (2008-09, 2009-10 व 2010-11) में नई निर्मित सड़कों का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

(2) जी हां। बोरदा वाया मित्रपुरा से पीपल्दा सड़क पीएमजीएसवाई में स्वीकृत है एवं वर्तमान में कार्य बन्द है। उक्त निर्माण कार्य हेतु संवेदक मैसर्स इन्द्रजीत सिंह जादौन से अनुबन्घ को टर्मिनेट कर दिया गया है एवं शेष कार्य हेतु तकनीकी निविदा, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सम्भाग भरतपुर द्वारा दिनांक 10.04.2012 को खोली जानी नियत है। निविदा प्राप्ति एवं कार्यादेश दिये जाने के पश्चात् शेष कार्य किया जाना सम्भव हो सकेगा।

बौंली निवाई सड़क से हिन्दुपुरा की सड़क पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत गंगवाड़ा से जोलन्दा (जिसमें बहनोली, हिन्दुपुरा, जटावती, डिडवाडी, बडोदिया आदि गांव आते हैं) के नाम से स्वीकृत है। इस सड़क का कार्यादेश मैसर्स पी.आर.एल. प्रोजेक्ट्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नई दिल्ली को जारी किया गया था जिसमें कार्य प्रारम्भ दिनांक 29.05.2010 व पूर्ण करने की दिनांक 28.03.2011 नियत थी। संवेदक द्वारा वाईडनिंग हेतु सड़क के दोनों ओर ग्रेवल व डबल्यू.बी.एम. स्तर तक कार्य करने के पश्चात् माह सितम्बर, 2011 से कार्य बन्द कर रखा है। संवेदक से अनुबन्घ को दिनांक 28.03.2012 को टर्मीनेट कर दिया गया है एवं शेष कार्य हेतु पुनः निविदा आमंत्रित की जा रही है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र बामनवास में गत तीन वर्षों (2008-09, 2009-10 व 2010-11) में नई निर्मित सड़कों का तहसीलवार विवरण

क्र. सं.	वर्ष	तहसील	कार्य का नाम/विवरण	योजना का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि. मी.)	स्वीकृत राशि (रु. लाख)	निर्मित लम्बाई (किमी.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2008-09	मलारना डूंगर	बडागांव कहार से चादंन होली	आर.आई.डी.एफ.-तेरह के अन्तर्गत मिसिंग लिंक कार्य	2.50	48.03	2.50
			योग		**2.50**	**48.03**	**2.50**
1	2008-09	बामनवास	सम्पर्क सड़क रामनगर डोसी	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	3.70	65.00	3.80
2	2008-09	बामनवास	लिंक रोड बामनवास (ओ.डी.आर.-07)	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	7.00	144.00	4.025
3	2008-09	बामनवास	गंगापुर गावडी सफीपुरा बामनवास सड़क (ओ.डी.आर.-12)	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	5.00	55.50	5.00
4	2008-09	बामनवास	बामनवास से गुरला सडक (ओ.डी.आर.)	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	12.00	199.14	12.00

1	2	3	4	5	6	7	8
5	2008-09	बामनवास	बामनवास से मोरासागर सड़क (ओ.डी.आर.-7)	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	12.00	154.14	12.00
6	2008-09	बामनवास	सम्पर्क सड़क आकोदिया	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	4.00	59.32	2.40
7	2008-09	बामनवास	मोरासागर लालसोट सड़क (ओ.डी.आर.-05)	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	19.00	233.90	18.80
8	2008-09	बामनवास	लालसोट गंगापुर धोलपुर एन.एच.बी. 11 बी.कि.मी. 17/0 से बरीला	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	5.50	167.45	7.60
9	2009-10	बामनवास	कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड सम्पर्क सड़क सराय	आर.आई.डी.एफ.-14 धार्मिक	0.65	40.00	0.65
10	2009-10	बामनवास	खेडली बिछोच बाटौदा रोड (ओ.डी.आर.-09)	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	12.00	144.14	12.375
11	2010-11	बामनवास	संपर्क सड़क मोरासागर लालसोट सडक से चतुर्भुज मंदिर	आर.आई.डी.एफ.-सोलह/ रिलीजियस 2010-11	2.30	51.52	0.06
12	2010-11	बामनवास	संपर्क सड़क बैराडा बिन्जारी सड़क से ठाकुर जी का मंदिर		1.00	14.80	0.35
			योग		**84.15**	**1329.00**	**79.06**
			कुल योग		**86.65**	**1377.03**	**81.56**

परबतसर की नवीनीकरण/मरम्मत योग्य सड़कें

430. श्री मानसिंह (परबतसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नागौर जिले में नई सड़कें निर्मित की गई हैं तथा पुरानी सड़कों की मरम्मत, चौड़ाइकरण, ग्रेवल व डब्ल्यूबीएम सड़कों पर डामरीकरण किया गया है? यदि हां, तो अप्रेल, 2009 से अब तक तहसीलवार करवाये गये कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र परबतसर में नारायणपुरा से नावां सड़क के नवीनीकरण का कार्य लम्बे समय से नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों व अब सरकार द्वारा यह कार्य कब तक करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। जिला नागौर में अप्रैल, 2009 से अब तक (29.02.2012) राशि रुपये 44.60 करोड़ स्वीकृति से 212.93 कि.मी. लम्बाई में नई सड़कों का निर्माण किया गया एवं रुपये 249.44 करोड़ स्वीकृति से सड़कों का मरम्मत, नवीनीकरण/चौड़ाइकरण/ग्रेवल व डब्ल्यू.बी.एम. स्तर से डामरीकरण का कार्य कराया गया है। तहसीलवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 व 2 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र परबतसर में नारायणपुरा से नावां सड़क की 10 कि.मी. लम्बाई (कि.मी. 210/0 से 200/0) एस.एच.-2 का भाग है। इसका नवीनीकरण वर्ष 2002-03 में कराया गया था। उक्त सड़क मुख्यमंत्री द्वारा घोषित मेगा हाइवे सड़क जयपुर-जोबनेर-नावां-नाराणपुरा (चौराहा) कुचामन खाटू-तरनाउ-नागौर सड़क का भाग है। राज्य सरकार से 310 करोड़ रुपये की स्वीकृति के तहत निविदाएं आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा आमंत्रित की जा चुकी हैं जिनको खोलना दिनांक 30.03.2012 को प्रस्तावित है। उक्त सड़क आर.एस.आर.डी.सी. को दिनांक 05.10.2011 को हस्तान्तरित की जा चुकी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर-दिल्ली राजमार्ग क्षेत्र के कस्बों हेतु प्रस्तावित ओवरब्रिज एवं अण्डरपास

431. डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर-दिल्ली राजमार्ग पर सड़क की चौड़ाई बढ़ाते समय गहन आबादी क्षेत्र के गांव/कस्बों के निवासियों के लिए सड़क पार करने के लिए रोड, ओवरब्रिज या अण्डरपास नहीं बनाये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार अब ओवर ब्रिज या अण्डरपास बनाने का विचार रखती है?हां, तो कब तक और नहीं तो, क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्तानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर जयपुर-सीकर सड़क को चार लेन की चौड़ाई बढ़ाते हुए भी जयपुर-दिल्ली राजमार्ग की भूल दोहरायी गयी है और ग्रामीणों को सड़क पार करने की सुविधा उपलब्ध नहीं करवायी गयी है? यदि हां, तो अब उक्त समस्या का निदान किस प्रकार किया जावेगा?

(3) क्या सरकार द्वारा किसी दोषी अधिकारी के विरुद्ध उक्त गलती के लिए कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों व हां तो किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का कार्य भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा.रा.रा.प्रा.) द्वारा किया जा रहा है, उनके अनुसार रियायतग्राही के अनुबन्ध के अनुसार फ्लाई ओवर या अण्डरपास बनाये जा रहे हैं। मांग के अनुसार भी अनुबन्ध के अलावा फ्लाई ओवर या अण्डरपास भी शामिल किये गये हैं। जिसमें सभी महत्वपूर्ण जगह पर सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। दिसम्बर, 2012 तक परियोजना का कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है। जयपुर-दिल्ली खण्ड में 50 फ्लाई ओवर, 8 वाहन अण्डरपास, 30 पशु/पेडेस्ट्रीयन अण्डरपास बनाया जाना प्रस्तावित है, जिनकी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर जयपुर-सीकर सड़क को चार लेन चौड़ाई करने का कार्य भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, उनके अनुसार जयपुर-रींगस खण्ड में 1 फ्लाई ओवर, 4 वाहन अण्डरपास, 3 पशु अण्डरपास एवं 1 पेडेस्ट्रीयन अण्डरपास निर्माणाधीन है एवं रींगस-सीकर खण्ड में 1 फ्लाई ओवर, 3 वाहन अण्डरपास व 4 पेडेस्ट्रीयन अण्डरपास बनाया जाना प्रस्तावित है, जिनकी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त सूची परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) भारत सरकार के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार परियोजना बनाते समय कोई गलती नहीं हुई है एवं सभी मुख्य सुविधाओं को देखते हुए परियोजना की योजना बनाई गयी है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

रतकूडिया-सरगीमा (जोधपुर) क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग का डामरीकरण

432. श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम रतकूडिया में सरगीमा की ओर जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त है? क्या सरकार उक्त सड़क पर नाली निर्माण कराकर इसका डामरीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त सड़क की मरम्मत कब-कब किसके द्वारा करवाई गई और कितनी राशि कब-कब व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में ग्राम रतकूडिया से सरगिया कलां जाने वाली सड़क ओ.डी.आर.-57 का भाग है, जिसकी लम्बाई 3.00 कि.मी. है तथा रतकूडिया ग्राम आबादी क्षेत्र में 300 मीटर लम्बाई की सड़क क्षतिग्रस्त है।

जी हां। रतकूडिया ग्राम आबादी क्षेत्र में नाली निर्माण तथा सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(2) उक्त सड़क पर सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य आर.आई.डी.एफ.-12 योजना के अन्तर्गत राशि रुपये 145.13 लाख एवं 17 कि.मी. (कि.मी. 10/0 से 27/0) लम्बाई के स्वीकृत कार्य में वर्ष 2007 में मैसर्स मण्डा बिल्डर्स द्वारा कराया गया था तथा दिनांक 23.12.2010 तक गारण्टी अवधि में सम्बन्धित संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य किया गया। वर्ष 2011-12 में मैसर्स जाखड़ कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा रुपये 0.30 लाख व्यय कर आबादी क्षेत्र में आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य किया गया।

कालवाड़ (जयपुर) कुचामनसिटी सड़क मार्ग का नवीनीकरण

433. श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जयपुर से नागौर को जोड़ने वाली लिंक रोड को तीव्र यातायात की सुगमता प्रदान करने के लिए जयपुर कालवाड़ रोड को फोर लेन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार कालवाड़ से कुचामन सिटी सड़क को चौड़ा बनाने व नवीनीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर-कालवाड़ रोड झोटवाड़ा पुलिया कि.मी. 0/0 से 10/600 (ग्राम माचवा) तक फोर/सिक्स लेन का कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किया जा चुका है। ग्राम माचवा सीमा कि.मी. 10/600 से कालवाड़ कि.मी. 18/200 तक जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में जयपुर कालवाड़ रोड को फोर लेन का निर्माण कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा करवाया जा रहा है। उक्त कार्य हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राशि रु. 994.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। जयपुर कालवाड़ रोड, ग्राम माचवा से कालवाड़ ग्राम तक, फोर लेन का कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि 14.10.2012 है।

(2) जी हां। कालवाड़ से कुचामन सिटी सड़क को चौड़ा बनाने एवं नवीनीकरण हेतु आर.एस.आर.डी.सी.सी. लि. द्वारा निविदायें आमंत्रित की गई हैं, जो दिनांक 28.03.2012 तक प्राप्त की जाकर दिनांक 30.03.2012 को खोली जायेंगी। इस कार्य की निर्माण अवधि 2 वर्ष है।

पीलीबंगा की क्षतिग्रस्त सड़कें

434. श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील रावतसर के ग्राम गन्धेली से लालपुरा, आसरजाना तक कारपेट रोड बनवाई जाना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त सड़क रावतसर से नोहर को ग्रामीण सड़क सें जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क है?

(3) क्या यह सही है कि रावतसर से चाईयां, कनवाणी, दासुवाली,

(श्री आदराम मेघवाल)

प्रेमनगर, कन्धेली, लालपुरा, आसरजाना, सोन्दी, नोहर तक 20 ग्राम, चक व ढाणियां इस सड़क से जुडती हैं? क्या सरकार उक्त सड़क को प्रथम प्राथमिकता से बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या पीलीबंगा से गालूवाला वाया हॉसलीया तक 25 कि.मी. तक बनी पुरानी सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है? क्या सरकार उक्त सड़क की पुनः कारपेट/मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि सनगढ़ से सतीपुरा हनुमानगढ़ मेघा हाइवे में रावतसर शहर के अन्दर दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु डिवाइडर बनाया जाना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार मेगा हाइवे पर रावतसर शहर में सन्नी मन्दिर से हनुमान मन्दिर तक एक डिवाइडर बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(7) क्या ग्राम पंचायतों को ग्रामों से जोड़ने की योजना में ग्राम पंचायत जखडवाला चक 44 एन.डी.आर. से 40 एन.डी.आर. ग्राम पंचायत दोलतवाली (पंचायत समिति पीलीबंगा) व ग्राम पंचायत गोलूवाला स्यागाना से चक 3 एल.एल.डब्ल्यू. एवं ग्राम पंचायत गोलूवाला स्यागान से 2 एच.डी.पी. तथा ग्राम 2 एच.डी.पी.से 3 एच.डी.पी व गोलूवाला के 33 एल.एल.डब्ल्यू. 32 एल.एल.डब्ल्यू. और ग्राम पंचायत उत्तम सिंह वाला से कुम्हारावाली ढाणी से सरदारपुरा में सड़क निर्माण करवाया जाना विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। तहसील रावतसर के तीनों ग्राम गन्धेली, लालपुरा तथा असरजाना अलग-अलग मार्गों से डामर सड़क से जुडे हुए हैं। अतः गन्धेली से लालपुरा, असरजाना को आपस में डामर सड़क से जोड़ना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है। भविष्य में इन गांवों को डामर सड़क से जोड़ना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(2) जी हां। उक्त सड़क रावतसर से नोहर को उक्त ग्रामीण सड़कों से जोड़ते हुए एक वैकल्पिक सड़क मार्ग हो सकता है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) जी हां। रावतसर से चाईयां, कनवाणी, दासुवाली, प्रेमनगर, गन्धेली, लालपुरा, असरजाना, सोन्दी नोहर तक वैकल्पिक मार्ग में गन्धेली से असरजाना वाया लालपुरा मार्ग मिसिंग लिंक है। मिसिंग लिंक सड़कों को प्राथमिकता प्रदान करने बाबत् सरकार द्वारा क्षेत्रीय विधायकों से अनुशंषा ली गई थी। वर्ष 2012-13 में मिसिंग लिंक सड़कों के लिये क्षेत्रीय विधायक महोदय द्वारा उक्त सड़क को अनुशंषित नहीं किया गया है। भविष्य में राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकतानुसार विचार किया जाना प्रस्तावित है।

(4) जी हां। पीलीबंगा से गोलूवाला वाया हांसलिया सड़क राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़क की लम्बाई 20 कि.मी. है तथा अत्यधिक क्षतिग्रस्त है।

जी हां। उक्त सड़क पर पुनः डामरीकरण का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकतानुसार कराया जाना प्रस्तावित है।

(5) जी हां। किशनगढ़ से सतीपुरा हनुमानगढ़ मेगा हाइवे में रावतसर शहर के अन्दर दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु आवश्यकतानुसार डिवाइडर का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

(6) जी हां। रावतसर शहर में शनि हनुमान मन्दिर तक सड़क दो लेन एवं 1.50 मीटर चौड़ाई के दोनों ओर पेव्ड शोल्डर हैं। अतः तकनीकी दृष्टि से डिवाइडर बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(7) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की सभी ग्राम पंचायतें डामर सड़क से जुडी हुई हैं। इन ग्राम पंचायतों को एक-दूसरे से जोड़ने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। भविष्य में इन ग्राम पंचायतों को एक-दूसरे से डामर सड़कों से जोड़ना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

डूंगरगढ़ में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन

435. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में वर्ष 1998 से जनवरी, 2012 तक कौन-कौन से गांवों में 33 के.वी., 132 के.वी. व 220 के.वी. जी.एस.एस. स्वीकृत किये गये हैं? स्वीकृत जी.एस.एस. किन-किन गांवों में बनकर चालू हो गये? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मंगलाराम गोदारा)

(2) स्वीकृत शेष जी.एस.एस. कब तक बनकर तैयार हो जायेंगे?

उत्तर

(1) श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 1998 से 2012 की अवधि में स्वीकृत एवं निर्मित 33 केवी ग्रिड सब-स्टेशनों का ग्रामवार विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि में निम्नलिखित 132 केवी व 220 केवी के जीएसएस स्वीकृत किये गये हैं:-

1. 220 केवी जीएसएस, श्रीडूंगरगढ़ में
2. 132 केवी जीएसएस, रिडी में
3. 132 केवी जीएसएस, उपनी में
4. 132 केवी जीएसएस, मोमासर में
5. 132 केवी जीएसएस, दुलचासर में
6. 132 केवी जीएसएस, लालमदेसर बडा में

स्वीकृत जीएसएस निम्न स्थानों पर चालू हो गये हैं:-

1. 220 केवी जीएसएस, श्रीडूंगरगढ़ में
2. 132 केवी जीएसएस, रिडी में
3. 132 केवी जीएसएस, उपनी में
4. 132 केवी जीएसएस, मोमासर में
5. 132 केवी जीएसएस, दुलचासर में

(2) स्वीकृत शेष 33 केवी सब-स्टेशनों के निर्माण की सम्भावित तिथि प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

स्वीकृत 132 केवी जीएसएस लालमदेसर बड़ा वित्तीय वर्ष 2012-13 में चालू किया जाना प्रस्तावित है।

प्रपत्र-अ

वर्ष 1998 से 2012 की समयावधि में स्वीकृत/चालू 33 केवी जीएसएस की ग्रामवार सूची

क्र. सं.	स्वीकृत/चालू 33 केवी जीएसएस व ग्राम का नाम	स्वीकृत/ चालू वर्ष	वर्तमान स्थिति	चालू करने का सम्भावित माह
1	2	3	4	5
1	सरिया	1998-99	चालू	
2	ऊपनी	1998-99	चालू	

1	2	3	4	5
3	अमृतवासी	1999-2000	चालू	
4	आदसर	1999-2000	चालू	
5	बापेऊ	2001-02	चालू	
6	बरजांगसर	2001-02	चालू	
7	सेरूणा	2002-03	चालू	
8	ठकुरियासर	2002-03	चालू	
9	लिखमीसर	2003-04	चालू	
10	धीरदेसर चोटीयान	2003-04	चालू	
11	दुसारणा	2004-05	चालू	
12	बिंजासर	2004-05	चालू	
13	अभयसिंहपुरा	2005-06	चालू	
14	बासी मडियान	2005-06	चालू	
15	गोगाना	2005-06	चालू	
16	सोनीयासर	2005-06	चालू	
17	लिखमीसर दिखनादा	2006-07	चालू	
18	कल्याणसर नया	2006-07	चालू	
19	देराजसर	2007-08	चालू	
20	धनेऊ	2007-08	चालू	
21	गोपालसर	2008-09	चालू	
22	राणेड्र	2008-09	चालू	
23	लालासर	2008-09	चालू	
24	जोधासर	2009-10	चालू	
25	कुन्तासर	2010-11	चालू	
26	सांवतसर द्वितीय	2010-11	चालू	
27	कल्याणसर पुराना	2010-11	चालू	
28	पुमरासर	2010-11	चालू	
29	जोखासर	2010-11	चालू	
30	बेनीसर (लाखासर)	2010-11	चालू	
31	जैतासर (ठोलियासर)	2010-11	चालू	
32	सातलेरा	2010-11	चालू	

1	2	3	4	5
33	सोनियासर गोदारा	2010-11	चालू	
34	कूनपालसर	2010-11	चालू	
35	रजना जोड बाना	2010-11	चालू	
36	सरना जोड बाना	2010-11	चालू	
37	कितासर	2011-12	चालू फरवरी, 2012	
38	कोटासर	2010-11	कार्य प्रगति पर	फरवरी, 2012 तक
39	थमरा मोमासर	2011-12	कार्य प्रगति पर	2012-13
40	उदरासर	2011-12	-	2012-13
41	दमपालसर हीरावतान	2011-12	-	2012-13
42	बाडेला	2011-12	-	2012-13
43	मनकरासर	2011-12	-	2012-13
44	रामदेवरा मेला सील	2011-12	-	2012-13
45	जाखासर पुराना	2011-12	-	2012-13

मुख्य अभियन्ता

उद्योगों हेतु निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु कार्य योजना

436. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में उद्योगों में कितने घंटे प्रतिदिन बिजली की कटौती की जा रही है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उद्योगों में बिजली कटौती के समय जनरेटर से मशीनों को चलाये जाने के कारण प्रदेश में कार्यरत उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ रही है तथा इस कारण राजस्थान का उद्योगपति अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहा है? क्या सरकार राज्य में उक्त कटौती को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में औद्योगिक फीडरों पर कोई बिजली कटौती नहीं की जा रही है।

(2) वर्तमान में उद्योगों पर प्रतिदिन कोई बिजली कटौती नहीं की जा रही है।

राजाखेड़ा में विद्युत लाइनों का नवीनीकरण

437. **श्री रविन्द्र सिंह बोहरा** (राजाखेड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में वर्षों पुरानी विद्युत लाइनों को बदलने की कार्यवाही विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त लाइनें कब तक बदल दी जायेंगी और नहीं तो क्यों?

(2) विगत तीन वर्षों में इन जीर्ण-शीर्ण लाइनों की वजह से कितनी दुर्घटनायें हुई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्तमान में पुरानी विद्युत लाइनें वर्तमान कनेक्शनों के भार को उठाने में सक्षम हैं? यदि हां, तो कैसे? तकनीकी विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त लाइनों का मरम्मत/ रख-रखाव कार्य अंतिम बार कब-कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में पुरानी विद्युत लाइनों को बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लेकिन ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना के अन्तर्गत पुरानी विद्युत लाइनों के जहां स्पान लम्बे हैं, वहां लाइन के मध्य में पोल लगाने का कार्य स्वीकृत है।

(2) विगत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में विद्युत लाइनों की वजह से कोई दुर्घटना नहीं हुई।

(3) जी हां। वर्तमान में पुरानी विद्युत लाइनें वर्तमान कनेक्शनों के भार को उठाने में सक्षम हैं। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र राजाखेड़ा में विद्युत सप्लाई निर्बाध रूप से की जा रही है।

(4) इन विद्युत लाइनों की मरम्मत/रखरखाव का कार्य एक सतत् प्रक्रिया है।

रतनगढ़ के कृषि भूमि पर आबाद कृषकों को घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु विधायक कोष से स्वीकृति

438. श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रतनगढ के ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर ढाणियां कृषि भूमि पर बसी हुई हैं तथा आजादी के 63 साल बाद भी वहां पर विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं है? क्या उक्त क्षेत्र में सरकार ऐसी ढाणियों में रहने वाले लोगों को विद्युत सुविधा उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि कृषि भूमि पर बसे किसानों द्वारा ढाणियों में सिंगल फेज कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में वर्ष 2009 से 2011 तक कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये और प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदन स्वीकृत व कितने क्यों निरस्त किये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने कृषि भूमि पर बसे लोगों/बस्तियों/ढाणियों को विद्युत कनेक्शन देने पर वर्ष 2010 से पाबंदी लगा रखी है? क्या सरकार उक्त पाबंदी हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि विधायक कोष से भी ढाणियों के विद्युतीकरण पर रोक लगाई हुई है? जबकि राज्य सरकार ऐसी कृषि भूमि पर बसी ढाणियों में आंगनबाड़ी केन्द्र स्कूलें आदि खुलवा रही है? क्या सरकार विधायक कोष से ढाणियों का विद्युतीकरण करवाने की छूट प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतिकृत गांव, ढाणियों व राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ग्रामों एवं ढाणियों को विद्युतीकृत कर विनियामक आयोग द्वारा आदेशित सामान्य दर के अनुसार कनेक्शन दिए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त अविद्युतिकृत गैर आबादी क्षेत्र में "स्व वित्त पोषित योजना" के अन्तर्गत घरेलू कनेक्शन दिए जा रहे हैं।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) जी हां। यह सही है कि कृषि भूमि पर बसे किसानों द्वारा ढाणियों में सिंगल फेज विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं। बिन्दु में वर्णित अवधि में प्राप्त आवेदन, जारी कनेक्शन, लम्बित कनेक्शनों व निरस्त आवेदनों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	जारी कनेक्शन	निरस्त आवेदन पत्रों की संख्या मय कारण		लम्बित
				मांग पत्र राशि जमा नहीं के कारण	तकनीकी रूप से साध्य नहीं	
1	2008-09	385	191	104	90	-
2	2009-10	59	14	30	15	-
3	2010-11	36	8	8	0	20
4	2011-12	36	2	0	0	34
	कुल	**516**	**215**	**142**	**105**	**54**

(3) डिस्काम समन्वय मंच की दिनांक 17.03.11 को सम्पन्न 23वीं बैठक के अनुसार गोचर भूमि, सिवाय चक भूमि, चरागाह, कृषि भूमि तथा राजकीय कार्यों के लिये आरक्षित भूमि, गैर मुमकिन आबादी भूमि तथा नाला, नदी पहाड़ शिखर पर स्थित ग्रामीण घरेलू विद्युत कनेक्शन देने पर रोक लगाई गई है। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतिकृत गांव व ढाणियों व राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ग्रामों एवं ढाणियों को विद्युतिकृत कर विनियामक आयोग द्वारा आदेशित सामान्य दर के अनुसार कनेक्शन दिए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त अविद्युतिकृत गैर आबादी क्षेत्र में "स्व वित्त पोषित योजना" के अन्तर्गत घरेलू कनेक्शन दिए जा रहे हैं।

(4) विधायक कोष से ढाणियों के विद्युतीकरण पर कोई रोक नहीं लगाई हुई है। जोधपुर डिस्काम द्वारा जारी आदेश संख्या 3342 दिनांक 22.02.2012 के तहत विधायक कोष से विद्युतीकृत क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि पर घरेलू विद्युत कनेक्शन देने का प्रावधान है। आदेश की प्रति प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

प्रपत्र-अ

JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

No.JdVVNL/MD/CE(HQ)/SE(RA&C)/JU/2011-12/D. 3342 Dt. 22.02.12

DIRECTIVES

Sub : Regarding relaxation in respect of release of domestic electric connections to rural households on the agriculture land.

The decision taken in 23rd DCF meeting regarding not to release domestic connections on agriculture land was reviewed by the DCF in its 33rd meeting held on dtd 16.02.2012 and it was decided to allow relaxation in respect of release of domestic connection to rural households on the agriculture land and approved the following.

1. The relaxation is granted where electrification works already carried out/to be carried out under MP/MLA quota development scheme and no further infractructure is required to be laid and;
2. This relaxation be allowed only if no augmentation of distribution substations capacity is required that is substations capacity be kept limited to 5 KVA only.

By order,

(A.D. VYAS)

SUPERINTENDING ENGINEER (RA&C)

JODHPUR DISCOM : JODHPUR

भीलवाड़ा जिले के अविद्युतीकृत ग्राम

439. **श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला भीलवाड़ा में वर्तमान में विद्युतीकरण से कौन-कौन से गांव/मजरे/ढाणी शेष है? क्या सरकार उक्त गांव/मजरे/ढाणियों का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भीलवाड़ा जिले में वर्तमान में सभी 1694 गांव विद्युतीकृत किये जा चुके हैं। 1115 मजरे/ढाणियों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है। जिनमें से 264 मजरे/ढाणियों जिनकी जनसंख्या 100 से अधिक है उनके विद्युतीकरण हेतु पूरक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना बनाकर स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को भेजी गई है। स्वीकृति प्राप्त होने पर उक्त मजरों/ढाणी का विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है। 851 मजरे/ढाणियां जिनकी आबादी 100 से कम है उनमें घरेलू कनेक्शन देने के लिये योजना प्रस्तावित है। विस्तृत विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

निजी क्षेत्र के सौर ऊर्जा प्लांट हेतु अनुदान/सहायता के मानदण्ड/प्रक्रिया

440. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में सौर ऊर्जा के निजी प्लांट लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्लांट लगाने के लिए किस-किस संस्था से क्या-क्या औपचारिकताएं पूरी करनी पडती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्लांट शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय कार्य/कृषि कार्य हेतु लगाने पर कितनी-कितनी सब्सिडी किस-किस प्रकार की प्रक्रिया पूर्ण करने पर खर्चे में कितने प्रतिशत तक देय होती है? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू/कृषि कार्य के उपयोग हेतु प्लांट लगाने के बाद इसकी सब्सिडी का भुगतान कितनी-कितनी अवधि में किस प्रक्रिया द्वारा दिया जाता है? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सोलर पावर प्लांट स्थापना हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन के आफ ग्रिड कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। सोलर मिशन गाइडलाइन की प्रति प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त प्लांट लगाने हेतु प्रार्थी को अपना प्रस्ताव एम.एन.आर.ई. द्वारा अनुमोदित सप्लायर्स से लागत प्रस्ताव के साथ राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को प्रस्तुत करना होता है। तत्पश्चात निगम इस प्रस्ताव को एम.एन.आर.ई. को स्वीकृति हेतु प्रेषित करता है। एम.एन.आर.ई. की स्वीकृति प्राप्त होने पर लाभार्थी पावर प्लांट स्थापना पूर्ण होने पर अनुदान राशि प्राप्त कर सकता है।

(3) उक्त बिन्दु संख्या 1 के अनुसार है।

(4) उक्त बिन्दु संख्या 1 के अनुसार है।

अनुदान की राशि का 50 प्रतिशत भुगतान उपकरण स्थापना पर एवं

(ऊर्जा मंत्री)

शेष 50 प्रतिशत उपकरण की क्रियाशीलता प्रमाणीकरण पश्चात लगभग 3 माह बाद दिया जाता है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

करौली में प्रस्तावित 11/33 केवी ग्रिड सब-स्टेशन

441. श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विगत तीन वर्षों में जिला करौली में 11/33 के.वी. के कुल कितने ग्रिड सब-स्टेशन कहां- कहां, कब-कब स्वीकृत किये गये? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में उक्त जिले में स्वीकृत 11/33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन में कितने सब स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कितनों का निर्माण कार्य शेष है? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जिले में नवीन 11/33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने व कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र करौली में रामपुर-फतेहपुर में प्रस्तावित 11/33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) करौली जिले में विगत तीन वर्षों में 33/11 केवी के कुल 35 सब -स्टेशन स्वीकृत किये गये हैं, जिनका विधान सभा क्षेत्रवार विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) विगत तीन वर्षों में जिला करौली में 33/11 केवी के स्वीकृत 35 सब-स्टेशनों में से 14 विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 21 सब-स्टेशनों का निर्माण कार्य शेष है, जिनका विधान सभा क्षेत्रवार विवरण उपरोक्त प्रपत्र 'अ' में दर्शाया गया है।

(3) भविष्य में क्षेत्र की विद्युत मांग के मद्देनजर नवीन 33/11 केवी सब-स्टेशन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनके तकनीकी-आर्थिक परीक्षण में साध्य पाये जाने पर स्वीकृत किये जाएंगे।

(ऊर्जा मंत्री)

(4) विधान सभा क्षेत्र करौली में रामपुर-फतेहपुर में प्रस्तावित 33/11 केवी सब-स्टेशन का प्रस्ताव वर्तमान में तकनीकी-आर्थिक रूप से साध्य नहीं है।

प्रपत्र 'अ'

करौली जिले में विगत तीन वर्षों में स्वीकृत 33/11 केवी ग्रिड सब-स्टेशनों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	33/11 केवी सब-स्टेशन का नाम	स्वीकृत दिनांक/ वर्ष	निर्माण कार्य का विवरण
1	करौली	खरेटा	28.4.10	निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
2	करौली	डांडा	28.4.10	निर्माण कार्य शेष है।
3	करौली	सीलोती	18.11.10	निर्माण कार्य शेष है।
4	करौली	रतियापुरा	18.11.10	निर्माण कार्य शेष है।
5	करौली	रीठोली	12.11.10	निर्माण कार्य शेष है।
6	सपोटरा	रत्तीपुरा	18.11.10	निर्माण कार्य शेष है।
7	सपोटरा	सलेमपुर	15.10.09	निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
8	सपोटरा	बालोती	15.10.09	निर्माण कार्य शेष है।
9	सपोटरा	अमरवाड	15.10.09	निर्माण कार्य शेष है।
10	सपोटरा	हाड़ौती	15.10.09	निर्माण कार्य शेष है।
11	सपोटरा	रौंधई	15.10.09	निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
12	सपोटरा	लांगरा	15.10.09	निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
13	सपोटरा	पांचोली	15.10.09	निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
14	सपोटरा	नारौली	15.10.09	निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
15	सपोटरा	जोडली	15.10.09	निर्माण कार्य शेष है।
16	सपोटरा	खेडला	15.10.09	निर्माण कार्य शेष है।
17	सपोटरा	लूलोज	21.07.09	निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
18	हिण्डौन	दानालपुर	12.11.10	निर्माण कार्य शेष है।
19	हिण्डौन	कांचरौली	12.11.10	निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
20	हिण्डौन	खानवाडा	12.11.10	निर्माण कार्य शेष है।

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	33/11 केवी सब-स्टेशन का नाम	स्वीकृत दिनांक/ वर्ष	निर्माण कार्य का विवरण
21	हिण्डौन	ढिंढौरा	12.11.10	निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
22	हिण्डौन	खेडीहेवत	12.11.10	निर्माण कार्य शेष है।
23	हिण्डौन	विजयपुरा	12.11.10	निर्माण कार्य शेष है।
24	हिण्डौन	नंगलामीना	12.11.10	निर्माण कार्य शेष है।
25	हिण्डौन	अटकोली	12.11.10	निर्माण कार्य शेष है।
26	टोडाभीम	पहाडी	14.10.10	निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
27	टोडाभीम	नांदगोरडा	30.06.10	निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
28	टोडाभीम	भनकपुरा	11.05.10	निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
29	टोडाभीम	कैमला	16.06.10	निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
30	टोडाभीम	आम का झाहरा	16.06.10	निर्माण कार्य शेष है।
31	टोडाभीम	तिमावा	16.06.10	निर्माण कार्य शेष है।
32	टोडाभीम	गढखेड़ा	16.06.10	निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
33	टोडाभीम	तालचिड़ा	16.06.10	निर्माण कार्य शेष है।
34	टोडाभीम	सोप	16.06.10	निर्माण कार्य शेष है।
35	टोडाभीम	मूडिया	27.07.11	निर्माण कार्य शेष है।

चूरू जिले के अविद्युतीकृत बी.पी.एल. परिवार

442. **श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया** (चूरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला चूरू में वर्ष 2008 से वर्ष 2011 के मध्य कितने बी.पी.एल. परिवारों को बिजली का कनेक्शन दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला चूरू में वर्ष 2008 से 2011 के मध्य कितने बी.पी.एल. परिवारों ने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार शेष बी.पी.एल. परिवारों को बिजली का कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला चूरू के क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2008 से 2011 के मध्य कुल 35968 बी.पी.एल. परिवारों को घरेलू विद्युत कनेक्शन प्रदान किये गये।

(2) जिला चूरू के क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2008 से 2011 के मध्य शहरी क्षेत्र में 4963 बीपीएल परिवारों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। शहरी क्षेत्र के बी.पी.एल परिवारों द्वारा आवेदित आवेदकों की प्रति प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्र के चयनित बी.पी.एल. परिवारों से हाथों हाथ आवेदन प्राप्त कर नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन दिये जाते हैं।

(3) जी हां। शहरी क्षेत्र के शेष रहे 16 बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत सम्बन्ध देने की प्रक्रिया जारी है। ग्रामीण क्षेत्र के 100 से अधिक आबादी वाली ढाणियों में रहने वाले बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत सम्बन्ध प्रदान करने के लिये चूरू जिले की पूरक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना बनाकर स्वीकृति हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को प्रेषित की गई है। स्वीकृति प्राप्त होने पर पूरक योजना में सम्मिलित 11854 बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत सम्बन्ध दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सागवाड़ा में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन

443. **श्री सुरेन्द्र कुमार** (सागवाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विद्युत वितरण निगम ने वर्ष 2009-10 में विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना के तहत मांडव, गडाजसराजपुर, घांटा का गांव, भासौर, कराडा एवं कैलाशपुरी में 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत किये थे?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2009-10 में स्वीकृत उक्त 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशनों का कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त कार्य शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त स्वीकृत सब-स्टेशनों में से मांडव 33 केवी सब-स्टेशन का

(ऊर्जा मंत्री)

कार्य प्रगति पर है। शेष स्वीकृत सब-स्टेशनों का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार आगामी वर्षों में किया जा सकेगा।

(3) उपरोक्तानुसार।

आमेर में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में विद्युतीकरण

444. श्री गणेश सिंह परमार (कुम्भलगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत 3 वर्षों में तहसील आमेर, जिला जयपुर के ग्रामों में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत बी.पी.एल./स्टेट बी.पी.एल. योजना में उक्त परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को?

(2) क्या यह सही है कि स्टेट बी.पी.एल. योजना में श्री रूधाराम पुत्र श्री चन्दा, मुकाम-सीताराम वाली ढाणी, पोस्ट-खोरा श्यामदास, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर को कुटीर ज्योति/राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों और इसमें कौन-कौन दोषी है?

(3) क्या उक्त परिवार का गरीबों हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा कार्ड नम्बर-1/30/57 एवं राशन टिकिट कोड नम्बर आर.जे. क्रमांक : 0000366652 है?

(4) क्या सरकार उक्त परिवार को गांव/ढाणी में स्टेट बी.पी.एल. राजीव गांधी विद्युतीकरण/कुटीर ज्योति योजना में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी कर उसे रोशनी उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) अब उक्त परिवार को कब तक निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। तहसील आमेर जिला जयपुर के ग्रामों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत तीन वर्षों में 1749 बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी किये गये हैं।

(2) जी हां। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में स्वीकृत

(ऊर्जा मंत्री)

बीपीएल परिवारों को घरेलू विद्युत कनेक्शन निःशुल्क दिए गये है। स्टेट बीपीएल श्री रूधाराम पुत्र श्री चन्दा उक्त स्वीकृत बीपीएल परिवारों की सूची में शामिल नहीं है। अतः कोई कर्मचारी अपराधी/अधिकारी दोषी नहीं है।

(3) जी हां। निःशुल्क चिकित्सा सुविधा कार्ड नम्बर 1/30/57 पर उक्त परिवार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चौंप/उप स्वास्थ्य केन्द्र खोराश्यामदास से कोई दवाइयां अथवा चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं की है।

(4) उक्त आवेदक का नाम बी.पी.एल. गणना-2002 की वर्तमान सूची में सम्मिलित नहीं है, अतः वर्तमान में कनेक्शन दिया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

(5) उक्त आवेदक का नाम बी.पी.एल. गणना वर्तमान 2002 की सूची में सम्मिलित नहीं है, अतः कनेक्शन दिया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

श्रीगंगानगर जिले के गैर सरकारी संगठनों में व्याप्त अनियमितताएं

445. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) समाज कल्याण बोर्ड-श्रीगंगानगर से कौन-कौन से गैर सरकारी संगठन (एन-जी-ओ) जुडे हैं? उनके नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में उक्त एन. जी. ओ. को क्या-क्या काम दिया गया तथा कितना-कितना भुगतान किस-किस एन-जी-ओ को किस कार्य की एवज में किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर जिले में कुछ एन. जी. ओ. फर्जी तरीके से चलाये जा रहे हैं तथा विभाग के अधिकारी उनसे मिलकर बिल पास कर देते हैं तथा लाखों रुपये की अनियमितता होती है? क्या सरकार गत पांच वर्षों की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) समाज कल्याण बोर्ड - श्रीगंगानगर से जुडे गैर सरकारी संगठनों का विवरण अनुलग्नक-अ पर प्रस्तुत है।

(2) गत पांच वर्षों के दौरान श्रीगंगानगर जिले की संस्थाओं को राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा अनुदान कार्यक्रमों के संचालन

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

हेतु जारी स्वीकृतियों एवं उसके विपक्ष में निर्गत अनुदान का विवरण अनुलग्नक-अ पर प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं। श्रीगंगानगर जिले में राज्य बोर्ड से अनुदानित किसी भी एन.जी.ओ. के फर्जी तरीके से संचालित होने की रिपोर्ट प्राप्त नहीं है तथा हमारे अधिकारियों द्वारा उनसे मिलकर कोई फर्जी बिल पास नहीं किया जाता है। राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर/केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली से अनुदानित एन.जी.ओ. का निरीक्षण केन्द्रीय बोर्ड, नई दिल्ली से पदस्थापित क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। निरीक्षण प्रतिवेदन में कार्यक्रम संचालन संतोषजनक पाये जाने पर ही संस्थाओं के प्रकरण पर अनुदान स्वीकृति/राशि निर्गत के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित की जाती है। किसी भी संस्था के द्वारा कार्यक्रम संचालन असंतोषजनक पाये जाने पर संस्था को जारी अनुदान स्वीकृति को निरस्त कर दिया जाता है। उक्तानुसार प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुसार अनुदान राशि के दुरूपयोग का कोई प्रकरण नहीं है।

जी नहीं। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा संस्थाओं की नियमित जांच होते रहने के फलस्वरूप पृथक से जांच करवाये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले में पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के तहत देय सहायता राशि

446. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली में वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में पन्नाधाय जीवन अमृत योजना में किस-किस परिवार का आवेदन पत्र कब-कब जमा कराया गया एवं उन्हें सहायता राशि कब-कब दी गई?

(2) उक्त में से कौन-कौन से आवेदन पत्र किन-किन कारणों से कितने-कितने समय से लम्बित हैं और अब इनका निस्तारण कब तक किया जाकर इन्हें सहायता राशि उपलब्ध करा दी जायेगी?

(3) उक्त प्राप्त आवेदन पत्रों में से कौन-कौन से आवेदन किन-किन कारणों से अस्वीकृत किये गये?

उत्तर

(1) जिला पाली में वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में पन्नाधाय जीवन अमृत योजनान्तर्गत कुल 556 आवेदन प्राप्त हुए। जिसमें से 387 को सहायता राशि दी गई, 84 आवेदन लम्बित हैं तथा 85 आवेदन निरस्त किये गये हैं। प्राप्त आवेदन एवं भुगतान का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्राप्त 556 आवेदन पत्रों में से 84 प्रकरण लम्बित हैं जिनका अपेक्षित पूर्ति पश्चात निस्तारण कर दिया जायेगा। लम्बित आवेदन पत्रों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) कुल प्राप्त 556 आवेदन पत्रों में से अस्वीकृत 85 आवेदन पत्रों की अस्वीकृति के कारणों का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना हेतु आबंटित राशि

447. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में कितने बालकों को लाभान्वित किया गया? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करने वाले तीन से चार प्रतिशत बच्चों को ही छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन से अधिकारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में केन्द्र व राज्य द्वारा कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई तथा उसके विरुद्ध कितनी राशि का वितरण किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) पन्नाधाय जीवन अमृत योजनान्तर्गत विगत तीन वर्षों में छात्रवृत्ति से लाभान्वित बच्चों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है। इस योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों में से सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया जा रहा है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(3) उक्त योजनान्तर्गत गत तीन वर्षों में केन्द्र एवं राज्य से

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

आबंटित की गई राशि तथा उसके विरूद्ध वितरित राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

पन्नाधाय जीवन अमृत योजनान्तर्गत विगत तीन वर्षों में छात्रों को भुगतान की गयी छात्रवृत्ति का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	जिला	वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11
		संख्या	संख्या	संख्या
1	अजमेर	2046	2537	3145
2	अलवर	4371	5539	6897
3	बांसवाड़ा	1941	1388	2985
4	बारां	1735	1491	770
5	बाड़मेर	1374	1313	237
6	भरतपुर	3965	5914	7652
7	भीलवाड़ा	1984	1597	1429
8	बीकानेर	984	697	198
9	बूंदी	1776	832	2876
10	चित्तौड़गढ़	1924	1039	1596
11	चूरू	5737	7782	9147
12	दौसा	4633	6476	9983
13	धौलपुर	1245	2131	5649
14	डूंगरपुर	1297	478	2638
15	हनुमानगढ़	5309	6532	6235
16	जयपुर	5213	7453	7563
17	जैसलमेर	537	587	321
18	जालौर	1434	991	214
19	झालावाड	1735	1578	3153
20	झुन्झुनूं	1532	2691	3452
21	जोधपुर	1297	857	397
22	करौली	2347	3901	5162

क्र.सं.	जिला	वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11
		संख्या	संख्या	संख्या
23	कोटा	2622	4369	3568
24	नागौर	804	865	179
25	पाली	580	1023	219
26	प्रतापगढ़	52	361	1117
27	राजसमंद	308	683	2032
28	स. माधोपुर	1573	3159	4632
29	सीकर	1538	3446	5198
30	सिरोही	730	767	163
31	श्रीगंगानगर	3936	4861	4563
32	टोंक	1527	3806	4652
33	उदयपुर	2048	3475	2563
	योग	**70134**	**90619**	**110585**

परिशिष्ट-2

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के तहत गत तीन वर्षो में केन्द्र एवं राज्य से आबंटित की गई राशि तथा उसके विरुद्ध वितरण की गयी राशि का वर्षवार विवरण :-

वर्ष	आबंटन			वितरण राशि			
	केन्द्र	राज्य	योग	छात्रवृत्ति	मृत्यु दावे	अपंगता दावे	योग
2008-09	169311977	169311977	338623954	85456800	273600000	262500	359319300
2009-10	184473504	184473504	368947008	108742800	253305000	225000	362272800
2010-11	193188480	193188480	386376960	132702000	245640000	262500	378604500

अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु अतिरिक्त बजट

448. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में ओ.बी.सी. छात्रवृत्ति के लम्बित प्रकरणों की संख्या एवं राशि का जिलावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त लम्बित प्रकरणों के लिये अतिरिक्त बजट प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना एवं कब तक और नहीं, तो क्यों?

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(3) क्या सरकार प्रति वर्ष ओ.बी.सी. छात्रवृत्ति के लम्बित प्रकरणों के मद्देनजर आगामी बजट प्रावधानों में उक्त मद में बजट राशि बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजनाओं में कोई भी प्रकरण लम्बित नहीं है। परन्तु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं अन्य कारणों के दृष्टिगत जिन प्रकरणों में छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकी उन प्रकरणों की अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्रकरणों की संख्या एवं राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत केवल चालू वित्तीय वर्ष के विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्ति दी जा रही है। अतः उक्त वर्षों के लम्बित प्रकरणों के लिये अतिरिक्त बजट प्रावधान का विचार नहीं है।

शिक्षा विभाग की सूचना के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत किसी भी छात्र-छात्रा को छात्रवृत्ति उसकी पढ़ाई के दौरान शैक्षिक सामग्री प्राप्त करने हेतु दी जाती है। चूंकि गत वर्षों में वित्तीय संसाधनों के अभाव में अब लम्बित रहे आवेदनों से सम्बन्धित छात्र-छात्राओं का शैक्षिक सत्र पूर्ण हो चुका है। ऐसी स्थिति में अब लम्बित आवेदनों से सम्बन्धित छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने का औचित्य शेष नहीं रहता है।

(3) अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत योजना के दिशा-निर्देशों एवं फण्डिंग पैटर्न के अनुसार भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रावधान रखा जाता है। उक्त योजना में वर्ष 2012-13 में बजट राशि बढ़ना संभावित है, परन्तु बजट राशि का निर्धारण भारत सरकार को वर्ष 2011-12 के वास्तविक व्यय के आंकड़े एवं वर्ष 2012-13 के प्रस्ताव भिजवाने के पश्चात ही हो पायेगा, परन्तु उक्त राशि में से केवल चालू वर्ष के विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्ति स्वीकृत की जा सकेगी।

शिक्षा विभाग की सूचना के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु राशि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 अनुपात में उपलब्ध करवाई जाती है। छात्रवृत्ति हेतु कुल उपलब्ध राशि भारत सरकार की

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

स्वीकृति पर निर्भर रहती है। उपलब्ध राशि के अतिरिक्त लम्बित प्रकरणों के भुगतान हेतु वित्तीय संसाधनों का बजट में प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशोर न्याय बोर्ड, हनुमानगढ़ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण

449. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों में जिला हनुमानगढ़ में जिला स्तर पर गठित किशोर न्याय बोर्ड में कितने मामले दर्ज किये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त जिले में उक्त न्याय बोर्ड के समक्ष कितने बालक व बालिकाओं को किन-किन अपचारों के तहत प्रस्तुत किया गया? गत पांच वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) गत पांच वर्षों में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये गये उक्त बालक-बालिकाओं पर क्या-क्या कार्यवाही बोर्ड द्वारा की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत 5 वर्षों में जिला हनुमानगढ़ जिला स्तर पर गठित किशोर न्याय बोर्ड में दर्ज किये गये मामलों की संख्या वर्षवार निम्नानुसार है :-

वर्ष	**मामले**
2007	83
2008	38
2009	27
2010	30
2011	47
योग	**225**

(2) जिले में किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये गये बालक व बालिकाओं को जिन अपचारों के तहत प्रस्तुत किया गया जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(3) गत 5 वर्षों में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये गये जिन बालक-बालिकाओं पर जो कार्यवाही बोर्ड द्वारा की गई उसका विवरण निम्नानुसार है:-

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

की गई कार्यवाही	अपचारियों की संख्या
प्रोबेशन व जुर्माना	17
रिहा	14
राजीनामा	16
फरार	2
सजा	10

परिशिष्ट-अ

क्र. सं.	धारा	बालक	बालिका
1	363, 376, 377 आईपीसी व एससी एसटी एक्ट	35	-
2	306, 307 आईपीसी	25	-
3	302 आईपीसी	38	1
4	457, 454, 380, 379, 382 आईपीसी	43	2
5	16/54 व 19/54 आरई एक्ट	14	-
6	341, 323, 325, 504, 326, 452 आईपीसी	69	-
7	3/25 आर्म्स एक्ट	6	-
8	392, 394, 395 आईपीसी	8	-
9	13 आरपीजीओ	2	-
10	279, 337, 304 ए आईपीसी	5	-
11	420, 467, 468, 120 बी आईपीसी	-	1
12	304 बी, 498 ए आईपीसी	3	1
13	3/6 परीक्षा अनुचित साधन अधि.	5	-
14	9/51 डब्ल्यूएलपी एक्ट	2	-
15	8/15, 29 एनडीपीएस एक्ट	2	-
16	5/8 राज. गौवंश अधि.	1	-

जैसलमेर जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति निगम द्वारा व्यय राशि

450. **श्री छोटूसिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जैसलमेर जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति निगम द्वारा जिले में विगत 5 वर्षों में कौन-कौन से कार्य किये गये तथा कितनी राशि व्यय की गई? कार्यवार, वर्षवार व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री छोटू सिंह भाटी)

(2) उक्त कार्यों के प्रस्ताव किस माध्यम से प्राप्त होते हैं तथा उसमें स्वीकृति हेतु कौन से मानदण्डों का पालन किया जाता है? मानदण्डों व नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति निगम द्वारा जिले में विगत 5 वर्षों में किए गए कार्यवार एवं वर्षवार व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त कार्यों में से

1. ग्रामीण पोप के प्रस्ताव पंचायत समिति के माध्यम से प्राप्त होने पर सम्बन्धित बैंक शाखाओं को भेजे जाते हैं, बैंक द्वारा स्वीकृति उपरान्त निगम कार्यालय द्वारा अनुदान सम्बन्धित बैंक शाखा को भेजा जाता है।
2. शहरी पोप के प्रस्ताव नगरपालिका के माध्यम से प्राप्त होने पर सम्बन्धित बैंक शाखाओं को भेजे जाते हैं, बैंक द्वारा स्वीकृति उपरान्त निगम कार्यालय द्वारा अनुदान सम्बन्धित बैंक शाखा को भेजा जाता है।
3. कृषि कूप विद्युतिकरण के प्रस्ताव पंचायत समिति के माध्यम से प्राप्त होने पर निगम कार्यालय द्वारा स्वीकृति जारी कर राशि सम्बन्धित लाभार्थी को दी जाती है।
4. कार्यशाला के प्रस्ताव पंचायत समिति के माध्यम से प्राप्त होने पर निगम कार्यालय द्वारा स्वीकृति जारी कर राशि पंचायत समितियों को भेजी जाती है।
5. राष्ट्रीय निगम-राज. अनु. जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि., जयपुर के प्रधान कार्यालय द्वारा आबंटित लक्ष्यानुसार आवेदन पत्रों को जिला स्तर संवीक्षा समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से स्वीकृत किया जाता है। निगम के प्रधान कार्यालय से ऋण राशि प्राप्त होने पर लाभार्थियों को दी जाती है।

राज. अनु. जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. द्वारा संचालित योजनाएं व गतिविधियों के मानदण्डों व नियमों की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

अजमेर जिले के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

451. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अजमेर में कितने पशु चिकित्सालय संचालित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पशु चिकित्सालयों में कितने पशु चिकित्सक व कार्मिकों के पद सृजित हैं? क्या सृजित पदों के अनुसार चिकित्सक व कार्मिक कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार यातायात की समस्या को देखते हुए पशु चिकित्सालय नया बाजार को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला अजमेर में 1 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, 11 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय तथा 61 पशु चिकित्सालय संचालित हैं। विधान सभा क्षेत्रवार पशु चिकित्सा संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	पाली क्लिनिक	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय	पशु चिकित्सालय	पशु औषधालय	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र	कुल
1	किशनगढ़	-	2	9	2	5	18
2	पुष्कर	-	-	6		5	11
3	अजमेर उत्तर	1	-	2	1	2	6
4	अजमेर दक्षिण	-	-	1	-	-	1
5	नसीराबाद	-	3	10	1	3	17
6	ब्यावर	-	2	5	1	3	11
7	मसूदा	-	2	13	1	10	26
8	केकड़ी	-	2	15	3	6	26
	कुल	**1**	**11**	**61**	**9**	**34**	**116**

(2) उक्त पशु चिकित्सा संस्थाओं में 80 पशु चिकित्सकों एवं 372 कार्मिकों के पद सृजित हैं, इनमें से 66 पशु चिकित्सक एवं 272 कार्मिक कार्यरत हैं ।

(3) माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर की डबल बैंच के निर्णय अनुसार नया बाजार स्थित बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, अजमेर को नये स्थान पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होने के पश्चात ही स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

बारां जिले के क्रमोन्नत पशु चिकित्सा केन्द्र

452. श्री प्रमोद जैन 'भाया' (अन्ता-बारां) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले में माह दिसम्बर 2008 से फरवरी 2012 की अवधि में किस-किस स्थान पर नये पशु चिकित्सा केन्द्र खोले गये? स्वीकृति आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) जिले में उक्त अवधि में किस-किस पशु चिकित्सा केन्द्र को किस-किस दिनांक को क्रमोन्नत किया गया? स्वीकृति आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त नये स्वीकृत व क्रमोन्नत पशु चिकित्सा केन्द्र किस-किस दिनांक से प्रारम्भ हो चुके हैं एवं इनमें किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद स्वीकृत हुये? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) बारां जिले में माह दिसम्बर 2008 से फरवरी 2012 तक की अवधि में आटोन, करनाहेडा, मऊ, मामोनी व सहजनपुर स्थान पर नये पशु चिकित्सा केन्द्र खोले गए, स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न है।

(2) जिले में माह दिसम्बर 2008 से फरवरी 2012 तक शेरगढ़, बड़ा, आटोन, फलिया पशु चिकित्सा उपकेन्द्र को पशु चिकित्सालय में तथा सोरसन, बमोरीकलां, कसबाथाना, रामगढ़, सुखनेरी व फूलबड़ौदा में पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को पशु औषधालय में क्रमोन्नत किया गया है। स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न है।

(3) नवीन स्वीकृत उपकेन्द्र पर उपलब्ध नवीन पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रत्येक नवीन उपकेन्द्र पर एक पशुधन सहायक एवं एक जलधारी तथा क्रमोन्नत पशु चिकित्सालय में एक पशु चिकित्सा अधिकारी एवं एक पशुधन परिचर का अतिरिक्त पद स्वीकृत हुआ है। जबकि पशु औषधालय में पशुधन सहायक के पद को पशु चिकित्सा सहायक के पद में क्रमोन्नत किया गया है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन के कार्मिकों हेतु छठे वेतनमान का लाभ

453. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अर्जुन लाल)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन के तहत आने वाले संघों में अलग-अलग वेतनमान एवं अलग-अलग सेवा अवधि है? यदि हां, तो कहां-कहां पर कितना-कितना एवं कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अन्य सरकारी बोर्ड/निगमों/सहकारी संस्थाओं की तरह इस विभाग में छठा वेतनमान एवं 60 वर्ष की सेवा अवधि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

1. पांचवें वेतन आयोग के नियमों के तहत वेतन पाने वाले दुग्ध संघ, बीकानेर, बांसवाड़ा एवं भरतपुर हैं। जो कि दिनांक 01.04.1998 से लागू है।

2. छठे वेतन आयोग के नियमों के तहत वेतन पाने वाले दुग्ध संघ, जयपुर, अलवर, उदयपुर, पाली, जोधपुर, अजमेर, सीकर, चुरू, बाड़मेर, रानीवाड़ा, कोटा, टोंक, सवाईमाधोपुर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, नागौर, चित्तौड़गढ़ एवं झालावाड़ है।

(संघवार लागू होने की स्थिति प्रदर्श-क पर संलग्न है)

3- सेवा अवधि के क्रम में मात्र दुग्ध संघ, पाली में सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष है एवं अन्य दुग्ध संघों में सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष ही रखी गई है।

(2) जी नहीं। राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन एवं समस्त जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम-2001 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड सहकारी संस्थाएं हैं एवं सभी स्वतन्त्र संस्थाएं हैं, जिनका पृथक-पृथक संचालक मण्डल है। कर्मचारियों के वेतनमान एवं 60 वर्ष की सेवा अवधि का निर्णय लिये जाने का क्षेत्राधिकार सभी संस्थाओं के संचालक मण्डल में निहित है।

छठा वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक : फा.8(15)सविरा/उद्योग/ 2008 दिनांक 23-03-2009 द्वारा दुग्ध संघों में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने बाबत दिशा-निर्देश/मापदण्ड निर्धारित किये हुए हैं। जो सहकारी संस्थाएं उक्त पत्र में निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करती है, वें सहकारी संस्थाएं अपने-अपने संचालक मण्डल में निर्णय पारित कर सक्षम

(डेयरी राज्य मंत्री)

प्राधिकारी (रजिस्ट्रार) की अनुमति उपरान्त छठा वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर सकती हैं।

इसी प्रकार सेवा अवधि के क्रम में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर द्वारा सहकारी समितियों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष करने के सम्बन्ध में आदेश क्रमांक : 15(7)सविरा/नियम/89 पार्ट-5 दिनांक 17-09-2008 द्वारा दिशा-निर्देश/मापदण्ड निर्धारित किये हुए हैं तथा जो सहकारी संस्थाएं उक्त परिपत्र में निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करती हैं वे अपने प्रस्ताव अपने-अपने संचालक मण्डल में निर्णय पारित कर प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से स्वीकृति हेतु रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां को प्रेषित करेंगे।

प्रदर्श-क

राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर

आरसीडीएफ एवं सम्बद्ध जिला दुग्ध संघों में छठे वेतन की स्थिति

क्र.सं.	जिला दुग्ध संघ का नाम	छठा वेतनमान प्रभावी होने की तिथि	टिप्पणी
क	आरसीडीएफ एवं इसकी इकाइयां	01.09.2006	
ख	जिला दुग्ध संघ		
1	अजमेर	01.09.2006	*
2	अलवर	01.02.2009	*
3	बांसवाड़ा		****
4	बाड़मेर	01.02.2009	*
5	भरतपुर		**
6	भीलवाड़ा	01.09.2006	*
7	बीकानेर		**
8	चित्तौड़गढ़	01.09.2006	*
9	चूरू		**
10	जयपुर	01.09.2006	*
11	जालौर	01.07.2009	*
12	झालावाड़	01.02.2009	*

क्र.सं.	जिला दुग्ध संघ का नाम	छठा वेतनमान प्रभावी होने की तिथि	टिप्पणी
13	जोधपुर	01.02.2009	*
14	कोटा	01.02.2009	*
15	नागौर	01.02.2009	*
16	पाली	01.02.2009	***
17	सीकर		**
18	श्रीगंगानगर	01.02.2006	*
19	सवाईमाधोपुर	01.07.2009	*
20	टोंक	01.07.2009	*
21	उदयपुर	01.03.2009	**

नोट :-

* आरसीडीएफ/शासन उप सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान द्वारा अनुमोदित।

** रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान/राजस्थान सरकार द्वारा रैपसर एक्ट के अन्तर्गत अनुमोदित नहीं।

*** रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित।

**** आरसीडीएफ कमेटी के परीक्षण हेतु आरसीडीएफ में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

मालपुरा के किसानों को क्रेडिट कार्डधारी मृतक किसानों के आश्रितों को ऋण वसूली में राहत

454. श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2005 से अब तक विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में को-आपरेटिव बैंक द्वारा किसानों को क्रेडिट कार्ड बनाये गये हैं? यदि हां, तो कब एवं कितने किसानों के? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में किसानों को क्रेडिट कार्ड बनवाने के बाद कई किसानों की मृत्यु हो गई? यदि हां, तो कितने किसानों की?

(श्री रणवीर पहलवान)

(3) क्या यह सही है कि उक्त किसानों के मृत्युपरान्त भी बैंक द्वारा खाते में पैनल्टी व ब्याज लगाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या बैंक द्वारा किसानों को दिये जाने वाले ऋण का बीमा नहीं किया जाता है? क्या सरकार किसान की मृत्यु होने पर ऋण में छूट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाने के लिये भूमि के आधार पर नीति बनाई गई है? यदि हां, तो प्रति हैक्टर भूमि पर कितने ऋण का प्रावधान है और नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2005 से अब तक विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में लोन मेला लगाकर ऋण स्वीकृत किये गये थे? यदि हां, तो किस माह में कहां-कहां कितना ऋण स्वीकृत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ऋण का चैक वितरण के बाद भी आज दिनांक तक किसानों के खाते में राशि जमा नहीं करवाई गई है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इसकी जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2005 से फरवरी 2012 तक विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., टोंक द्वारा किसानों के बनाये गये क्रेडिट कार्ड का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है

वर्ष	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
बनाये गये क्रेडिट कार्ड संख्या	1104	621	586	1056	1115	2091	8440	180

(2) किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के बाद किसानों की हुई मृत्यु का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
मृतक किसान संख्या	39	87	86	67	117	88	161	13

(सहकारिता मंत्री)

(3) कृषक के ऋण खाते पर नियमानुसार ब्याज तथा ऋण किश्त अवधिपार होने पर दण्डनीय ब्याज लिया जाता है। बैंक के ऋणी सदस्यों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना दिनांक 05.03.2010 से लागू है तथा उक्त योजना के प्रावधानों के तहत् ऋणी सदस्यों को बीमा योजना का लाभ देय है। ऋणी सदस्यों की मृत्यु होने पर ऋण में एकमुश्त योजना के प्रावधानों के तहत लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

(4) किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाने में कृषक की भूमि का विवरण केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रति हैक्टर भूमि पर फसली ऋण की राशि जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा फसलवार ऋण सीमा से निर्धारित होती है। जिला स्तरीय तकनीकी समिति, टोंक द्वारा निर्धारित फसलवार ऋण सीमा का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(5) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में वर्ष 2005 से फरवरी, 2012 के मध्य केवल माह जनवरी, 2011 में केन्द्रीय सहकारी बैंक, टोंक द्वारा ऋण मेले का आयोजन किया गया था। इस मेले में 1758 कृषकों को 307.94 लाख रु. का ऋण स्वीकृत किया गया।

(6) वर्ष 2005 से अब तक राज्य सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में ऋण के कोई चैक वितरित नहीं किये गये हैं। बैंक द्वारा ऋण मेले में जारी चैकों का कोई भुगतान होना शेष नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बडोद (कोटा) ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों में अनियमितताएं

455. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा की ग्राम पंचायत बडोद द्वारा वर्ष 1985 से 1991 तक सरकारी जमीन के कुछ पट्टे जारी किये गये थे? यदि हां, तो कितने व किस-किस के नाम? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पट्टे उस समय के सरपंच व सचिव के रिश्तेदारों के नाम व दूसरे गांवों के व्यक्तियों के नाम बिना पूर्व सूचना व बोली के जारी किये गये थे? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां । ग्राम पंचायत, बूढादीत द्वारा 1985 से 1991 तक कुल 169 पट्टे सरकारी भूमि पर जारी किये गये थे । जारी किये गये पट्टों का नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट-क)

(2) वर्तमान में पूर्व सरपंच व पूर्व सचिव के रिश्तेदारों के नाम व दूसरे गांव के व्यक्तियों के नामों की पुष्टि प्राप्त सूची द्वारा नही होती है व बिना पूर्व सूचना व बोली के बारे में जानकारी भी उपलब्ध नही है । इस हेतु पंचायत समिति के पंचायत प्रसार अधिकारी को जांच करने हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सुलतानपुर ने अपने आदेश क्रमांक 11127 दिनांक 27.3.2012 से निर्देशित कर दिया है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कानूजा (पाली) ग्राम पंचायत द्वारा जारी गैर आबादी क्षेत्र के पट्टों का आबादी क्षेत्र में परिवर्तन

456. श्री प्रेमचन्द (पीपल्दा) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली की ग्राम पंचायत कानूजा (तह. रायपुर) में कानूजा पंचायत के वर्ष 2005 से फरवरी, 2012 तक किस-किस वर्ष में कितने पट्टे जारी किये गये? उक्त पट्टे किन-किन व्यक्तियों के नाम से जारी किये गये और उक्त पट्टे किस-किस खसरा नम्बर और किस किस्म की भूमि पर जारी किये गये? प्रत्येक पट्टेधारी का नाम, पट्टा जारी करने की दिनांक, पट्टे का माप, पट्टे की सीमायें, पट्टा जारी करने वाली भूमि का खसरा नम्बर, भूमि की किस्म और पट्टा जारी करने वाले सरपंच के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम पंचायत कानूजा का आबादी क्षेत्र कितना है और उक्त आबादी क्षेत्र किस-किस खसरा भूमि पर स्थित है? विवरण मय मानचित्र सदन की मेज पर रखें।

(3) ग्राम पंचायत कानूजा के आबादी क्षेत्र का विस्तार कितनी बार किया गया तथा कितने क्षेत्र को आबादी क्षेत्र में परिवर्तित किया गया और किस किस्म, किन खसरा नम्बर भूमि को आबादी क्षेत्र में परिवर्तित किया गया?

(श्री प्रेमचन्द)

(4) क्या यह सही है कि कानूजा पंचायत में आबादी बस्तियां गैर आबादी क्षेत्र में भी बस चुकी हैं और वहां आबादी क्षेत्र के रूप में विकसित हो चुकी हैं? क्या सरकार गैर आबादी क्षेत्र में बसी बस्तियों को आबादी क्षेत्र में परिवर्तित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और किस नीति के तहत?

उत्तर

(1) जिला पाली की ग्राम पंचायत कानूजा (तह. रायपुर) में कानूजा पंचायत में वर्ष 2005 से फरवरी, 2012 तक जारी किये गये पट्टे की छाया प्रति मय पूर्ण विवरण सहित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है । (परिशिष्ट-क)

(2) ग्राम पंचायत कानूजा का कुल आबादी क्षेत्र 81 बीघा 09 बिस्वा भूमि किस्म गैर मुमकिन पहाड़ है । जिसका विवरण मय मानचित्र के सदन के पटल पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट-ख)

(3) ग्राम पंचायत, कानूजा के आबादी क्षेत्र का विस्तार एक बार किया गया है जिसमें 0.05 बीघा गैर मुमकिन पहाड़ से किया गया है तथा 0.05 बीघा भूमि खसरा नम्बर 996/1914 भूमि आबादी क्षेत्र में परिवर्तित किया गया है ।

(4) जी हां । कानूजा पंचायत में गैर आबादी क्षेत्र में बसी बस्तियों को आबादी क्षेत्र में परिवर्तित करने बाबत वर्तमान में राज्य सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कुशलगढ़ के वन भूमि पर काबिज आदिवासियों को अधिकार-पत्र

457. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में वर्ष 2005 तक वन भूमि पर बसे आदिवासियों को उनके कब्जे की भूमि के अधिकार (पट्टे) देने का निर्णय किया था? यदि हां, तो कुशलगढ़ क्षेत्र में अब तक कितने भूमिहीन काश्तकारों को पट्टे (अधिकार पत्र) दिये? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री फतेह सिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के पटवार हल्का फुलपुरी के पारसेंग/कालु आदिवासी व रामगढ़ पटवार हल्के में कचरू आदिवासी ने वन भूमि पर कब्जे का आवेदन दिया था और अधिकार पत्र की मांग की थी?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के काश्तकार पारसेग/कालु फुलपुरी हल्का पटवारी फुलपुरी व हमरू जोसी धरनारा पटवार हल्का रामगढ़ इन दोनों व्यक्तियों को कब्जाशुदा वन भूमि का अधिकार पत्र देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 1193 लोगों को वनाधिकार पत्र (पटटे) दिये गये। सूची संलग्न (परिशिष्ट अ)।

(2) जी हां।

(3) काश्तकार पारसैंग/कालु फुलपुरी ने आवेदन किया है, जांच कराई जा रही है। पात्र होने पर पट्टा दिया जाएगा। रामगढ़ पटवार हल्का के धरतारा में हकरू/नाथिया को अधिकार पत्र दिया जा चुका है। हमरू/जोशी के नाम से कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्य क्षेत्र

458. **श्री गोपाल मीणा** (जमवारामगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु आयोग का गठन कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? क्या उक्त आयोग में स्टाफ की नियुक्ति कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त आयोग की शक्तियां तथा कार्य क्षेत्र क्या होगा और आयोग द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए कौन-कौन से कार्य किये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

क्रमांक एफ 11(136) आर एण्ड पी/सा.न्या.अ वि/2001/89104 जयपुर 30-11-2011 द्वारा राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। स्टाफ की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जानी है।

(2) शक्तियां तथा कार्य में अनुसूचित जनजाति आयोग राज्य की अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के समाधान का कार्य सम्पादित करेगा। आयोग अनुसूचित जाति के लिए कार्य नहीं करके यह आयोग अनुसूचित जनजाति के वर्गों के आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास की योजनाओं की मोनिटरिंग करेगा तथा उत्थान के कार्यक्रमों को देखेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बूंदी में माडा योजना के तहत कराए गए कार्य

459. **श्री अशोक डोगरा** (बून्दी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बूंदी में माडा योजना में कौन-कौन से गांव सम्मिलित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) सरकार द्वारा माडा योजना में कौन-कौनसी योजनायें संचालित की जाती हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा गत 3 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बूंदी में माडा योजना में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये तथा वर्तमान में कौन-कौन से कार्यों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बूंदी की ग्राम पंचायत रायथल के द्वारा माडा योजना के तहत कार्यों हेतु प्रेषित प्रस्तावों पर स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बून्दी में माडा योजना में 100 ग्राम सम्मिलित हैं। चयनित ग्रामों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) माडा योजना में संचालित योजनाओं की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बून्दी में 3 वर्षों में स्वीकृत कार्यों की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है तथा वर्तमान में विचाराधीन प्रस्तावों की सूची परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) बून्दी से ग्राम पंचायत रायथल के दो सी सी रोड निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयी)

धौलपुर जिले में जिला परिषदों के माध्यम से संचालित योजनाएं

460. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में जिला परिषदों के माध्यम से कई केन्द्रीय व राजकीय योजनायें चल रही है? यदि हां, तो कौन-कौनसी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में जिला धौलपुर में जिला परिषद् के अन्तर्गत कौन-कौनसी राजकीय व केन्द्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जिला परिषदों के माध्यम से केन्द्रीय एवं राज्य योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में जिला परिषद धौलपुर द्वारा क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का विवरण

ग्रामीण विकास

अ. केन्द्रीय योजनाएं

क्र.सं.	योजना का नाम
1	स्वर्ण जयन्ती ग्राम रोजगार योजना
2	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
3	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
4	इंदिरा आवास योजना
5	एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम

क्र.सं.	योजना का नाम
6	सूखा सम्भावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम
7	मरू विकास कार्यक्रम
8	एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन परियोजना
9	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
10	सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम
11	डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना
12	ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा)

ब. राज्य योजनाएं

क्र.सं.	योजना का नाम
1	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
2	मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
3	ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना
4	डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
5	स्वविवेक जिला विकास योजना
6	मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
7	मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना

पंचायती राज

केन्दीय योजनाएं

क्र.सं.	योजना का नाम
1	तेरहवां वित्त आयोग
2	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम
3	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना
4	नवाचार विधि योजना
5	पंचायत सशक्तिकरण एवं प्रोत्साहन योजना
6	संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम
7	राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम
ब. राज्य योजनाएं	
क्र.सं.	**योजना का नाम**
1	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग
2	रियायती दर पर आवासीय भू-खण्ड का आबंटन

क्र.सं.	योजना का नाम
3	निर्बन्ध राशि योजना
4	निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना
5	पंचायती राज संस्थाओं को निर्बन्ध राशि
6	क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन
7	विकेन्द्रीकृत जिला आयोजना
8	जिला परिषद/पंचायत समितियों के भवनों का विस्तार/मरम्मत

परिशिष्ट-2

जिला परिषद धौलपुर द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का विवरण

अ. केन्द्रीय योजनाएं

क्र.सं.	योजना का नाम
1	स्वर्ण जयन्ती ग्राम रोजगार योजना
2	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
3	इंदिरा आवास योजना
4	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
5	एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम
6	राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम
7	तेरहवां वित्त आयोग
8	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना

ब. राज्य योजनाएं

1	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
2	ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना
3	डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
4	स्वविवेक जिला विकास योजना
5	सम्बल योजना
6	माडा/बिखरी जनजाति विकास योजना
7	पन्नाधाय जीवन अमृत योजना
8	भू-खण्ड अविरल योजना
9	देवनारायण योजना
10	निर्बन्ध राशि योजना
11	राज्य वित्त आयोग
12	मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना

कानरपुरा (जयपुर) के बी.पी.एल. परिवारों के इंदिरा आवास का बकाया भुगतान प्रकरण

461. श्री गणेश सिंह परमार (कुम्भलगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों में पंचायत समिति गोविन्दगढ़ तहसील चौमूं जिला जयपुर की ग्राम पंचायत घिनोई के ग्राम कानरपुरा में बी.पी.एल. परिवार के किस-किस व्यक्ति को इंदिरा आवास योजना में कितनी-कितनी राशि कब-कब स्वीकृत कर किस-किस तिथि को प्रथम/द्वितीय किश्त का भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त योजना में उक्त पंचायत में वर्ष 2002 में बी.पी.एल. स्टेट सूची में चयनित बी.पी.एल. परिवारों में किन-किन को इंदिरा आवास राशि स्वीकृत/प्रस्तावित की गई और शेष किन-किन परिवारों को इंदिरा आवास अब कब तक स्वीकृत कर दिया जावेगा?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम कानरपुरा में बी.पी.एल. परिवारों में से कई व्यक्तियों ने अपना इंदिरा आवास पूरा बना लिया और उनको प्रथम किश्त का भुगतान कर दिया तथा उन्हें अथक् प्रयास करने के बाद भी द्वितीय किश्त का भुगतान नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) उक्त ग्राम के बी.पी.एल. परिवारों को किश्तों का भुगतान समय पर नहीं किये जाने में कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है और अब सरकार उक्त दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम के बी.पी.एल. परिवार की श्रीमती झूंमा देवी पत्नी श्री मुरलीधर मीणा को भी इंदिरा आवास आबंटित किया गया था? क्या उक्त गरीब बी.पी.एल. परिवार को आवास पेटे एक किश्त का भुगतान किया गया और द्वितीय का भुगतान अब तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों और विलम्ब के क्या कारण हैं?

(6) क्या उक्त प्रकरण में द्वितीय किश्त के भुगतान की स्वीकृति अभी तक जिला परिषद्, जयपुर द्वारा जारी नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों और इसमें कौन दोषी है तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) अब श्रीमती झूंमा देवी को उसके इंदिरा आवास की बकाया

(श्री गणेश सिंह परमार)

द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में पंचायत समिति गोविन्दगढ़ तहसील चौमूं जिला जयपुर की ग्राम पंचायत घिनोई के ग्राम कानरपुरा में कुल 8 व्यक्तियों को इन्दिरा आवास स्वीकृत किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट- "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त योजना में ग्राम पंचायत घिनोई में बी.पी.एल. सैन्सस-2002 के आधार पर तैयार की गई स्थाई प्रतीक्षा सूची में से कुल 23 परिवारों को इन्दिरा आवास एवं एक पात्र परिवार को मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना स्वीकृत किये जा चुके हैं। लाभान्वित परिवारों की सूची परिशिष्ट- "ब" पर संलग्न है। प्रतीक्षा सूची में से शेष रहे परिवारों की पात्रता की जांच प्रक्रियाधीन है जिसके आधार पर वर्ष 2012-13 की स्थाई प्रतीक्षा सूची तैयार की जा रही है, शेष पात्र लाभार्थियों की स्वीकृति ग्राम पंचायत को आगामी वर्षों में आबंटित लक्ष्यों के अनुसार जारी की जायेगी।

(3) जी नहीं। ग्राम कानरपुरा के सभी 8 लाभार्थियों के द्वारा अपना निर्माण लिंटल लेवल तक पूर्ण करने के पश्चात इन्हें द्वितीय किश्त का भुगतान कर दिया गया है।

(4) ग्राम कानरपुरा में स्वीकृत आवासों में से इन्दिरा आवास निर्माण के मापदण्डानुसार कार्य हो जाने पर लाभार्थी द्वारा प्रपत्र 3 एवं ग्राम सचिव के द्वारा प्रपत्र 4 प्रस्तुत करने के आधार पर द्वितीय किश्त का भुगतान नियामनुसार किया जा रहा है। अत: कोई दोषी नही है।

(5) श्रीमती झूंमा देवी पत्नी श्री मुरलीधर मीणा को वर्ष 2010-11 में इन्दिरा आवास आबंटित कर प्रथम किश्त का भुगतान कर दिया गया था तथा द्वितीय किश्त के भुगतान हेतु निर्धारित निर्माण पूर्ण कर प्रपत्र 3 एवं 4 ग्राम सेवक के द्वारा विकास अधिकारी को दिनांक 22.3.2012 को प्रस्तुत किया तथा दिनांक 23.3.2012 को जिला परिषद जयपुर को प्रस्तुत करने के आधार पर द्वितीय किश्त की राशि दिनांक 26.3.2012 को जारी कर दी गई है।

(6) जी नहीं। भुगतान कर दिया गया है अत: कोई दोषी नही है।

(7) भुगतान दिनांक 26.3.2012 को कर दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रेवदर में खादी बोर्ड द्वारा स्वीकृत ऋण

462. श्री जगसीराम (रेवदर) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2009 से जनवरी, 2012 तक विधान सभा क्षेत्र रेवदर के कौन-कौन से आवेदकों ने खादी बोर्ड के तहत रोजगार लगाने के लिये ऋण हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी आवेदकों को आवेदन पत्रानुसार ऋण स्वीकृत कर उपलब्ध करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और कौन-कौन से आवेदक आज भी ऋण पाने से वंचित हैं?

(3) क्या सरकार उक्त आवेदकों को ऋण स्वीकृत कर भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) केन्द्रीय प्रवर्तित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2009 से जनवरी, 2012 तक 52 आवेदकों ने ऋण हेतु जिलाधिकारी (खादी) सिरोही को आवेदन किया। सूची अनु. 1 पर संलग्न है।

(2) जिलाधिकारी (खादी) सिरोही द्वारा 52 आवेदन पत्र जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये गये। (अनु. 1) जिनमें से 14 आवेदन पत्र जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी द्वारा निरस्त किये गये अनु. 2 संलग्न है। शेष 38 आवेदन पत्र जिले की सम्बन्धित बैंकों को प्रेषित किये गये सूची अनु. 3 पर संलग्न है। जिनमें से बैंकों द्वारा 20 आवेदन पत्र स्वीकार किये हैं, (सूची अनु. 4)। शेष 18 आवेदन पत्र ऋण प्राप्त होने से वंचित हैं, सूची अनु. 5 संलग्न है। जिसमें से 2 आवेदन पत्र बैंकों द्वारा निरस्त कर दिये, सूची अनु. 6 संलग्न है। शेष 16 आवेदन पत्र अभी भी बैंकों में ऋण स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। सूची अनु. 7 पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार/खादी बोर्ड द्वारा कोई ऋण प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत नहीं किये जाते। खादी ग्रामोद्योग आयोग (भारत सरकार) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ऋण स्वीकृत करने का कार्य बैंकों के क्षेत्राधिकार में है, यदि बैंक सम्बन्धित उद्यमी के ऋण स्वीकृत करती है, तो नोडल बैंक शाखा नियमानुसार मार्जिन मनी (अनुदान) उपलब्ध करा सकेगी।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

बांधों एवं तालाबों में मत्स्य पालन ठेके

463. श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा) : क्या मत्स्य पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग के तालाबों, बांधों, एनिकटों व जलाशयों के लिये ग्राम पंचायत/पंचायतों द्वारा मत्स्य ठेका दिया जा सकता है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नही।

ग्राम पंचायत/पंचायतों द्वारा सिंचाई विभाग के वे तालाब/बांध/ एनीकट जलाशय जो मत्स्य विभाग द्वारा हस्तान्तरित किये गये हैं के मत्स्य ठेके नहीं दिये जा सकते, लेकिन पशुपालन विभाग के आदेश दिनांक 10-07-2001 के तहत ग्राम पंचायत/पंचायतों को प्राथमिकता पर पंचायत क्षेत्र एवं पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होने पर पंचायत समिति क्षेत्र के युवकों को आबंटन पर देने का अधिकार है। आबंटन से शेष रहे जलाशयों को ठेके पर दिये जाने हेतु पंचायत समिति को प्रस्तावित किया जाता है। जलाशयों को ठेके पर देने की कार्यवाही पंचायत समिति मुख्यालय पर राजस्थान मत्स्य क्षेत्र नियम 1958 के (संशोधित नियम 2010) के नियम 5(5) के तहत पंचायत राज संस्थाओं को मत्स्य ठेका दिये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।

आदेशों की पालना नहीं होने की स्थिति में पंचायतों के विरूद्ध कार्यवाही पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है ।

सिरोही जिले में रिवाल्विंग फण्ड के तहत आबंटित राशि

464. श्रीमती गंगा बेन गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सिरोही जिले में मनरेगा में वर्ष 2011-12 में किस-किस पंचायत समिति को कब-कब कितनी-कितनी राशि रिवाल्विंग फंड के रूप में आबंटित की गई?

(2) उक्त अवधि में पंचायत समिति द्वारा किस-किस ग्राम पंचायत को कब-कब कितनी-कितनी राशि रिवाल्विंग फंड के रूप में आबंटित की गई?

(श्रीमती गंगा बेन गरासिया)

(3) किस-किस ग्राम पंचायत के पास अभी तक कितनी-कितनी राशि रिवाल्विंग फंड बतौर शेष है?

उत्तर

(1) सिरोही जिले में महानरेगा योजना में वर्ष 2011-12 में पंचायत समितियों को हस्तान्तरित राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायत को आबंटित रिवाल्विंग फण्ड का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) उपलब्ध राशि रिवालविंग फण्ड का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अचरोल (जयपुर) ग्राम पंचायत के "मनरेगा" कार्यों में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

465. **श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत अचरोल पंचायत समिति आमेर जिला जयपुर में महानरेगा कार्यों, मस्टरोल, जलग्रहण एवं अवैध पथकर वसूली में हुई अनियमितताओं की जांच करवाई गई है? यदि हां, तो कब? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक कार्यवाही कर ली जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत अचरोल पंचायत समिति आमेर जिला जयपुर में महानरेगा कार्यों, मस्टरोल की जांच आन्तरिक जांच दल द्वारा दिनांक 23.08.11 से 27.08.11 तक एवं अन्य बिन्दुओं की जांच मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा गठित कमेटी द्वारा दिनांक 17.10.11 से 23.12.11 तक की गई है। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-1 एवं 2 पर संलग्न है।

(2) दोषियों के विरूद्व कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। आन्तरिक जांच दल द्वारा की गई जांच के आधार पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करने एवं

(ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री)

अनियमित व्यय की वसूली किए जाने बाबत आदेश जारी किये जा चुके हैं। इसी प्रकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जयपुर द्वारा गठित कमेटी द्वारा की गई जांच के आधार पर सम्बन्धित सरपंच के विरुद्व राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र तथा सम्बन्धित ग्राम सेवक के विरुद्व सी.सी.ए. 16 के तहत आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र मय चार्जशीट के तैयार कराने हेतु विकास अधिकारी को लिखा जा चुका है। की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जयपुर जिले के "मनरेगा" कार्यों में अनियमितताएं

466. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले में नरेगा योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में कई अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो 1 अप्रैल, 2011 से अब तक किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई? प्राप्त शिकायतों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उपरोक्त अनियमितताओं में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई और किस-किस के विरुद्ध किस कारण से कार्यवाही लम्बित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जयपुर जिले में नरेगा योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिला स्तर पर प्राप्त शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-अ पर एवं पंचायत समिति स्तर पर प्राप्त शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। सरकार द्वारा उपरोक्त अनियमितताओं में दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई है। सम्बन्धितों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-अ एवं ब पर सम्बन्धित कालम में संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सलूम्बर में महानरेगा के तहत स्वीकृत कार्य

467. श्रीमती बसन्ती देवी मीणा (सलूम्बर) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में संचालित महानरेगा योजना के तहत क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये जा सकते हैं?

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में महानरेगा के तहत "अपना खेत-अपना काम योजना" के तहत कार्य स्वीकृत नहीं हो रहे हैं? यदि हां, तो क्यों एवं नहीं, तो विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कौन-कौन से कार्य कब-कब स्वीकृत हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में संचालित महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के अनुसार अनुमत निम्नलिखित श्रेणियों के कार्य स्वीकृत किये जा सकते हैं :-

1. जल संरक्षण और जल संग्रहण।
2. सूखे को रोकने के कार्य, जिसमें वन विकास एवं वृक्षारोपण कार्य सम्मिलित है।
3. सिंचाई नहरें, जिनके अन्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई संकर्म भी है।
4. अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के परिवारों या गरीबी रेखा से नीचे या भूमि सुधार के लाभार्थियों या भारत सरकार की इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थियों या कृषि ऋण अधत्यजन और ऋण राहत स्कीम 2008 में यथा परिभाषित लघु कृषक या सीमान्त कृषक की स्वामित्वाधीन भूमि के लिये सिंचाई प्रसुविधा, बागवानी, बागान एवं भूमि विकास सुविधा का कार्य।
5. परम्परागत जल निकायों का जीर्णोद्धार/नवीनीकरण जिसमें तालाबों से गाद (मिट्टी) निकालने का कार्य सम्मिलित है।
6. भूमि विकास के कार्य।
7. बाढ़ नियंत्रण एवं बाढ़ बचाव कार्य मय जल अवरूद्ध क्षेत्र में जल निकासी कार्य।
8. बारहमासी सडकों का निर्माण। ग्राम के मध्य सड़क निर्माण के साथ नाली निर्माण कार्य।
9. ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम ज्ञान संधान केन्द्र और ग्राम पंचायत भवन के रूप में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र।

(ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री)

10. पूर्ण स्वच्छता अभियान के अनुरूप तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप शौचालय निर्माण का कार्य।

11. केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कार्य।

(2) राज्य सरकार द्वारा अधिनियम में अनुमत कार्यों की श्रेणी 4 में वर्णित कार्यों को करवाये जाने के लिये राज्य सरकार द्वारा विस्तृत निर्देश "अपना खेत अपना काम" के नाम से जारी किये हैं, जिसके तहत कार्य वार्षिक कार्य योजना 2012-13 में समिम्लित किये गये है। योजनान्तर्गत अनुमत श्रेणी-4 के तहत व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्य स्वीकृत किये जा रहे हैं एवं विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में इसके तहत स्वीकृत किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में श्रेणी 4 (व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्य) में स्वीकृत कार्यों का वर्णन

क्र.सं.	वर्ष	स्वीकृत कार्यों की संख्या
1	2007-08	10057
2	2008-09	7624
3	2009-10	231
4	2010-11	109
5	2011-12	395

सिरोही जिला परिषद में संविदा पर कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर

468. श्री पानाचन्द (बारां-अटरू) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में जिला परिषदों के (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) प्रकोष्ठों में विभिन्न योजनाओं में संविदा कम्प्यूटर आपरेटरों के योजनावार कितने पद स्वीकृत हैं? जिला सिरोही में योजनावार कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों की नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला सिरोही में उक्त को प्रतिमाह कितना मानदेय दिया गया है? वर्ष 2009-2010 से 2011-2012 का जिलेवार, स्थानवार, योजनावार भुगतान विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री पानाचन्द)

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त स्वीकृत पदों के नियोजन हेतु दिशा निदेश जारी किये हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) जिला परिषद सिरोही में कम्प्यूटर आपरेटर मेन विद मशीन की विभिन्न योजनावार कितने व्यक्तियों की सेवायें लेने हेतु स्वीकृति सरकार द्वारा दी गई है? क्या किसी योजना में मेन विद मशीन कम्प्यूटर आपेरटर की सेवायें लेने की स्वीकृति के विरुद्ध कम्प्यूटर आपरेटर संविदा पर नामजद नियोजित किया गया? यदि हां, तो वर्ष 2009-2010 से 2011-2012 के उक्त कार्मिकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त नियम विरुद्ध नियुक्ति के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी है?

(6) जिला परिषदों में संविदा कम्प्यूटर आपरेटर/कम्प्यूटर मेन विद मशीन सेवाओं पर जिलेवार योजनावार कुल कितनी राशि प्रतिमाह व्यय की जा रही है? क्या व्यय राशि के विरुद्ध अपेक्षित कार्य करवाया जा रहा है?

(7) जिला परिषदों में विभिन्न योजनाओं में लगाये गये संविदा पर आधारित कम्प्यूटर आपरेटरों ने क्या विभिन्न न्यायालयों में वाद प्रस्तुत किये हैं? क्या उनको नियम विरुद्ध नियोजित करके फिर सेवा से पृथक् करने के आदेश जिला परिषदों द्वारा जारी किये गये हैं? यदि हां, तो ऐसे मामलों की जिलेवार योजनावार सूची मय नाम सदन की मेज पर रखें।

(8) उक्त में किस अधिकारी के द्वारा उनके नियुक्ति आदेश एवं सेवा से पृथक् करने के आदेश जारी किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(9) क्या सरकार ऐसे नियम विरुद्ध नियुक्ति करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जिला परिषदों में (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) प्रकोष्ठों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना अन्तर्गत संविदा कम्प्यूटर आपरेटरों के प्रत्येक जिले में 5 पद कुल 165 पद स्वीकृत हैं। शेष योजनाओं में तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार एजेन्सियों के माध्यम से सेवायें समय विशेष/कार्य विशेष के लिए ली जाती हैं । जिला सिरोही में जिला परिषद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत निम्न कम्प्यूटर आपरेटर कार्यरत हैं:-

(पंचायतीराज मंत्री)

क्र.स.	नाम
1.	श्री बीसाराम मेघवाल
2.	श्री सुनील रावल
3.	श्री रमेश कुमार
4.	श्री महेन्द्र कुमार मीणा
5.	श्री नरेश कुमार

(2) जिला सिरोही में उक्त को निम्नानुसार भुगतान किया जा रहा है।

क्र.स.	नाम	वर्ष (राशि रु. में)		
		2009-10	2010-11	2011-12
1.	श्री बीसाराम मेघवाल	6000	48000	55924
2.	श्री सुनील रावल	6000	48000	55189
3.	श्री रमेश कुमार	903	48000	54361
4.	श्री महेन्द्र कुमार मीणा	0	38000	53914
5.	श्री नरेश कुमार	0	25488	53994

(3) जी हां। स्वीकृत पदों के नियोजन के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है ।

(4) जी हां। प्रत्येक जिला परिषद में कम्प्यूटर आपरेटर मेन विद मशीन की एक-एक पद की स्वीकृति टी.एफ.सी. से प्रदान की गयी है । आदेश की प्रति परिशिष्ठ-ख पर संलग्न है । इस स्वीकृति के विरुद्ध किसी भी कम्प्यूटर आपरेटर मेन विद मशीन को संविदा पर नामजद नियोजित नहीं किया गया है ।

(5) नियम विरुद्ध नियुक्ति नहीं होने के कारण कोई भी अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नही है ।

(6) जिला परिषदों में संविदा कम्प्यूटर आपरेटर/कम्प्यूटर मेन विद मशीन सेवाओं पर जिलेवार योजनावार प्रतिमाह व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है । व्यय राशि के विरुद्ध अपेक्षित कार्य करवाया जा रहा है ।

(पंचायतीराज मंत्री)

(7) जी नही ।

(8) किसी भी अधिकारी के द्वारा नियुक्ति आदेश एवं सेवा से पृथक करने के आदेश जारी नही किये गये हैं।

(9) जी नही ।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अलवर जिले के बेरोजगार अल्पसंख्यकों हेतु स्वीकृत ऋण

469. डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में बेरोजगार अल्पसंख्यकों को ऋण योजना के तहत कम ऋण दिया जा रहा है? यदि हां, तो जिला अलवर में गत एक वर्ष में ऋण हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदनों में से कितने लोगों को किस-किस कार्य हेतु कितना-कितना ऋण दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला अलवर में गत एक वर्ष में 1522 ऋण आवेदन फार्म प्राप्त हुए।

(2) उक्त आवेदनों में से 46 व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत किया गया है, जिसके विवरण की सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा जिला अलवर के गत एक वर्ष के लाभान्वितों की सूची

नाम	पिता का नाम	पता	ऋण का प्रकार	ऋण राशि
श्री अब्दुल	जुम्मे खां	ग्राम-कुटियापुर तह. किशनगढ़बास	भैंस डेयरी	47500
श्री अभयदीन	उम्मेद खां	ग्राम-कुटियापुर तह. किशनगढ़बास	भैंस डेयरी	47500
साहून खां	रूजदार खां	ग्राम-शेरपुर, तह. किशनगढ़बास, अलवर	मुर्गी पालन	323950

नाम	पिता का नाम	पता	ऋण का प्रकार	ऋण राशि
श्रीमती कश्मीरी	सुबेदी	ग्राम-कजाकपुर अलवर	भैंस डेयरी	47500
श्रीमती जुबेदा	हमीद खां	ग्राम-चांदोली, जिला-अलवर	भैंस डेयरी	47500
श्री सलेम खां	श्री सुमेर खां	ग्राम-नकचापुर, तह. रामगढ़, अलवर	भैंस डेयरी	47500
खुर्शीद	कपूरा	कोटाखुर्द रामगढ़	भैंस पालन	47500
रसूल खां	घीसा खां	अल्लाहपुर	भैंस पालन	47500
उमरी	निसार खां	चादोली	भैंस पालन	47500
आस मोहम्मद	ईजराईल खां	मुरादबास	शैक्षणिक ऋण	50000
जाकिर हुसैन	अजरूदीन	कोटाकला	किराना दुकान	28500
हारून	सुमेर खां	कल्याणपुरा	भैंस पालन	47500
सहरून खां	मम्मन खां	लपाड़ा	टैंट हाउस	104500
आसू दीन	चन्द खां	कल्याणपुरा	टैंट हाउस	104500
सहीद खां	कालू खां	साडोली	टैंट हाउस	104500
बसीर खां	रहीम खां	सोराई	भैंस पालन	75000
नूर मोहम्मद	कमरू खां	ग्राम जाजोर,	भैंस पालन	40000
रूकमान	महमूद खां	ग्राम जाजोर,	भैंस पालन	40000
आसू खां	बहादुर खां	रोनिजाथान	भैंस पालन	40000
अयूब खां	माले खां	नौरंगाबाद	भैंस पालन	40000
साहबदीन	बंशी खां	नौरंगाबाद	भैंस पालन	40000
नसरूखां	धूपला खां	जाडोली	भैंस पालन	40000
नफीसा	रहमत	माचडी	भैंस पालन	40000
शेर मोहम्मद	रहमत	विजयपुर	भैंस पालन	40000
याकूब खां	कमरूदीन	माचडी	भैंस पालन	40000
जमील	महमूद खां	नांगलहीरा	भैंस पालन	40000
इस्लाम खां	ओला खां	हरसाना	भैंस पालन	40000
जाउलहक	माहमल खां	हरसाना	भैंस पालन	40000
रहमूदीन	जुम्मा खां	जाजोर	भैंस पालन	40000
कु रूबी	सूबराती	सुभाष चौक कटला, अलवर	चरक कार्य	25000
जैकम	शेरी खां	चिमरावली	भैंस पालन	40000
फजरूदीन	आसीन खां	नांगलहीरा	भैंस पालन	40000

निम्न 14 आशार्थियों का चयन कर ऋण स्वीकृत किया जा रहा है

रसीद खां	मुनीर खां	अखैपूरा, अलवर	फोटोग्राफी	50000
जैतूनी	लीला खां	भुवाका, काकराली	भैस डेयरी	25000
अरविंद सिंह	भजन सिंह	देसूला, अलवर	फेवीकेशन वर्कशाप	35000
जुबेदा	मामूरा	उटवाड	चूड़ी की दूकान	25000
बिजेन्द्र कौर	सतनाम सिंह	धनेटा, अलवर	दुकान के लिए	25000
मफरूदीन	जाना खां	दौगडा, खानपुर	रिपेयर पार्टस	25000
नूरमौहम्मद	मौहम्मद सफी	बासकपाल, नगर	रेडिमेड गारमेन्टस	50000
अरशद खां	सुल्ली खां	न्याणा	दुकानदारी	25000
ज्हाआरा	डाल चन्द	पैतपुर, अलवर	परचुनी की दुकान	25000
नूर मौहम्मद	इम्तियाज	जमालपुर	शैक्षणिक ऋण	200000
साकिर	रहीश	नेवडा	शैक्षणिक ऋण	200000
मौहम्मद हनीफ	सुबराती	सुभाष चौक, जगन्नाथ मंदिर, अलवर	रंगरेज का कार्य	50000
अता मौहम्मद	जुम्मे खां	महाराजपुरा	स्टील फेब्रिकेशन	50000
आबिद खां	आसिन खां	निबेडा	शैक्षणिक ऋण	200000

विभाग में प्राप्त 1522 आवेदनों में 1062 ऋण आवेदन फार्म बैंकों को भेजे गये। बैंकों ने 544 ऋण आवेदन स्वीकृत कर रु. 7.39 करोड़ की राशि का ऋण वितरण कर दिया गया है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 29 फरवरी, 2012)

अलवर जिले में आरक्षित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति

41. **श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़ बास) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर जिले में विगत तीन वर्षों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक बच्चों को कितनी कितनी छात्रवृति का

(श्री रामहेत सिंह)

वितरण किया गया? वितरित की गई छात्रवृत्ति की राशि तथा लाभान्वितों की वर्षवार, वर्गवार संख्या सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रवृत्ति के लिए प्रतिवर्ष कितने बच्चों ने आवेदन किया था तथा कितने बच्चों को छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई गई? वर्षवार वर्गवार आवेदकों की संख्या तथा लाभार्थियों की वर्गवार संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत चार वर्षों में कितने मानसिक एवं विमंदित छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण किया गया? वर्षवार आवेदकों की संख्या तथा लाभार्थियों की वर्गवार संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में विगत तीन वर्षों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों हेतु संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में लाभान्वित विद्यार्थियों एवं वितरित छात्रवृत्ति की राशि का वर्षवार, वर्गवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में प्राप्त छात्रवृत्ति के आवेदन पत्रों एवं छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाये गये आवेदन पत्रों का वर्षवार, वर्गवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) विगत चार वर्षों में अलवर जिले में मानसिक एवं विमंदित बच्चों का छात्रवृत्ति हेतु कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त अवधि में ऐसे विद्यार्थियों को विभाग द्वारा योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति का वितरण नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

सिवाना उप-खण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोला जाना

मैं राज्य सरकार एवं माननीय शिक्षा विभाग के मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उप खण्ड क्षेत्र सिवाना में 40 ग्राम पंचायतों एवं 129 राजस्व गांव आये हुए हैं। जनगणना 2001 के अनुसार उप खण्ड क्षेत्र की कुल 2,13,648 जनसंख्या है। वर्तमान में इस उप खण्ड क्षेत्र में राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय-9 एवं राजकीय सीनियर बालिका माध्यमिक विद्यालय-3, इस प्रकार कुल 12 हैं। इस क्षेत्र में स्थानीय राजकीय महाविद्यालय नहीं होने के फलस्वरूप बालक-बालिकाओं को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अन्यत्र बालोतरा 40 कि.मी. जोधपुर 115 किमी., बाड़मेर 100 किमी. दूर उच्च शिक्षा हेतु जाना पड़ता है। इस क्षेत्र के बालक बालिकाओं के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बालक-बालिकाओं उच्च शिक्षा हेतु अन्यत्र पढ़ाना मुश्किल है। साथ ही बालिकाओं के अभिभावक बालिकाओं को अकेली दूर भेजना नहीं चाहते हैं जिसके फलस्वरूप बालक-बालिकाओं को उच्च शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है लेकिन विशेषकर बालिका शिक्षा को इस उप खण्ड क्षेत्र में उच्च शिक्षा हेतु कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं होने से आर्थिक स्थिति से कमजोर अभिभावकों द्वारा बालक-बालिकाओं का अन्यत्र रखकर उच्च शिक्षा दिलाना असम्भव है।

अतः आपसे अनुरोध है कि बालक-बालिकाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उप खण्ड मुख्यालय सिवाना पर राजकीय महाविद्यालय की स्वीकृति प्रदान कर जनता को राहत पहुंचाने का मैं आग्रह करता हूं।

कानसिंह कोटड़ी
(सिवाना)

सांचोर में चिलतपाणा से हीथी गांव रोड स्थित पुलिया की मरम्मत

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचोर में 2008 से नर्मदा का पानी आ चुका है जिससे हजारों काश्तकार खेती करके भरपूर कमाई कर रहे हैं। मगर नर्मदा प्रोजेक्ट का कार्य धीमी गति से चल रहा

है। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि नर्मदा की रतोडा वितरिका चिलतपाणा हीथी गांव सड़क क्रास करके निकलती है। चितलपाणा से हीथी गांव रोड पर एक पुलिया बनी हुई है। आये दिन सैकड़ों वाहन उस पुलिया पर से गुजरते हैं। कभी भी किसी प्रकार का हादास होने की पूरी संभावना है।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि उस पुलिया की अतिशीघ्र रिपेयर करवाने की कृपा करावें ताकि किसी अनहोनी घटना से बचा जा सके और वाहन चालकों एवं सामान्य आवागमन में सुविधा हो सके। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सरकार इसको प्राथमिकता के आधार पर रिपेयर करवायेगी

जीवाराम चौधरी

(सांचोर)

भरतपुर जिले में शांति व्यवस्था हेतु कारगर उपाय

भरतपुर जिला शांति व्यवस्था के लिये एवं आपसी भाईचारे के लिये पूर्व से ही अग्रणी जिला रहा है। जहां पूर्व शासकों ने मिसाल कायम कर जहां गंगा मंदिर व लक्ष्मण मंदिर बनवाये, वहीं शहर के बीचों-बीच जामा मस्जिद का निर्माण करवाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने को मार्ग प्रशस्त किया है। पूरा जिला सदैव शांति व्यवस्था बनाये रखने का उदाहरण साबित हुआ है किन्तु :

1. बृज क्षेत्र में मूल मुसलमान तो हैं ही नहीं, वहां तो हिन्दुओं से परावर्तित मेव जाति है जो मुख्यतया जारेडा मीणा एवं राजपूत लोग हैं, जो मुस्लिम शासनकाल के अत्याचारों से भयभीत होकर भटक गये एवं मेव बन गये थे। अब भी वहां शादी-बारातों में हिन्दू मेवों का सामंजस्य देखा जा सकता है, जो साथ-साथ रहते हैं, कभी लड़ते नहीं।

2. बडे दुख के साथ मेरा कहना है कि कुछ समाज कंटक इस शांति के जिले को अशांत करना चाहते हैं। हाल ही में दिनांक 14/09/2011 को गोपालगढ़ में पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले से बाहर के लोगों ने गोपालगढ़ में आकर हथियारों से हमला किया। सरकार ने उनके विरुद्ध कार्यवाही तो नहीं की बल्कि उन्हें पुरस्कार दिया। उन्हें पुरस्कार स्वरूप राशि का आबंटन क्यों?

3. एक खास कारण है कि वहां बाहर से मौलवी एवं काजी आकर उन्होंने जेहादी भाषा बोली। उनके विरुद्ध क्या किया गया? यहीं नहीं, जो हथियार आये, उनके बारे में क्या कार्यवाही की गई?

4. एक कारण और भी है जिससे भाईचारा बिगड़ रहा है। मौलवी लोग श्मशान एवं पोखरों की भूमियों पर मेवों से कब्जा करवा रहे हैं, जिससे समाज में गलत संदेश जा रहा है। फलस्वरूप वहां के लोगों में भय व्याप्त हो रहा है।

सरकार इस प्रकार की गतिविधियों को तो रोक नहीं रही है, बल्कि आग में घी डालने का कार्य कर रही है, जो न तो इस जिले के लिये, प्रदेश के लिये एवं देश के लिये अच्छा कदम है, बल्कि आपस में द्वेषता बढ़ाने का कदम है।

राज्य सरकार संवेदनशीलता की थोथी घोषणा कर जनता को गुमराह कर रही है। यह अच्छा कदम नहीं है। अर्थात कथनी एवं करनी में अंतर लाकर देश को द्वेष भावना की आग में झोंक रही है।

मेरा प्रस्ताव है कि सरकार अपना सकारात्मक सोच रखकर जनता को सद्‌भावना की ओर बढ़ाये ताकि जनता में अमन-चैन बढ़े और जिले में शांति का माहौल पैदा हो सके।

ग्यारसाराम कोली
(बयाना)

सूरसागर के राजकीय प्रभुतानन्द चिकित्सालय का सैटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नयन

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के राजकीय प्रभुतानन्द चिकित्सालय, प्रताप नगर को सैटेलाइट स्तर पर क्रमोन्नयन की ओर आत्कृष्ट करना चाहती हूं।

सूरसागर विधान सभा क्षेत्र का प्रताप नगर क्षेत्र सघन आबादी वाला क्षेत्र है एवं यह शहर परकोटे से लगता हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में स्थित राजकीय प्रभुतानन्द चिकित्सालय में प्रताप नगर के साथ-साथ जोधपुर शहर के खाण्डा फलसा, सिवांची गेट, बकरा मण्डी इत्यादि शहरी क्षेत्रों के अलावा, कबीर नगर, राजबाग एवं कमला नेहरू नगर के निवासी भी दिन-प्रतिदिन उपचार हेतु आते रहते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए इस चिकित्सालय में उपलब्ध चिकित्सकों की संख्या नगण्य सी है। यह चिकित्सा केन्द्र लगभग एक लाख की आबादी को लाभान्वित कर रहा है एवं क्षेत्र में लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या समाज के कमजोर और वंचित तबके की है। साथ ही साथ अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिक भी काफी संख्या में इस क्षेत्र में निवास करते हैं।

इस अस्पताल में सैटेलाइट स्तर के अनुरूप भूमि, भवन और उपकरण पहले से ही उपलब्ध हैं, इस अस्पताल में सैटेलाइट स्तर के अनुरूप सभी आधारभूत सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं, ऐसे में इस अस्पताल में केवल मात्र-चिकित्सकों के पदस्थापन का ही व्यय भार सरकार पर पड़ेगा। अत: मेरी मांग है कि क्षेत्र के एक लाख पचास हजार से अधिक आबादी के आश्रितों के दृष्टिकोण से राजकीय प्रभुतानन्द चिकित्सालय, प्रताप नगर को समाज के कमजोर और वंचित वर्ग के हित में सैटेलाइट स्तर पर क्रमोन्नत किया जावे।

सूर्यकान्ता व्यास

(सूरसागर)

डेगाना के ग्राम मांझी, गूणसली, बटेसरों की ढाणी में पानी भराव की समस्या का समाधान

डेगाना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मांझी, गुणसली (किरोदा) बटेसरों की ढाणी (डावोली मिठी) में भारी वर्षा के समय इन गांवों के अधिकांश भागों में पानी भर जाता है। पानी भराव के कारण इन गांवों का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। गरीबों के कच्चे मकान ढह जाते हैं, पक्के भवनों में नुकसान होता है। गांवों की भौगोलिक स्थितियों के कारण इन गांवों के लोगों को विषम परिस्थितियों से झुंझना पड़ता है। पिछले वर्ष भी इन गांवों में भारी वर्षा के बाद पानी भर गया जो कई दिनों तक पड़ा रहा। ग्रामवासियों द्वारा प्रशासन एवं आपदा प्रबन्ध विभाग का ध्यान भी इस समस्या की तरफ आकृष्ट करवाया गया लेकिन स्थानीय प्रशासन के पास पर्याप्त संसाधन नहीं होने के कारण कई दिनों तक ग्रामवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेरे द्वारा स्थानीय प्रशासन जिला कलक्टर एवं आपदा राहत मंत्रीजी को अवगत कराया गया था लेकिन अभी तक इन गांवों के लिए प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्य योजना किसी भी स्तर पर नहीं बनाई गई है।

महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि इन गांवों में पानी के भराव की समस्या का स्थाई समाधान करावे ताकि ग्रामवासियों को इस प्रकार की कठिनाइयों से हर वर्ष नहीं गुजरना पड़े।

अजय सिंह

(डेगाना)

पचपदरा के जल स्रोतों के बचाव हेतु पहाड़ी क्षेत्र की आगोर रूप में रिकार्ड दर्जगी

मेरे विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश गांव परम्परागत जल स्त्रोतों पर निर्भर हैं, विशेषकर कोरणावटी के नाम से जाना जाने वाले क्षेत्र जिसमें मण्डली, कोरणा, गंगावास आदि ग्राम पंचायतों में बहुत बड़े-बड़े परम्परागत तालाब हैं जिनका पानी वर्ष भर क्षेत्रवासियों के काम आता है। पश्चिमी राजस्थान में पानी की कमी को देखते हुए इन तालाबों को बचाए रखना नितान्त आवश्यक है। इन तालाबों के नजदीक छोटी-छोटी पहाड़ियां हैं जो कि इन तालाबों का पानी आवक क्षेत्र हैं लेकिन ये पहाड़ी क्षेत्र राजस्व रिकार्ड में आगोर दर्ज नहीं है।

राजस्व रिकार्ड में आगोर दर्ज नहीं होने से सहायक खजिन अभियंता बाडमेर द्वारा मण्डली, पालापुरा आदि पहाड़ी क्षेत्र में माइनिंग लीज (मेस्नरी स्टोन) के आवेदन आमंत्रित कर लिए गए जिन हेतु सैंकड़ों आवेदन प्राप्त हुए। उनमें से कुछ को तो सहायक खनिज अभियंता बाड़मेर द्वारा अपने चहेतों को तो लीज आबंटित कर दी गयी व काफी आवेदन अभी तक लम्बित हैं। यदि उक्त स्थान पर खनन कर दिया गया तो इन परम्परागत जल स्त्रोतों का पानी आवक क्षेत्र समाप्त हो जाएगा व इन तालाबों का पानी पूर्णतया प्रदूषित हो जाएगा। अतः उक्त क्षेत्र में परम्परागत जल स्त्रोतों को नष्ट कर खनन पट्टे जारी करना उचित नहीं है।

क्षेत्र में जल संकट को देखते हुए व परम्परागत जल स्त्रोतों को बचाने के लिए क्षेत्र का भौतिक सर्वे करवाकर माइनिंग लीज (मेस्नरी स्टोन) के समस्त आवेदन निरस्त कर राजस्व रिकार्ड में उक्त पहाड़ी क्षेत्र को आगोर दर्ज करने की कार्यवाही अमल में लाई जाये।

मदन प्रजापत
(पचपदरा)

चौमूं के चिकित्सालयों में स्त्री रोग विशेषज्ञों के नवीन पदों का सृजन

राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत अनुरोध है कि चौमूं स्वास्थ्य केन्द्र में स्त्री रोग विशेषज्ञ का एक पद सृजित है, जबकि सी एच सी, चौमूं में प्रतिदिन 25-30 डिलीवरियां होती हैं। इसके अलावा प्रत्येक सप्ताह 30-40 परिवार नियोजन आपरेशन भी होते हैं।

लेकिन स्त्री रोग विशेषज्ञ का एक ही पद होने से प्रसूताओं व अन्य महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक 24 घण्टे डिलेवरियां करवाता रहे, सम्भव नहीं है। जनाना हास्पिटल, जयपुर व महिला चिकित्सालय, जयपुर का 20 प्रतिशत से अधिक कार्य भार चौमूं सी.एच.सी. पर होता है। जहां जनाना हास्पिटल, जयपुर व महिला चिकित्सालय, जयपुर में 50-50 चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं, वहीं चौमूं सी.एच.सी. पर एक पद।

इसी प्रकार चौमूं तहसील के ग्राम कालाडेरा, हस्तेडा, सामोद, ईटावा भोपजी, खेजरोली जहां की जनसंख्या 10,000 से अधिक है, वहां पर भी स्त्री रोग विशेषज्ञ या महिला चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं है, जिसके कारण प्रसूताओं को इलाज के लिये चौमूं या जयपुर जाना पड़ता है।

मेरा इस प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौमूं में चार पद व कालाडेरा, हस्तेडा, सामोद, ईटावा भोपजी, खेजरोली में एक-एक स्त्री रोग विशेषज्ञ का नया पद स्वीकृत करवाने की कृपा करें।

भगवान सहाय सैनी

(चौमूं)

फालना पीएचसी का सीएचसी में क्रमोन्नयन

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत माननीय मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार से निवेदन है कि फालना नगर एक विस्तृत नगरपालिका मुख्यालय है। जिसकी स्टेटिक व माइग्रेटरी आबादी कुल मिलाकर 50 हजार से भी अधिक है। इस नगरपालिका क्षेत्र के आसपास का ग्रामीण क्षेत्र जिसमें अनेक गांव स्थित हैं जैसे जादरी, फालना गांव, खिमेल, मोखमपुरा, बमणिया, धणी, चामुण्डेरी, श्रीसेला, बेडल, बिरोलिया, पैरवा इत्यादि, सबकी मिलाकर कुल आबादी 20 हजार से भी अधिक है जिनका इलाज, उपचार व अन्य आवश्यक कार्यों के लिये डेन फालना नगरपालिका मुख्यालय पर बना रहता है। इस प्रकार फालना के सम्पूर्ण क्षेत्र की आबादी 70 हजार से भी अधिक है। फालना एक अति महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरी है जहां पुलिस थाना, जीआरपीएफ थाना, बडा रेलवे जंक्शन जो समूचे मारवाड़ के आवागमन का अहम माध्यम है। बस

डिपो होने के साथ यहां लगभग सभी राजकीय कार्यालय संचालित हैं। फालना में प्रथम जैन स्वर्ण मंदिर है तो दूसरी ओर विश्व प्रसिद्ध रणकपुर मंदिर एवं श्रीनाथजी मन्दिर, नाथद्वारा को आने-जाने का एक मात्र मार्ग फालना है।

फालना में चिकित्सा के नाम पर वर्तमान में मात्र एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है जो खुडाला फालना पंचायत के समय से चला आ रहा है। यहां केवल मात्र 6 रोगियों को भर्ती किये जाने की सुविधा है जहां मात्र दो चिकित्सक, तीन पैरा मेडिकल स्टाफ कार्यरत है। यहां प्रतिदिन 100 से 150 मरीज लाभान्वित हो रहे हैं। मौसमी बीमारियों के समय यहां का ओपीडी 300 से भी अधिक प्रतिदिन पहुंच जाता है तथा वार्षिक ओपीडी लगभग 25 से 30 हजार के मध्य रहता है। वार्षिक इन्डोर मरीज लगभग 400 से 500 के मध्य रहते हैं। इसके अलावा समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन भी इन्हीं उपलब्ध संसाधनों से किया जाता है। यहां पर पी.एम. व एम.एल.सी. केसेज की संख्या वार्षिक लगभग 400 से 500 के बीच रहती है।

जनसाधारण को अधिक से अधिक व सुगम व निर्बाध व उच्च गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सेवायें प्रदान करने व जनसाधारण की भावनाओं को देखते हुए यहां पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है। फालना स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाली जिले की एक मात्र अरबन पी.एच.सी. है व जिले के शेष सभी नगरपालिका मुख्यालय क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहले से ही स्वीकृत व संचालित है। सी.एच.सी. बाली यहां से 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फालना नगरपालिका क्षेत्र भौगोलिक व आबादी की दृष्टि से बाली से भी विस्तृत है। हाल ही में सुमेरपुर क्षेत्र स्थित कोसेलाव गांव जिसकी आबादी मात्र 10 हजार है, के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को माह जुलाई 2011 में ही क्रमोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में तब्दील किया गया है।

अतः क्रमोन्नत प्रकरण पर गौर फरमाकर फालना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जावे।

पुष्पेन्द्र सिंह
(बाली)

भीम की ग्राम पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का खोला जाना

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र भीम

भौगोलिक दृष्टि से एक मगरा पहाड़ी क्षेत्र है जो बिखरी आबादी में बसा हुआ है एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से भी एक रेंगते हुए सर्प के आकार में 150 किलोमीटर लम्बाई में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर बसा हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम को अति विशिष्ट परिस्थितियों वाला पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर रखा है। इसी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर बलि-जस्साखेड़ा ग्राम पंचायत की आबादी बसी हुई है। उक्त ग्राम पंचायत तीन जिलों की संगम स्थली है जिसके आस-पास पाली, अजमेर जिले की भी बारह ग्राम पंचायातों की आबादी बसी हुई है जिनको इलाज के लिए दूर 50 किलोमीटर ब्यावर या भीम 15 किलोमीटर जाना पड़ता है। समय पर इलाज नहीं मिलने से रास्ते में ही मरीज दम तोड़ देता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 होने से आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

सारोठ भी एक दुर्गम पहाड़ों के बीच बसा हुआ है, जिसके आसपास 6 ग्राम पंचायतें बसी हुई हैं। 25, 30 किलोमीटर परिधि में कोई प्राथमिक चिकित्सालय नहीं है। ऐसी ही स्थिति काछबली एवं अजीतगढ़ ग्राम पंचायत की है। इसके आसपास भी 6 ग्राम पंचायतें बसी हुई हैं जिनके आसपास भी कोई स्वास्थ्य सम्बन्धी चिकित्सालय नहीं है। अगर सरकार इसकी घोषणा करती है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सालय हेतु दानदाता भवन निर्माण के लिए तैयार हैं।

अतः, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उपरोक्त ग्राम पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सालय इसी बजट में खोलने का आदेश प्रदान करावें।

हरिसिंह रावत

(भीम)

आमेट (कुम्भलगढ़) को वाघेरी नाके से पेयजल उपलब्धि

मैं राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र कुम्भलगढ़ की तहसील आमेट के कस्बा आमेट को वाघेरी नाका से नई पाइप लाइन बिछाकर पेयजल उपलब्ध कराने की ओर दिलाना चाहता हूं कि :-

1. यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कुम्भलगढ़ के कस्बा आमेट को वाघेरी नाका से नई पाइप लाइन बिछाकर पेयजल उपलब्ध कराने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट भाषण 2011-12 में बजट भाषण के पैरा क्रमांक-30 में की गयी थी।

2. यह कि जलदाय विभाग द्वारा उक्त नई पाइप लाइन बिछाने का एस्टीमेट 3.22 करोड़ रु. का बनाकर सरकार को भिजवाया गया, परन्तु सरकार द्वारा उक्त नई पाइप लाइन की स्वीकृति जारी नहीं की गयी है जिसके कारण पाइप लाइन का कार्य शुरु नहीं किया गया है।

3. यह कि सरदारगढ़ कुए से पूर्व में आमेट को दिये जाने वाली पुरानी एवं सीमेन्ट की जर्जर पाइप लाइन को वाघेरी नाका से जोड़कर आमेट कस्बे को पानी दिया जा रहा है। उक्त पाइप लाइन बहुत पुरानी एवं सीमेन्ट की जर्जर हालत में होने व बबूल वृक्ष की जडे फंसने व उक्त पाइप लाइन कम क्षमता वाली होने से आये दिन पाइप लाइन फूटकर पानी सड़कों पर बिखर जाता है। आमेट कस्बे के निवासियों को जलापूर्ति की भंयकर समस्या रहती है एवं शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है।

अतः निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार तत्काल उक्त नई पाइप लाइन की स्वीकृति देकर पाइप लाइन बिछाकर वाघेरी नाका का पानी आमेट कस्बे को दिये जाने की कृपा करावें।

गणेश सिंह परमार

(कुम्भलगढ़)

राजगढ़ (चूरू) में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि मेरी विधान सभा मुख्यालय का कस्बा राजगढ़ (चूरू) आबादी के लिहाज से काफी बड़ा है जो तहसील के साथ-साथ उप खण्ड मुख्यालय भी है। तहसील क्षेत्र में करीब 210 गांव एवं अनेकों ढाणियां हैं जिन्हें मिलाकर क्षेत्र की आबादी और भी अधिक हो जाती है। लेकिन अभी तक उक्त कस्बे में राजकीय महाविद्यालय नहीं है। इस क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार-प्रसार काफी होने के कारण यहां के बालक-बालिकाओं को उच्च अध्ययन हेतु अन्यत्र कस्बों/शहरों की ओर मुंह करना पड़ता है। कालेज शिक्षा हेतु कस्बे में निजी कालेज संचालित है जिसकी फीस राजकीय कॉलेजों की तुलना में काफी अधिक होने के कारण क्षेत्र की गरीब तबके के छात्र-छात्राओं के लिये वहन कर पाना बड़ा कठिन है। क्षेत्रीय जनता राजगढ़ (चूरू) में सरकारी कालेज खोलने की मांग काफी अर्से से करती आ रही है, लेकिन सरकार द्वारा इस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया।

अतः श्रीमान्जी से निवेदन है कि जनता की महती आवश्यकता की

उक्त मांग को देखते हुए कस्बा राजगढ़ (चूरू) में अविलम्ब राजकीय महाविद्यालय खोलने के आदेश फरमावें।

कमला कस्वां

(सादुलपुर)

दतवास ग्राम (निवाई) में उप-तहसील कार्यालय खोला जाना

मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्राम दतवास की जनंसख्या लगभग 12500 है और यह ग्राम निवाई कस्बे से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह ग्राम निवाई शहर से डामरीकृत सड़क से जुडा हुआ है तथा इस ग्राम में लगभग सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

इस ग्राम के सरपंच व ग्रामीणों द्वारा विगत एक वर्ष से ग्राम दतवास को उप तहसील बनवाने की मांग की जा रही है। मेरे द्वारा भी पिछले बजट सत्र (2011-12) के दौरान अतारांकित प्रश्न के माध्यम से उक्त ग्राम दतवास को उप-तहसील बनवाने हेतु मांग की गई थी। प्रश्न के जवाब में राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा नवीन राजस्व इकाइयों के गठन तथा सीमाओं के परिवर्तन को प्रतिबन्धित किया हुआ है। अब वर्ष 2012-13 की बजट घोषणा के अनुसार राज्य की कई ग्राम पंचायतों को उप-तहसील बनाया जाना प्रस्तावित है। परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्राम-दतवास को इनमें शामिल नहीं किया गया है।

अतः मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्राम दतवास को भी उप-तहसील बनाया जावे।

कमल बैरवा

(निवाई)

परिशिष्ट-2

मांग संख्या-24 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-24 मुख्य शीर्षक शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये,

श्री कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

1. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय माण्डपुरा बरवाला, सोहड़ा एवं चिलानाडी जिला बाड़मेर को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने एवं बायतू मुख्यालय पर महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) व

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

2. राजस्थान विश्वविद्यालय में वर्ष 1984 से व्याख्याताओं के पद नहीं भरे जाने तथा यू.जी.सी. की अनुशंसा पर शिक्षकों की सेवा निवृत्ति आयु नहीं बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

3. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के गांव डाबडवास के उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के माध्यमिक विद्यालयों में विषय अध्यापक के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम रायसराना सीनियर माध्यमिक विद्यालय में अधिकतर शिक्षकों के रिक्त पद एवं अन्य सीनियर सैकण्डरी माध्यमिक विद्यालयों में विषय अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. ग्राम गुती माध्यमिक विद्यालय बहरोड़ को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में कला एवं संस्कृति विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

8. विधान सभा क्षेत्र भीम के प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लम्बे समय से रिक्त चल रहे शिक्षकों, व्याख्याताओं एवं अन्य मंत्रालयिक कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्री गंगानगर)

9. राज्य में विद्यार्थी मित्रों को नियमित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

10. श्रीगंगानगर जिले के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर में कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत आर्ट एण्ड क्राफ्ट टीचरों की भर्ती करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

13. राज्य में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती अतिशीघ्र करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

14. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ तहसील शेरगढ़ में राजकीय उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक, प्राथमिक एवं संस्कृत विद्यालयों में व्याख्याता-40, द्वितीय श्रेणी अध्यापक-231, तृतीय श्रेणी अध्यापक-960, शारीरिक शिक्षक, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व अन्य वर्ग के 109 रिक्त पदों को भरने एवं नव क्रमोन्नत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नवीन पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की ग्राम पंचायत शेरगढ़ के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय को शास्त्री स्तर पर क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. तहसील शेरगढ़ में पंचायत समिति मुख्यालय बालेसर एवं शेरगढ़ पर राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत करने व निजी सहभागिता से भी महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति बालेसर एवं पंचायत समिति शेरगढ़ के ग्रामों के राजकीय प्राथमिक/शिक्षाकर्मी विद्यालय,

उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. पंचायत समिति बालेसर एवं शेरगढ़ में नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) :

19. राजस्थान विश्वविद्यालय में वर्ष 1984 से व्याख्याताओं के पद नहीं भरे जाने तथा यू.जी.सी. की अनुशंसा पर शिक्षकों की सेवा निवृत्ति आयु नहीं बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) :

20. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में पिछले चार वर्षों में खोली गयी सैकेण्डरी स्कूलों को सीनियर स्कूलों में क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

21. राजस्थान में 500 की आबादी वाले 7185 गांवों में उच्च प्राथमिक विद्यालय न होने तथा सर्व शिक्षा अभियान में संसाधन उपलब्ध होते हुये भी क्रमोन्नत न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

22. राजस्थान में लिंग आधार पर साक्षरता अन्तर ज्यादा होते हुए भी पिछले तीन वर्ष में बालिकाओं के एक भी उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा सीनियर स्कूल/महाविद्यालय न खोलने से बालिका शिक्षा को बढ़ावा न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

23. राज्य में जनजाति क्षेत्र एवं शिक्षा में पिछड़े क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलायी जाने वाली बहुत कम फीस एवं निःशुल्क शिक्षा देने वाली संस्थाओं को आर्थिक एवं भौतिक संसाधनों के अभाव में मान्यता न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में कानूनी वादों में पराजित होने के बावजूद नौकरशाही की सलाह मानकर राज्य में उच्च शिक्षा के शिक्षकों को न्यायालय द्वारा न्यायोचित ठहराने के बावजूद मांग न मानने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

25. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के विद्यालयों में नये विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. राज्य में पंचायत मुख्यालय के अतिरिक्त राजस्व गांव जो पंचायत मुख्यालय से दूर, पहाड़ी इलाकों, नदी नालों एवं हाइवे के कारण कटे हुये हैं उनमें माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्ययकता पर चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने एवं प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के विभिन्न वियालयों में रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवल किशोर (बामनवास) :

30. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र बामनवास की तहसील बौंली में संचालित राजकीय प्रवेशिका माध्यमिक संस्कृत विद्यालय को वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम जीवद में नवीन संस्कृत विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जगसीराम (रेवदर) :

35. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में पिछले 3 वर्षों से ब्लाक शिक्षा अधिकारी के रिक्त पद को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र रेवदर आबूरोड में महिला महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

38. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में संरक्षित धरोहर सूची में सम्मिलित सूरसागर महल का जीर्णोद्धार एवं संरक्षण कार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवाची गेट, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापनगर में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने एवं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवाची गेट को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवाची गेट की दूसरी पारी में शिफ्ट करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में अनाथ एवं निराश्रित बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से आवासीय विद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय शोभावतों की ढाणी, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय 14 सेक्टर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पालरोड को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर एवं पुस्तकालय की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) :

43. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में विद्यालयों को मान्यता देने में हुई अनियमितताओं के बावजूद 64 में से 40 विद्यालयों को डाइरेक्टर एजुकेशन बीकानेर द्वारा दी गई मान्यता की जांच कर दोषियों को दण्डित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर के पदमचन्द रत्न कंवर राजकीय विद्यालय को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में राजकीय विद्यालयों को बजट के अभाव में बिजली का कनेक्शन काटने एवं पुन: चालू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

46. झालामन्ड क्षेत्र में राजकीय विद्यालय को सीनियर सैकेण्डरी में

क्रमोन्नत कर कला, वाणिज्य एवं विज्ञान विषय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में संस्कृत दरबार सीनियर सैकण्डरी विद्यालय से जर्जर हो रही जूनीमंडी की बिल्डिंग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) :

48. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के राजकीय उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में विषयवार रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के राजकीय उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूलों की चारदीवारी बनवाने तथा पानी तथा बिजली की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों के भवन निर्माण कराने एवं पुराने भवनों के नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में खेल मैदान व चारदीवारी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना की उच्च प्राथमिक विद्यालय नं. 1 में संचालित निजी महाविद्यालय को बेदखल कर सरकार की करोड़ों रुपये मूल्य की भूमि एवं भवन को संरक्षित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) :

53. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में ग्राम पंचायत मुख्यालय के शेष रहे भवन में माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में शिक्षा से वंचित गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी) :

56. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) :

57. विधान सभा क्षेत्र बयाना में सीदपुर माध्यमिक विद्यालय, सीदपुर में पांच कमरे एवं बाउण्डरी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र बयाना के ग्राम तरसुमा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तरसुमा में दो कमरे बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र बयाना में राजकीय माध्यमिक विद्यालय थाना डांग में दो कमरों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र बयाना में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय काचेरा में दो कमरों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी) :

61. राजकीय माध्यमिक विद्यालय सलेमपुर तहसील बसेडी (धौलपुर) को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. बसेड़ी उप खण्ड में महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. ग्राम खरौली सरमथुरा धौलपुर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में आवासीय माडल विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) :

66. चूरू जिले में डी.पी.ई.पी. कार्यक्रम में आबंटित राशि का समुचित व्यय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

67. राज्य के विभिन्न श्रेणी के विद्यालयों में विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के पदों की कमी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

68. तारानगर पंचायत समिति के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष व शौचालय का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) :

69. पंचायत समिति कुम्हेर के ग्राम उसरानी में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पपरेरा, पंचायत समिति कुम्हेर जिला भरतपुर को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

71. पंचायत समिति कुम्हेर (भरतपुर) में जाटव बस्ती रारह, जाटव बस्ती गुनसारा, मीणा बस्ती, महरावर, गुण्डा थोक अजान एवं तुहिया पट्टी सांतरुक में नये प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

72. पंचायत समिति कुम्हेर (भरतपुर) स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रूंधहेलक को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

73. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर की ग्राम पंचायत भूरटिया, शिवकर, उण्डरवा, मारूडी, आटी, हाथीतला, गरल एवं आदर्श चवा में पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर की राजकीय माध्यमिक विद्यालय भाडखा, जसाई बालेरा को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

75. राजकीय पी.जी. कालेज बाड़मेर में भूगोल विषय खोलने एवं राजकीय पी.जी. कालेज बाड़मेर एवं राजकीय महिला महाविद्यालय बाड़मेर में व्याख्याताओं एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. राजकीय पोलीटेक्निक विद्यालय बाड़मेर में पेट्रो केमीकल्स की ब्रांच

खोलने एवं राजकीय पोलीटेक्निक विद्यालय बाड़मेर एवं राजकीय आई.टी.आई. बाड़मेर में लम्बे समय से रिक्त चल रहे शिक्षकों के पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में 20 नये प्राथमिक विद्यालय खोलने एवं 10 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

78. पंचायत समिति धोद (सीकर) के बी.ई.ओ. द्वारा लम्बे समय से एक ही जगह रहने से पद का दुरुपयोग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

79. पंचायत समिति दांतारामगढ़ (सीकर) में बी.ई.ओ. द्वारा मनमर्जी व भ्रष्टाचार से अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

80. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में विज्ञान विषय के अध्यापकों की नियुक्ति कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के स्कूलों की चारदीवारी बनाने तथा सभी स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई) :

82. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के कस्बा नदबई में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) में संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महुआ (तहसील भरतपुर) में विज्ञान विषय की संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महीरा तहसील नदबई में इतिहास पोलीटिकल साईंस एवं अंग्रेजी विषय की संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) में संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

87. विधान सभा क्षेत्र चौहटन सीमावर्ती एवं दूरुस्थ क्षेत्र होने के कारण बाखासर, फागलिया, सेडवा एवं तारातरा माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत कर उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाये जाने तथा गुले की बेरी, शोभाला दर्शान उच्च प्राथमिक विद्यालय को छात्र संख्या अधिक होने से क्रमोन्नत कर माध्यमिक विद्यालय बनाये जाने व द्वितीय श्रेणी के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

88. विधान सभा क्षेत्र नावां कुचामन में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

89. राज्य में व्यावसायिक शिक्षा एवं कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

90. राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता एवं कुशल प्रबंधन एवं शिक्षकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

91. राज्य में राजस्थानी कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने एवं कलाकारों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भगवानसहाय सैनी (चौमूं) :

92. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में राजकीय माध्यमिक विद्यालय व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषय अध्यापकों, प्रधानाध्यापक एवं प्रिंसिपल के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौमूं की विकास समिति का वर्ष 2001 से दिसम्बर, 2011 तक के लेखों जोखों का एसीडी पुलिस से जांच करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौमूं में उर्दू विषय खोलने व उर्दू विषय का अध्यापक का पद सृजित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. राजकीय माध्यमिक विद्यालय राधास्वामी बाग, चौमूं, राजकीय माध्यमिक विद्यालय जाटावाली, भूतेडा, भोजलावा व महारकलां को

उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में अनुसूचित जनजाति ग्राम गुवाल्डी व झीडा-डेहरा में आवासीय विद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

97. पाली जिले की रोहट पंचायत समिति के गांव सिणगारी, लालकी, बागड़िया, इन्द्रको की ढाणी के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. पाली जिले की पंचायत समिति रोहट में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र पाली के ग्राम बिट्ठू, निरबली उर्रा, मांडावास, गडवाड़ा के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कमरों के निर्माण हेतु राशि स्वीकृत होने के बावजूद अभी तक कार्य शुरू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र पाली के ग्राम ढाबर, कलाली, रोहट, वायद, कुलथाना, चौटीला, धर्मघाटी, दिवान्दी, सौवलता खुर्द, झीतड़ा, खुंडावास, खांडी, ढुढली, खारडा, भाकरीवाला, गेलावास, सरदारपुरा की ढाणी, राना के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यक कक्षा कक्षों एवं अन्य सुविधाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. पाली शहर एवं रोहट पंचायत समिति के चारदीवारी विहीन विद्यालयों में चारदीवारी निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) :

102. जैसलमेर जिले के स्मारकों की मरम्मत करने एवं कलाकारों को सरकारी योजनाओं द्वारा कलाकार भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. जैसलमेर में पोलीटेक्निक आई.टी.आई. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय

खोलने, बालिका महाविद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में महिला अध्यापक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. जैसलमेर जिले में बी.एड. महाविद्यालय एवं बी.एस.टी.सी. विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

106. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

107. पिलानी शहर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के राजकीय विद्यालय कुल्हरियों के बास में विज्ञान संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र पिलानी की पंचायत समिति सूरजगढ़ के हमीनकुट व देवरोड के माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

110. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खारिया मीठापुर में विज्ञान वर्ग (गणित), जीव विज्ञान विषय खोलने एवं बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय खारिया मीठापुर को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने तथा स्कूलों में रिक्त पड़े विभिन्न पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के ग्राम पंचायत मुख्यालय खातियासनी, जालेली दईकड़ा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

112. विधान सभा क्षेत्र अजमेर (दक्षिण) में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नोलोजी की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. अजमेर के अभियांत्रिकी महाविद्यालय में एरोनोटिकल/स्पेस इंजीनियरिंग एवं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के दो नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. कलाकारों को प्रोत्साहन देने एवं सांस्कृतिक आयोजनों तथा हस्तशिल्प

कलाकारों हेतु उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाने हेतु जवाहर कला केन्द्र की भांति एवं कला केन्द्र अजमेर में बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र अजमेर के प्राचीन महत्व के स्मारक चश्मा ऐ नूर की उचित सार-संभाल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. पुष्कर में स्थित रेगिस्तान पर राजस्थानी लोक नृत्य, लोक संगीत व लोक कलाओं के प्रदर्शन का आयोजन एक बड़े एवं राज्य स्तरीय समारोह के रूप में किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) :

117. अलवर जिले में निजी शिक्षण संस्थानों, उच्च शिक्षा संस्थानों एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों के संचालकों द्वारा किये गये फर्जीवाड़े से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक पींचा (सरदारशहर) :

118. सरदारशहर महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

119. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के विद्यालयों में रिक्त पड़े अध्यापकों के पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय इमलाडी पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर को बालिका के बजाय छात्र विद्यालय ही रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में अनुसूचित जाति की कालोनियां जिनकी आबादी 500 से अधिक है में प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बसेठ जिला अलवर जो ग्राम पंचायत मुख्यालय है को राज्य सरकार की घोषणानुसार माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. ब्लाक शिक्षा अधिकारी कठूमर जिला अलवर शराब पीकर दफ्तर में आकर अध्यापकों को स्थानान्तरण की धमकी देकर पैसे वसूलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

124. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के स्कूलों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के रामगढ़ कस्बे में महिला पोलीटेक्निक नौगांवा आई.टी.आई. एवं बड़ोदा मेव में आई.टी.आई. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) :

126. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के माध्यमिक विद्यालय व उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषय अध्यापक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र सदुलपुर के माध्यमिक विद्यालय कालरी को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

128. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों व व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में राष्ट्रीय माध्यमिक सर्व शिक्षा अभियान (रमसा) के तहत पिछले 2 वर्ष से निर्माण कार्य शुरू नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

131. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में मंगलुणा, भूमादडण, सूतोद आदि माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) :

132. विधान सभा क्षेत्र करौली में स्थापत्य एवं वास्तुकला के बेजोड़ नमूनों शिकारगंज, कबीर शाह का मकबरा, रणगमाताल, शाहीकुण्ड के संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र करौली में नये प्राथमिक विद्यालय खोले जाने एवं प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र करौली के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/ माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण) :

135. विधान सभा क्षेत्र पोकरण में प्रभुपुरा में सैकेण्डरी स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. विधान सभा क्षेत्र पोकरण में मदासर में सीनियर सैकेण्डरी स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. जैसलमेर के विद्यालयों में द्वितीय व तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

138. जैसलमेर में संचालित प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

139. विधान सभा क्षेत्र पोकरण के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सैकेण्डरी स्कूलें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सन्तोष कुमार सहारण (सादुलशहर) :

140. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये बालिका स्कूलों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में उच्च शिक्षा हेतु लालगढ़ जाटन में डिग्री कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के स्कूलों में विज्ञान व कृषि संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के सैकेण्डरी स्कूलों को हायर सैकेण्डरी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के स्कूलों में स्टाफ की कमी व कमरों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

145. राजसमन्द मुख्यालय पर स्थित ऐतिहासिक नौ चौकी पर खण्डित मूर्तियां एवं टूटे हुये कलात्मक झरोखे एवं छतरियों के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

146. राजसमन्द जिले में संचालित सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी स्कूल

के भवन की मरम्मत एवं नये विद्यालय भवन बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

147. राजसमन्द जिला मुख्यालय पर गर्ल्स कालेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज नायक (रायसिंहनगर) :

148. राज्य में विद्यार्थी मित्र, शिक्षा मित्र, शिक्षा कर्मियों को स्थायी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

150. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने एवं बंद प्राथमिक विद्यालयों को पुनः शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत किये जाने एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152. राज्य में शिक्षा पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा एवं व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अजय सिंह (डेगाना) :

153. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के राजकीय माध्यमिक विद्यालय डोडियाना, कितलसर, बुटाटी एवं राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय थांवला को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. विधान सभा क्षेत्र डेगाना में सेठ गंगा बिशन बंकट लाल हेडा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्व-वित्त पोषित योजना के तहत संचालित वाणिज्य संकाय के लिये नियमित बजट आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डेगाना में कृषि संकाय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषय अध्यापकों के पद शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के राजकीय प्राथमिक विद्यालय इटावडा भोजा को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

158. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय धौड़ एवं बन का खेड़ा को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय रोपां, पारोली, खजूरी एवं सवाईपुर को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में जहाजपुर एवं कोटड़ी में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय धौड़ एवं कोटड़ी को प्रवेशिका में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) :

163. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के आसीन्द एवं गुलाबपुरा में राजकीय महाविद्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

164. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के गुलाबपुरा एवं सरेड़ी स्टेशन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

165. प्रदेश में वर्ष 2001 से 2011 के मध्य मात्र 6 प्रतिशत साक्षरता की वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

166. प्रदेश में हजारों पद शिक्षकों के रिक्त रहने एवं समय पर घोषणा करने के बाद भी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से विद्यार्थी को जीवनभर, न्यूनता से अपने जीवन को संवारने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

167. राज्य में खुले निजी विश्वविद्यालयों पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण न होने तथा इनका व्यापारिक प्रतिष्ठान बन जाने एवं वहां पर कार्य करने वाले शिक्षकों की सेवा सुरक्षा न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

168. प्रदेश के राजकीय विद्यालयों के कार्य निरीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

169. राजस्थान में कक्षा एक से लेकर विश्वविद्यालय तक संचालित होने वाली संस्थायें धीरे-धीरे व्यवसायिक संस्थायें होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

170. राज्य में निजी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्रों एवं शिक्षकों का शोषण करने एवं खेल मैदान कक्षा कक्ष एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

171. राज्य में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग से करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

172. राज्य में मिड डे मील वर्क्स को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

173. विधान सभा क्षेत्र नोहर में राजकीय विद्यालयों में आर.टी.आई. एक्ट के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात में शिक्षक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

174. विधान सभा क्षेत्र नोहर में माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

175. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सैकेण्डरी विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

176. विधान सभा क्षेत्र नोहर के राजकीय विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (वैर) :

177. विधान सभा क्षेत्र वैर में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

178. विधान सभा क्षेत्र वैर जिला भरतपुर के कस्बा हलैना के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को बालिका माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

179. विधान सभा क्षेत्र वैर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पैथना में विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

180. विधान सभा क्षेत्र वैर के माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों के भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. विधान सभा क्षेत्र वैर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय खोहरा (पंचायत समिति बयाना) जिला भरतपुर को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू) :

182. विधान सभा क्षेत्र चाकसू में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये बालिका सीनियर सैकेण्डरी स्कूल न खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

183. विधान सभा क्षेत्र चाकसू में 500 की आबादी वाले ग्रामों में सैकेण्डरी स्कूल नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

184. विधान सभा क्षेत्र चाकसू में राजकीय महाविद्यालय न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

185. विधान सभा क्षेत्र चाकसू के स्कूलों के रिक्त पदों को न भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) :

186. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीबीरानी में भूगोल, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, कृषि विज्ञान व संस्कृत विषयों के व्याख्याताओं के पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

187. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के बीबीरानी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

188. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय व खैरथल में राजकीय महिला महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

189. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के विद्यालयों में अध्यापकों/ व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

190. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में श्रीमती कलावती देवी आचार्य कालेज कोटकासिम को स्व-वित्त पोषित संस्था से राजकीय करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

191. सेड़वा में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (आई.टी.आई.) खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) :

192. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

193. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के महाविद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

194. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में आई.टी.आई. केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

195. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) :

196. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में निर्मित राजीव गांधी पाठशाला संचालित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) :

197. प्रदेश में जिला शिक्षा अधिकारी के नये पद सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

198. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नये कर्मचारी नियुक्त करने तथा छात्रों की परीक्षा फीस घटाकर बोर्ड में सुविधाएं देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

199. राजस्थान विश्वविद्यालय में वर्ष 1984 से व्याख्याताओं के पद नहीं

भरे जाने तथा यू.जी.सी. की अनुशंसा पर शिक्षकों की सेवा निवृत्ति आयु नहीं बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

200. प्रस्तावित विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय अजमेर में खोलने तथा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर को अनुदान देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

201. आर.टी.आई. अनुसार व सेवा निवृत्त शिक्षकों के स्थान पर शिक्षकों की भर्ती करने तथा अध्यापकों के छठे वेतनमान की वेतन विसंगतियां दूर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

202. विधान सभा क्षेत्र बाली की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेडा, भन्दर, मुण्डारा, घाणेराव में विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

203. विधान सभा क्षेत्र बाली की माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों में रिक्त पड़े व्याख्याताओं, द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

204. विधान सभा क्षेत्र बाली के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

205. विधान सभा क्षेत्र बाली के ग्राम आमलिया, रडावा (बाली), जाशे की डोरन (सादड़ी) करणवा, (कोटड़ी पंचायत) लालराई (पंचायत सेलली) में माध्यमिक स्कूल खुलवाने/क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

206. विधान सभा क्षेत्र बाली के राजकीय माध्यमिक विद्यालय नाणा, बीसलपुर, भाटुन्द, नारलाई में वाणिज्य संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

207. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में पिछले तीन वर्षों में क्रमोन्नत हुये उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों/व्याख्याताओं एवं प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

208. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की ग्राम पंचायत तेजा का बास के ग्राम

इरोलाव में घीसा बाबा की ढाणी में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

209. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलेरा में वाणिज्य संकाय एवं सांभर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

210. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में सांभर देवयानी सरोवर की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

211. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़-रेनवाल में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) :

212. राजगढ़ (अलवर) में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बिचगांव को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

213. राजगढ़ (अलवर) में गर्ल्स स्कूल पिनान उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मानसिंह (परबतसर) :

214. विधान सभा क्षेत्र परबतसर में चार किलोमीटर दूरी पर प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

215. रामगंजमण्डी, कोटा के महाविद्यालय में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

216. विधान सभा क्षेत्र सोजत के विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

217. राजकीय माध्यमिक विद्यालय कानुजा, जिला पाली को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

218. राजकीय महाविद्यालय भीम में रिक्त पड़े व्याख्याताओं एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

219. राजकीय महाविद्यालय भीम में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

220. नगरपालिका देवगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

221. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अमरपुरा एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हाथनौदा को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने व ग्राम पंचायत मुख्यालय राड़ावास और खेजरोली पर कार्यरत राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

222. राज्य के कई विद्यालयों में पेयजल, विद्युत, विद्यार्थियों के कमरों में बिजली के पंखों की सुविधा, छात्र-छात्रा के पृथक-पृथक शौचायल, विद्यालय की चारदीवारी व मिड-डे-मील जैसी सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

223. राज्य में वेदों के अध्ययन अध्यापन के लिये विशेष व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

224. राज्य के कई जिलों में विद्यार्थी मित्रों की स्वीकृत सीमा से अधिक पदों पर नियुक्ति देकर अनियमितता करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

225. राज्य के कल्प विद्यालयों में विद्युत सुविधा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) :

226. जयपुर शहर के सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों हेतु समुचित टेबल, कुर्सियां एवं कक्षों में पंखों एवं शौचालयों की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

227. हेरिटेज के नाम आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा राजकीय राशि का दुरुपयोग करने की जांच करवाकर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

228. प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

229. जयपुर जिले में कला, वाणिज्य ओर विज्ञान के नये राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

230. राज्य के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में योग एवं मेडिटेशन जैसे कार्यक्रम लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रेमचन्द नागर (पीपल्दा) :

231. इटावा जिला कोटा में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

232. जयपुर में विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए एक और राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

233. विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से 65 वर्ष किये जाने एवं राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में शिक्षकों के रिक्त पद भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

234. जयपुर शहर में राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषय अध्यापकों की कमी व मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में उच्च माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

235. राज्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के ठहराव को रोक पाने में विभाग की विफलता, शिक्षकों को केन्द्र के समान वेतनमान न दिये जाने से व्याप्त असंतोष एवं राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की कमी पर चर्चा के लिये।

236. राज्य में संस्कृत भाषा के और विद्यालय खोले जाने तथा जयपुर में राजकीय महिला संस्कृत महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मानसिंह (परबतसर) :

237. राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के पश्चात भी 15 वर्ष से अधिक समय से सी.डी.पी.ओ. टोंक ग्रामीण के पद पर कार्यरत कर्मी को वापस शिक्षा विभाग में नहीं बुलाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-3A

श्री बृज किशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री) का अनुदान की मांग संख्या-24 (शिक्षा, कला एवं संस्कृति) के सम्बन्ध में सदन पटल पर रखा गया उत्तर

माननीय अध्यक्ष महोदय,

1. स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा की अनुदान की मांगों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों से काफी संख्या में कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सभी माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में मैं लिखित में उत्तर भिजवाउंगा। माननीय सदस्यों द्वारा कटौती प्रस्तावों के माध्यम से जो मुख्य-मुख्य बिन्दु उठाये हैं उनके सम्बन्ध में मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा।

2. शिक्षा की समग्र धारा को स्कूल शिक्षा तथा उच्च शिक्षा दो भागों में बांटकर देखें तो स्कूल शिक्षा का स्थान पहले आता है और स्कूल शिक्षा में भी प्रारम्भिक शिक्षा का महत्व सर्वोपरि है। इस बात को मानने में किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा कि प्रारम्भिक शिक्षा ही जड़ों की शिक्षा है, यह नींव की शिक्षा है, यह आधारभूत शिक्षा है। अतः जैसी स्थिति प्रारम्भिक शिक्षा की होगी, वैसी ही स्थिति भविष्य में माध्यमिक शिक्षा और कालान्तर में महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयी शिक्षा की होगी।

3. माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान के 73वें संशोधन की मूल भावना के अनुरूप प्रारम्भिक शिक्षा की समस्त गतिविधियां मय फण्डस एवं स्टाफ के अक्टूबर 02, 2010 से पंचायती राज संस्थाओं के अधीन कर दी गयी हैं। ग्रामीण क्षेत्र के समस्त राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं उनमें कार्यरत अध्यापक, ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं उसके अधीनस्थ समस्त स्टाफ, तथा सर्व शिक्षा अभियान तथा साक्षरता एवं सतत शिक्षा से सम्बन्धित पंचायत समिति स्तर पर कार्यरत समस्त स्टाफ सम्बन्धित पंचायत समितियों के अधीन कर दिए गये हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 56 के अन्तर्गत गठित पंचायत समिति की शिक्षा स्थायी समिति द्वारा विभिन्न अधिकारों का प्रयोग किया जायेगा तथा आवश्यक निर्णय लिए जायेंगे। अध्यापकों के स्थानांतरण पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति द्वारा किये जायेंगे।

4. इसी प्रकार जिला स्तर पर जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं उसके अधीनस्थ समस्त स्टाफ एवं सर्व शिक्षा अभियान तथा साक्षरता एवं सतत शिक्षा से सम्बन्धित जिला स्तर पर कार्यरत समस्त स्टाफ जिला परिषदों के अधीन कर दिए गये हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 57 के अन्तर्गत गठित जिला परिषद की शिक्षा स्थायी समिति द्वारा विभिन्न अधिकारों का प्रयोग किया जायेगा तथा आवश्यक निर्णय लिए जायेंगे। अध्यापकों के स्थानांतरण जिला परिषद की प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति द्वारा किये जायेंगे।

5. माननीय अध्यक्ष महोदय, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 राज्य में 01 अप्रैल, 2010 से लागू हो गया है। इस अधिनियम के सभी प्रावधान सभी राज्य सरकारों पर बाध्यकारी है तथा राज्य सरकारों को किसी भी प्रावधान में किसी प्रकार की छूट देने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। इस अधिनियम को क्रियान्वित करने हेतु राजस्थान राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 दिनांक 29.3.2011 को अधिसूचित किये जा चुके हैं।

6. ''दुर्बल वर्ग'' एवं "असुविधाग्रस्त समूह" को परिभाषित करने हेतु अधिसूचना जारी की जा चुकी है। निजी विद्यालयों में कक्षा 1 अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षा, जैसी भी स्थिति हो, में कम-से-कम 25 प्रतिशत सीटों पर ''दुर्बल वर्ग'' एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालक-बालिकाओं को प्रवेश दिलाने का कार्य दिसम्बर 2011 से प्रारम्भ किया जा चुका है। इसके लिये विभिन्न स्तरों पर निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित कर अधिनियम के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जा रही है जिसके सार्थक परिणाम आने लगे हैं।

7. आर.टी.ई. एक्ट के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। कोई भी नया प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय बिना मान्यता के स्थापित नहीं किया जा सकता है तथा नये विद्यालयों के लिए मान्यता तभी प्रदान की जा सकेगी जब वह इस अधिनियम में निर्धारित समस्त मान एवं मानकों की पूर्ति कर लें। जो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही संचालित है उन्हें अधिनियम लागू होने की दिनांक से तीन वर्ष

की अवधि में (दिनांक 31.3.2013 तक) समस्त निर्धारित मान एवं मानकों की पूर्ति करनी होगी। विद्यालयों की मान्यता के सम्बन्ध में आर.टी.ई. एक्ट के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु राज्य सरकार ने राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता, अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम 1993 में अधिसूचना दिनांक 2.9.2011 द्वारा आवश्यक संशोधन कर दिए हैं।

8. माननीय अध्यक्ष महोदय, आर.टी.ई. एक्ट की धारा 27 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी शिक्षक को निम्नलिखित गैर-शैक्षिक प्रयोजनों के अलावा अन्य किसी गैर शैक्षिक प्रयोजन के लिए अभिनियोजित नहीं किया जायेगा :-

1. 10 वर्षीय जनसंख्या जनगणना
2. आपदा राहत कर्तव्य
3. स्थानीय प्राधिकारी, राज्य विधान मंडलों एवं संसद के निर्वाचनों से सम्बन्धित कर्तव्य

8. अधिनियम के उक्त प्रावधानों के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा यह निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत नियोजित किसी भी अध्यापक को उपरोक्त वर्णित तीन प्रकार के गैर-शैक्षिक प्रयोजनों के अलावा अन्य किसी भी गैर शैक्षिक प्रयोजन हेतु अभिनियोजित नही किया जाए। मुख्य सचिव स्तर से इस सम्बन्ध में निर्देश समस्त जिला कलक्टर को भी जारी किए जा चुके हैं।

9. आर.टी.ई. एक्ट के विभिन्न प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु जो अन्य कदम उठाये गये हैं उंनका विवरण निम्नानुसार है:-

(1) कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत बालकों से किसी भी प्रकार का शुल्क वसूल नहीं करने के बारे में निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

(2) कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा समाप्त की जा चुकी है तथा अधिनियम के अनुसार बालकों को किसी भी कक्षा में रोकने अथवा निष्कासित करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

(3) अधिनियम में वर्णित मानदण्डों के अनुसार विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध कराने की दृष्टि से सत्र 2011-12 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) का आयोजन किया जा चुका है। अब 41 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती का कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है।

(4) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (एस.आई.ई.आर.टी.), उदयपुर को शैक्षिक प्राधिकारी अधिसूचित कर दिया गया है।

(5) अधिनियम के अनुसार राज्य के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समितियों (एस.एम.सी.) का गठन किया जा चुका है तथा इनके सदस्यों का प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न कराया गया है।

(6) विद्यालयों में बालकों को किसी भी प्रकार का शारीरिक दण्ड या मानसिक प्रताड़ना को प्रतिबंधित किया जा चुका है।

(7) बालकों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन के लिए जयपुर और अलवर जिलों के 60 विद्यालयों में पायलट परियोजना लागू की जा रही है।

(8) राजकीय विद्यालयों में अधिनियम के अनुसार आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए सर्व शिक्षा अभियान की वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 की वार्षिक योजनाओं में आवश्यक प्रावधान किये गये हैं।

(9) अधिनियम को प्रभावी रूप में लागू करने की दृष्टि से जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के सहयोग के लिए प्रत्येक जिले में ए.पी.सी. (आर.टी.ई.) एवं निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर में उप निदेशक (आर.टी.ई.) एवं सहायक निदेशक (आर.टी.ई.) के पद सृजित कर पदस्थापन किया जा चुका है।

(10) अधिनियम की भावना के अनुसार प्रत्येक बालक को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य में व्यापक चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे कराया गया है जिसके आधार पर चिन्हित किये गये लगभग 12 लाख बालकों में से सत्र 2011-12 में लगभग 7.25 लाख बालकों को शिक्षा से जोड़ा जा चुका है।

(11) आयु अनुरूप प्रवेशित बालकों को अपेक्षित स्तर तक शिक्षित करने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान द्वारा सत्र 2011-12 में आवासीय एवं गैर आवासीय ब्रिज कोर्स प्रारम्भ किये गये हैं।

(12) अधिनियम के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राज्य, सम्भाग, जिला एवं ब्लाक स्तरों पर विभिन्न स्टेक होल्डर्स (stake holders) की कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। इस कार्य में स्वयं सेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया गया है। समय-समय पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से अधिनियम से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विज्ञप्तियां प्रकाशित की गईं हैं।

(13) बालकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग महिला एवं बाल विकास विभाग के नियंत्रण में संचालित है।

(14) अधिनियम से सम्बन्धित बालकों, अभिभावकों, एवं शिक्षकों एवं अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों की परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी कर प्रभावी प्रक्रिया स्थापित की गई है।

(15) अधिनियम के अनुसार प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

10. माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक बच्चे को स्कूल की शिक्षा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से शिक्षा से वंचित बच्चों के चिन्हीकरण हेतु शिक्षा विभाग द्वारा एक चाइल्ड-ट्रेकिंग सर्वे करवाया गया था जिससे यह ज्ञात हुआ है कि राज्य में 6-14 आयुवर्ग के अनामांकित अथवा ड्राप-आउट बच्चों की संख्या लगभग 12 लाख है। इतनी बड़ी संख्या में अनामांकित अथवा ड्राप-आउट बच्चों का होना हम सभी के लिए एक चिंता का विषय है। इस समस्या के समाधान हेतु शिक्षा विभाग ने एक कार्य योजना बनाकर अनामांकित एवं ड्राप-आउट बच्चों को शिक्षा से जोड़ने हेतु जुलाई 2011 में एक अभियान चलाया था जिसके अच्छे परिणाम आए हैं। इस अभियान के दौरान लगभग 7.25 लाख ड्राप-आउट एवं अनामांकित बच्चों को नामांकित किया जाकर शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित कर इन्हें विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस प्रयास में शिक्षा विभाग को पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय जन-प्रतिनिधियों एवं विद्यालय प्रबंधन समितियों से अच्छा सहयोग मिला है। इन सभी की सहभागिता से पुनः जुलाई 2012 में शेष अनामांकित अथवा ड्राप-आउट बालक-बालिकाओं को विद्यालयों में नामांकित करने का प्रयास किया जायेगा।

11. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इन नामांकित बच्चों को लगातार स्कूल में बने रहने यानी उनका ठहराव सुनिश्चित करने के लिए, हमारा सहयोग करें। उनका अपने-अपने क्षेत्र में प्रभाव है, विश्वास और सम्मान का भाव उनके प्रति आमजन में है। अतः वे नामांकित बच्चों का ठहराव सुनिश्चित कराने तथा अभी भी विद्यालयों से दूर बालक-बालिकाओं को स्कूल से जोड़नें के पावन यज्ञ में अपनी आहुति दें। शिक्षा का काम हम सबका काम है, हर शिक्षित व्यक्ति की शिक्षा अशिक्षितों

की अशिक्षा हरण करने का आह्वान करती है। हमें शिक्षा के प्रयासों में सहयोग देकर अपनी शिक्षा को सार्थक करना चाहिए।

12. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वाकांक्षी परियोजना "सर्व शिक्षा अभियान" का संचालन किया जा रहा है जिसमें केन्द्र एवं राज्य के अंश का अनुपात 65:35 है। वर्ष 2011-12 में परियोजना की कुल वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 3675.46 करोड़ रुपये की थी। फरवरी 2012 तक इस परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों पर 2903.62 करोड़ रुपये व्यय किया गया है, जो कुल बजट का 79% एवं सरकार द्वारा जारी राशि का 94.95% है।

13. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार बालिकाओं, विशेषकर वंचित वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा को बढावा देने हेतु कृत संकल्प है। अनुसूचित जाति/जनजाति, ओ.बी.सी., अल्पसंख्यक एवं बी.पी.एल. परिवारों की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 200 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) संचालित हैं। इनमें से 186 के.जी.बी.वी. राज्य के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक्स में एवं 14 के.जी.बी.वी. अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित हैं। इन के.जी.बी.वी. में अध्ययनरत बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन के अतिरिक्त दैनिक उपयोग की समस्त वस्तुएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। लगभग 17,500 बालिकाएं वर्तमान में इन के.जी.बी.वी. में लाभान्वित हो रही हैं।

14. प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (N.P.E.G.E.L.) के अन्तर्गत 4710 माडल कलस्टर विद्यालय संचालित हैं, जिनमें बालिकाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, कम्प्यूटर शिक्षा, खेलकूद, योग शिक्षा, मार्शल आर्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 में लगभग 250 शैक्षिक मेलों का आयोजन किया गया। राज्य के सात जेण्डर फोकस जिलों में "स्कूल चलें हम" एवं ''पढ़वा को हैलो" कार्यक्रम नामांकन अभिवृद्धि हेतु आयोजित किए गए हैं। ब्लाक स्तर पर लगभग 250 अध्यापिका मंच गठित हैं, जिनसे लगभग 20,000 महिला शिक्षिकाएं जुड़कर क्षमता संवर्धन का लाभ ले रही हैं।

15. बालिका शिक्षा के संदर्भ में राज्य सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में चर्चा करना चाहूंगा।

16. **साइकिल योजना** : बालिकाओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के

उद्देश्य से राज्य में ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं हेतु साइकिल योजना चलाई जा रही है। पूर्व में इस योजना के अन्तर्गत दसवीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को ही लाभान्वित किया जाता था। गत वर्ष इस योजना में संशोधन किया जाकर कक्षा 9 एवं कक्षा 10 दोनों में अध्ययनरत 1,41,444 छात्राओं को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है। साइकिलों हेतु छात्राओं के अंशदान की राशि को 300 रुपये से घटाकर 100 रुपये किया गया है। विशेष पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं से यह 100 रुपये की राशि भी नहीं ली जा रही है।

17. **इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना:** माध्यमिक शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं निःशक्त वर्ग की ऐसी बालिकाएं जो कि बोर्ड की कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करती हैं उन्हें इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना के अन्तर्गत क्रमशः 40,000 एवं 50,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2011-12 में 469 छात्राओं को इस योजना अन्तर्गत 178.25 लाख रुपय पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए गए हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में यह घोषणा की है कि इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए सामान्य वर्ग की छात्राओं को भी इसका लाभ दिया जायेगा।

18. **गार्गी पुरस्कार योजना:** माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित सैकेण्डरी एवं प्रवेशिका परीक्षा में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत रहने पर गार्गी पुरस्कार योजना अन्तर्गत प्रतिवर्ष 1500 रुपये एवं प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया जाता है। वर्ष 2011-2012 में 26048 छात्राओं को इस योजना में लाभान्वित किया गया है। बालिका शिक्षा को बढावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिवर्ष करने का निर्णय लिया है।

19. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (children with special needs) के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित हैं। वर्ष 2011-12 में लगभग 4,500 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कृत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराए गए। साथ ही लगभग 7100 अस्थिदोष, दृष्टिदोष, मानसिक विमंदित एवं श्रवणबाधित बच्चों को विद्यालय आने-जाने के लिए ट्रांसपोर्ट भत्ता एवं गम्भीर विकलांग बच्चों के लिए एस्कोर्ट भत्ता उपलब्ध

कराया गया। परियोजना में पोलियो ग्रसित बच्चों की करेक्टिव सर्जरी का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। गत वर्ष फरवरी माह तक 420 बच्चों की करेक्टिव सर्जरी करवाई जा चुकी है। जो बालक गम्भीर रूप से विकलांग है उन बालकों के लिए केयरगिवर्स (Caregivers) के माध्यम से होम बेस्ड एज्यूकेशन की व्यवस्था की गयी है। दृष्टिविहीन बालकों को लगभग 990 ब्रेल पुस्तकों एवं 600 ब्रेल किट का वितरण किया गया।

20. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सम्बलन हेतु संदर्भ कक्षों की स्थापना कर संदर्भ शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इन बच्चों में व्यावसायिक क्षमता एवं कौशल का विकास करने के लिए कौशल विकास शिविर आयोजित किए जाते हैं। बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से विद्यालयों में रैम्प एवं विशेष शौचालय निर्मित किए गए हैं। गत वर्ष लगभग 1,350 विद्यालयों में रैम्प निर्मित किए गए।

21. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को सम्बलन करने के उद्देश्य से राज्य के कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त 2,44,656 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वर्ष 2011-2012 में इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राशि रुपये 595.30 लाख का पुर्नभरण पाठ्य पुस्तक मण्डल को किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बालक-बालिकाओं के लिए तीन रेगिस्तानी हास्टल संचालित किए जा रहे हैं। टी.एल.एम., स्टेशनरी एवं अवार्ड उपलब्ध कराने के साथ-साथ इन बच्चों के स्किल डवलपमेन्ट एवं एक्सपोजर विजिट (skill development and exposure visit) का भी प्रावधान किया गया है।

22. घुमन्तू जाति एवं मजदूरी हेतु पलायन करने वाले समुदायों के बालक-बालिकाओं के लिए राज्य में 78 माइग्रेटरी हास्टल (Migratory Hostel) संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 1800 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।

23. अल्पसंख्यक शिक्षा के उन्नयन हेतु 31 जिलों में (अलवर, भरतपुर जिलों को छोड़कर) अल्पसंख्यक कार्डिनेटर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। मदरसों में कार्यरत पैराटीचर्स को टी.एल.एम. हेतु 500 रुपये एवं शाला सुविधा अनुदान हेतु 5,000 रुपये प्रति मदरसा के हिसाब से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपलब्ध कराए गए हैं। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं टी.एल.एम. उपलब्ध कराने के साथ-साथ अल्पसंख्यक बच्चों के स्किल डवलपमेन्ट एवं एक्सपोजर विजिट (skill development and exposure visit) का भी प्रावधान किया गया है।

24. बहुत छितरी हुई आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में एवं ऐसेस्थानों पर जो प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के मापदण्डों को पूरा नहीं करते हैं, आवासीय विद्यालय खोले जाने का निर्णय लिया गया है ताकि 6 से 14 वर्ष के ड्राप आउट एवं अनामांकित बालक-बालिकाओं को औपचारिक शिक्षा प्राप्त हो सके। आवासीय विद्यालय शहरी क्षेत्र के उन बालक-बालिकाओं के लिए भी उपलब्ध होंगे, जो बेघर है तथा जिनके कोई व्यस्क संरक्षक नहीं है। वर्तमान में अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर एवं जालौर जिलों में एक-एक आवासीय विद्यालय संचालित है। इनमें लगभग 300 बच्चे नामांकित हैं।

25. आज प्रत्येक स्तर पर गुणवत्तापरक शिक्षा की आवश्यकता महसूस की जा रही है इसे दृष्टिगत रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान में कई गतिविधियां एवं कार्यक्रम शामिल किए गए हैं जो गुणात्मक शिक्षा पर जोर देते हैं। बच्चों के नामांकन एवं ठहराव को सुनिश्चित करने एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से कक्षा 1 एवं 2 के लिए गतिविधि आधारित लहर कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया जो वर्तमान में 12,000 विद्यालयों में संचालित किया जा रहा है । इसमें प्रत्येक बच्चा आनन्ददायी तरीके एवं अपनी गति से स्वयं क्रियाएं करके सीखता है। विद्यालयों में पृथक से लहर कक्ष तैयार कर सीखने की सामग्री उपलब्ध कराई गई है एवं शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।

26. कठिन विषयों में रूचि पैदा करने एवं बच्चों द्वारा स्वयं क्रिया करके सीखने के उद्देश्य से विभिन्न विषयों की वर्कबुक्स तैयार की गई हैं। अब तक प्रारम्भिक शिक्षा में अध्ययनरत 71 लाख बच्चों को वर्कबुक्स वितरित की गई हैं। इसी प्रकार विज्ञान एवं गणित विषयों में प्रायोगिक कार्य करने के उद्देश्य से लघु प्रयोगशाला के तौर पर विज्ञान एवं गणित किट तैयार किए गए हैं। अब तक लगभग 13,100 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विज्ञान एवं लगभग 15,000 विद्यालयों को गणित किट उपलब्ध कराए गए हैं।

27. गुणवत्तापरक शिक्षा की दृष्टि से नेशनल करीकूलम फ्रेमवर्क-2005 एवं एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्यपुस्तकें तैयार की गई हैं।

28. प्राथमिक कक्षाओं में रेडियो प्रसारण के माध्यम से अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कराये जाने हेतु राज्य के समस्त जिलों में प्रति सप्ताह सोमवार से शुक्रवार 12:00 से 12:30 बजे तक अंग्रेजी भाषा से सम्बन्धित प्रोग्राम का रेडियो प्रसारण कराया जाता है। इस हेतु प्रत्येक विद्यालय के शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाकर विद्यालयों में रेडियो/टू-इन-वन उपलब्ध कराए गए हैं।

29. राज्य के 15 प्रतिशत विद्यालयों के कक्षा 5 एवं 8 के बालकों का उपलब्धि स्तर ज्ञात करने हेतु क्वालिटी एश्योरेन्स टेस्ट आयोजित किया गया। जिसमें 2.40 लाख से अधिक बालक-बालिकाओं का अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान विषय का उपलब्धि स्तर ज्ञात किया गया।

30. आर.टी.ई. एक्ट के तहत विद्यालयों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली (continuous and comprehensive evaluation) लागू करने के उद्देश्य से गत वर्ष राज्य के दो जिलों जयपुर एवं अलवर के 60 विद्यालयों में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में योजना लागू की गयी थी। अब इसे राज्य के अन्य जिलों में भी लागू किया जा रहा है।

31. कम्प्यूटर शिक्षा के महत्व को देखते हुए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर एडेड लर्निंग कार्यक्रम (कल्प) प्रारम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय को तीन कम्प्यूटर प्रदान किए जाते हैं। एनीमेटेड मल्टी मीडिया (animated multi media) आधारित ई-कन्टेन्ट विकसित कर 6650 विद्यालयों में इसे लागू किया गया है, ताकि कम्प्यूटर विभिन्न विषयों को सिखाने का माध्यम बन सके।

32. विद्यालयों में ढांचागत विकास करने की दृष्टि से कक्षा-कक्ष, शौचालय, चारदीवारी, विद्युत एवं पेयजल सुविधा आदि की व्यवस्था की गई है। साथ ही विद्यालयों को शिक्षण अधिगम सामग्री, विद्यालय सुविधा एवं मरम्मत-रखरखाव अनुदान आदि उपलब्ध कराए जाते हैं।

33. नवीन गतिविधियों के अन्तर्गत जी.आई.एस. आधारित स्कूल मैपिंग सर्वे कराया जा रहा है। वर्तमान में आदिवासी, रेगिस्तानी एवं छितरी आबादी वाले 18 जिलों के 52 ब्लाक्स में स्कूल मैपिंग का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

34. बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य हेतु डी-वर्मिंग प्रोजेक्ट एवं दृष्टि दोषयुक्त बालकों की आई करेक्टिव सर्जरी (eye corrective surgery) हेतु योजना तैयार की गई है।

35. माननीय अध्यक्ष महोदय, अनेक माननीय सदस्यों ने राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों की कमी की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है। यह सही है कि राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों के काफी पद रिक्त हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं। आरक्षण का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे के कारण काफी समय तक राज्य सरकार के समस्त विभागों में नियुक्तियां नहीं की जा सकी थीं। साथ ही

विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठक आयोजित करने पर रोक होने के कारण पदोन्नति कोटे की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नतियां भी नहीं की जा सकीं। वर्तमान में भी विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठक आयोजित करने पर रोक लागू है। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अनुबन्ध के आधर पर विद्यार्थी मित्रों को नियोजित कर कुछ हद तक इस समस्या का निदान किया है।

36. जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, हमारी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा हेतु 50 हजार शिक्षकों के पदों पर भर्ती करने का निर्णय गत वर्ष लिया था। इस क्रम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित की जा चुकी है तथा 41,000 अध्यापक तृतीय ग्रेड के चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया पंचायत राज विभाग के द्वारा की जा रही है। यह 41,000 अध्यापक अगले शिक्षा सत्र में विभाग को उपलब्ध हो जायेंगे। साथ ही वर्ष 2012-2013 में प्राथमिक शिक्षा हेतु 20,000 अतिरिक्त अध्यापकों की भर्ती की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में की है। इस क्रम में शीघ्र ही अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाकर इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।

37. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में तथा सदन के बाहर भी यह मांग की गयी है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती जिला परिषदों के माध्यम से न की जाकर राजस्थान लोक सेवा आयोग (आर.पी.एस.सी.) से करवाई जाए। इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मंत्रिमण्डल सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ.27(2)कैब/2011 दिनांक 10/06/2011 के द्वारा राजस्थान कार्यविधि नियमों में संशोधन किया जाकर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के चयन का कार्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को दिया जा चुका है। इस संशोधन के उपरांत तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती का समस्त कार्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा ही सम्पादित किया जा रहा है। अतः यह विषय स्कूल शिक्षा विभाग के कार्य क्षेत्र में नहीं होने के कारण मेरे द्वारा इस विषय पर कोई वक्तव्य नहीं दिया जा सकता है।

38. माननीय अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को देखते हुए वर्ष 2011-2012 में प्रधानाध्यापक, स्कूल व्याख्याता, अध्यापक ग्रेड-द्वितीय एवं प्रयोगशाला सहायक के कुल लगभग 28

हजार नये पद स्वीकृत किये गये थे। विभिन्न पदों के सीधी भर्ती अभ्यांश के लिए चयन की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है जिसका विवरण मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा।

39. प्रधानाध्यापक के 2093 पदों तथा व्याख्याता के 988 पदों पर चयन हेतु आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया जा चुका है तथा माह अप्रैल-मई 2012 में परीक्षा आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

40. वरिष्ठ अध्यापक के 11,865 पदों पर चयन हेतु आयोग द्वारा परीक्षा दिसम्बर, 2011 में आयोजित की जा चुकी है तथा परीक्षा परिणाम भी घोषित किया जा चुका है। आयोग से शीघ्र ही चयन सूची प्राप्त होना संभावित है।

41. पी.टी.आइ. ग्रेड द्वितीय के 230 पदों तथा पी.टी.आइ. ग्रेड तृतीय के 1303 पदों पर चयन हेतु दिनांक 15.10.2011 को अर्थना आयोग को भेजी गई है। आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया जा चुका है तथा शीघ्र ही परीक्षा आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

42. राजस्थान लोक सेवा आयोग से उक्त पदों हेतु चयन सूची प्राप्त होने पर शीघ्र ही इन पदों पर नियुक्तियां कर दी जायेंगी। लेकिन पदोन्नति कोटे की रिक्तियों को भरा जाना तभी सम्भव होगा जब विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठक आयोजित करने पर लागू रोक हटा दी जायेगी।

43. माननीय अध्यक्ष महोदय, अनेक माननीय सदस्यों ने नये विद्यालय खोलने एवं वर्तमान में कार्यरत विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की मांग की है। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में वर्ष 2012-13 में 1000 नये प्राथमिक विद्यालय खोलने एवं 600 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है। नये विद्यालय खोलने एवं विद्यालयों का क्रमोन्नत करने की कार्यवाही निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) एवं इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी। राज्य में जी.पी.एस. (Global Positioning System) आधारित स्कूल मैपिंग का कार्य प्रगति पर है। स्कूल मैपिंग का कार्य पूर्ण होने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा नवीन प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने तथा प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव तैयार किये जाकर सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को supplementary proposals के रूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

44. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य की ऐसी 79 ग्राम पंचायतें जिनमें राजकीय माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं में एक-एक उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में की है।

45. वर्ष 2012-2013 के बजट पर हुये सामान्य वाद-विवाद का उत्तर देते समय माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा दिनांक 30/03/2012 को सदन में शिक्षा विभाग से सम्बन्धित घोषणाए भी की हैं:-

- बजट भाषण मे की गई घोषणा के अतिरिक्त, आगामी वर्ष 200 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- 200 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय एवं 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों मे वाणिज्य संकाय खोले जायेंगे।

46. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर स्कूल शिक्षा से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में चर्चा करना चाहूंगा।

47. **विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना :** राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित 'विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना' में संशोधन किया जाकर आठवीं तक के विद्यार्थियों की बीमा राशि को 20 हजार रुपये एवं कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों की बीमा राशि को 50 हजार रुपये से बढ़कर 1 लाख रुपये का बीमा किया गया है।

48. **विधवा/परित्यक्ता मुख्य मंत्री संबल योजना :** गत वर्ष माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गयी बजट घोषणा के अनुसार राज्य में 'विधवा/परित्यक्ता मुख्य मंत्री संबल योजना' लागू की जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत BSTC अथवा B.Ed. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को सरकारी खर्चे पर BSTC अथवा B.Ed. की योग्यता अर्जित करने की सुविधा प्रदान की गयी है।

49. **माडल स्कूल योजना :** शिक्षा की दृष्टि से राज्य के पिछड़े हुए 186 ब्लाक्स, जिनके ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता की दर कम है तथा जेंडर गैप अधिक है, में केन्द्रीय विद्यालयों के पैटर्न पर आधुनिक सुविधाओं युक्त माडल स्कूलों का निर्माण किया जाना है। इन माडल स्कूलों के निर्माण पर लगभग

400 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। अभी तक कुल 134 माडल स्कूलों की स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं। 73 माडल स्कूल निर्माणधीन हैं तथा 61 माडल स्कूलों का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के प्रक्रियाधीन है। इन माडल स्कूलों के निर्माण पर अब तक कुल 7411.70 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

50. **बालिका छात्रावास योजना** : शिक्षा की दृष्टि से राज्य के पिछड़े हुए 186 ब्लॉक्स में एक-एक बालिका छात्रावास का निर्माण भी किया जाना है। अभी तक 62 बालिका छात्रावासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा इनमें से 49 बालिका छात्रावासों में छात्राओं को प्रवेश देकर प्रारम्भ किया जा चुका है बालिका। 63 बालिका छात्रावास निर्माणाधीन हैं तथा 61 बालिका छात्रावासों का निर्माण कार्य प्रारमभ होने के प्रक्रियाधीन है। इन छात्रावासों पर अब तक कुल 3691.99 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

51. अध्यक्ष महोदय, अब मैं माध्यमिक शिक्षा के बारे में निवदेन करना चाहूंगा। जिस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा नींव है अथवा जड़ों के समान है और उच्च शिक्षा मंजिल अथवा भवन है तो निश्चय की माध्यमिक शिक्षा दोनों के बीच सेतु का काम करती है। सेतु का कार्य जोड़ने का होता है। चलने वाले को सुरक्षित रूप से मंजिल तक पहुंचाने का होता है। वैसे ही माध्यमिक शिक्षा का काम प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले बच्चे के लिए सेतु बनकर उसे कालेज, यूनिवर्सिटी एवं तकनिकी उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना है।

52. अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए सन्तोष एवं हर्ष है कि राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति बेहतर है और बेहतर को उत्तम बनाने के लिए हमारी सरकार सदैव तत्पर है। प्रदेश में वर्तमान में राजकीय क्षेत्र में 8108 माध्यमिक तथा 3147 उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय संचालित हैं। इनके अलावा निजी क्षेत्र में 7395 माध्यमिक एवं 5047 उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है। कक्षा 9 से 12 का आयु वर्ग 14-18 वर्ष का माना गया है। इन कक्षाओं में राजस्थान में लगभग 34 लाख छात्र-छात्राएं नामांकित हैं।

53. माध्यमिक शिक्षा में सार्वजनिकरण के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रदेश में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के तत्वाधान में संचालित किया जा रहा है। कामकाजी विश्व में आजीविका कमाने का कौशल सिखाया जाना बहुत जरूरी है और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इसका आधार तैयार करता है। इस अभियान का उद्देश्य वर्ष 2017 तक सकल नामांकन दर को बढ़ाकर शत-प्रतिशत तथा वर्ष 2020 तक शत-प्रतिशत ठहराव सुनिश्चित करना है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का

गुणात्मक सुधार करते हुए इन विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष, विज्ञान प्रयोगशालाओं, कम्प्यूटर लैब तथा शौचालय आदि का निर्माण करवाना इस अभियान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अभियान के तहत 5 किमी. की पहुंच में माध्यमिक तथा 10 किमी. की पहुंच में उच्च माध्यमिक विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

54. आज का युग कम्प्यूटर का युग है । अतः जरूरी है कि स्कूली स्तर पर छात्र छात्रओं को कम्प्यूटर कौशल का ज्ञान दिया जाये। अब तक दो चरणों में 4500 राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा आईसीटी प्रथम एवं द्वितीय चरण के अन्तर्गत दी जा रही है। योजना के अन्तर्गत चयनित विद्यालयों को 10 हजार कम्प्यूटर मय प्रिन्टर, जैनरेटर, इन्टरनेट कनेक्शन, आवश्यक फर्नीचर एवं अनुदेशक उपलब्ध करवाये गये हैं। शेष विद्यालय आने वाले वर्षों में कवर किये जायेंगे।

55. अध्यक्ष महोदय, अब मैं संस्कृत शिक्षा विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमान्, संस्कृत वेदों की भाषा एवं देवों की वाणी है। भारतीय ज्ञान विज्ञान का मूल संस्कृत साहित्य में ही उपलब्ध है। संस्कृत भाषा की महत्ता को केवल भारतीय विद्वानों ने ही नहीं अपितु पाश्चात्य विद्वानों ने भी स्वीकार किया है। मेरा मानना है कि संस्कृत वांगमय ना केवल नैतिक मूल्यों के सन्दर्भ में अपितु राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता की स्थापना करने में समर्थ है।

56. अध्यक्ष महोदय, संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संस्कृत विद्यालय और संस्कृत महाविद्यालयों में संस्कृत साहित्य के गूढ ग्रन्थों का विस्तृत अध्यापन, अध्ययन, प्रशिक्षण और शोध करवाया जा रहा है। यह सुखद पहलू है कि हमारी युवा पीढ़ी नैतिक मूल्यों एवं प्राचीन ज्ञान विज्ञान की संवाहक बनकर सम्पूर्ण विश्व में भारतीय मूल्यों के नवीन आयाम स्थापित कर सकेगी। संस्कृत शिक्षा निदेशालय के अधीन वर्तमान में 2277 राजकीय/निजी विद्यालय और महाविद्यालय राजस्थान प्रदेश में संचालित हैं जिनमें सभी जाति/सम्प्रदाय के लगभग ढाई लाख विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

57. अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार में संस्कृत शिक्षा के प्रसार हेतु बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। जब वर्तमान सरकार ने कार्य सम्भाला, संस्कृत शिक्षा में केवल 10 प्राथमिक विद्यालय ही थे । मैने मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि जिस शिक्षा की जड़ें ही कमजोर हैं, उसका विशाल वृक्ष कैसे बन

सकता है? मैं मुख्य मंत्री महोदय के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने मेरे निवेदन पर विचार फरमाकर वर्ष 2011-12 में संस्कृत शिक्षा के 300 प्राथमिक विद्यालय खोलने की कृपा की। इसी प्रकार माध्यमिक स्तर के केवल 63 प्रवेशिका विद्यालय थे। वर्ष 2010-11 में 71 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रवेशिका विद्यालयों के स्तर पर क्रमोन्नत करवाया गया। इसी प्रकार अब 134 माध्यमिक स्तर के प्रवेशिक विद्यालय हो गए हैं।

58. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक क्रमोन्नत संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में शैक्षिक पदों का सृजन लम्बे समय से नहीं होने के कारण शिक्षण व शोध कार्य प्रभावित हो रहा था । मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इनके लिए 512 पदों का सृजन वर्ष 2011-12 में हो सका।

59. संस्कृत शिक्षा विभाग में जनवरी, 2009 से अब तक 3226 विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों की नियुक्तियां तथा 464 शिक्षकों एवं कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ दिया गया। मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों के रूप में 42 नियुक्तियां प्रदान की गई तथा गत बजट में अनुदानित कर्मचारियों को राज्याधीन लिये जाने की घोषणा के अन्तर्गत 251 शिक्षकों एवं कर्मचारियों को राज्य सेवा में समायोजित किया गया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी सरकार ने न केवल विद्यालयों की स्थापना और क्रमोन्नति का कार्य ही किया अपितु उनके लिए यथा समय शैक्षणिक व्यवस्था भी सुनिश्चित की।

60. मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा इसी बजट सत्र में संस्कृत महाविद्यालय शिक्षकों को यूजीसी वेतनमान दिये जाने की घोषणा से संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों को भी समान कार्य एवं समान वेतन का अधिकार दिया गया है। उपलब्धियों की इसी कड़ी में गत वर्ष 2011-12 में संस्कृत संभाग कार्यालय से वंचित भरतपुर संभाग में संस्कृत संभागीय शिक्षाधिकारी कार्यालय की स्थापना की जाकर वहां कार्य प्रारम्भ करवाया जा चुका है। मेरा प्रयास होगा कि भविष्य में भी संस्कृत शिक्षा में विकास की यह स्थिति कायम रहे। इसी क्रम में मैं वर्ष 2012-13 में किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों की कार्य योजना आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसके मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं :-

1. शिक्षा के लिए प्राप्त केन्द्रीय सहायता एवं राज्य के निर्धारित वार्षिक बजट में संस्कृत शिक्षा के लिए पृथक से राशि का निर्धारण और बजट आबंटित कराना।

2. प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की दृष्टि से सर्वप्रथम पंचायत समितिवार संस्कृत विद्यालयों का मानदण्ड सुनिश्चित कराया जाना और तदनुसार विद्यालयों की कमी को दूर करने के लिए नवीन संस्कृत विद्यालयों की स्थापना एवं क्रमोन्नति कराना।
3. आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत के शास्त्री महिला महाविद्यालय एवं भरतपुर सम्भाग में आचार्य महाविद्यालय की स्थापना एवं क्रमोन्नति कराना।
4. रोजगार की दृष्टि से संस्कृत महाविद्यालयों में पौरोहित्य, कर्मकाण्ड, ज्योतिष, वास्तु डिप्लोमा पाठ्यक्रम को प्रदेश के सभी राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों में प्रारम्भ कराना।
5. विद्यालय महाविद्यालयों के लिए आवश्यक नवीन शास्त्रीय एवं आधुनिक विषयों की स्वीकृति एवं उनकी शिक्षण व्यवस्था कराना।
6. नवसृजित एवं विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों की पूर्ति कराना।
7. संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के लिए प्रारम्भिक कक्षाओं से ही छात्रवृत्ति का प्रावधान कराना।

61. मुझे विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम परम्परागत संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए निरन्तर प्रयास करते हुए सफलता हासिल करेंगे और वेदों की भाषा और देवों की वाणी संस्कृत को अत्यन्त गरिमामय स्थान दिला पाने में हम समर्थ सिद्ध होंगे।

62. अध्यक्ष महोदय, प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा के पश्चात अब मैं साक्षरता विभाग की गतिविधियों एवं उपलब्धियों के बारे में माननीय सदन को अवगत कराना चाहूंगा। महोदय, शिक्षा प्राप्ति के पीछे कहीं कोई प्रतिकूलता होने पर बालक स्कूल जाने की उम्र में पढ नहीं सकता और वह निरक्षर रह जाता है। ऐसे निरक्षरों को साक्षर बनाने का काम साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है।

63. वर्तमान में साक्षर भारत मिशन 2012 के अन्तर्गत प्रदेश में 8843 लोक शिक्षा केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत वर्तमान में लगभग सवा लाख साक्षरता कक्षाओं में 12,11,691 असाक्षरों को प्रवेश दिया गया है। इस कार्य को करने के लिए विभिन्न स्तरों पर 317 समन्वयकों तथा 15851 प्रेरकों को लगाया गया है।

64. साक्षरता कक्षाओं में पढ़ने वाले व्यक्ति को अपनी पढ़ाई की समतुल्यता की जिज्ञासा रहनी स्वाभाविक है। वह यह जानना चाहता है कि उसकी पढ़ाई का स्तर क्या है? इस हेतु हाल ही में 18 मार्च, 2010 को राज्य स्तर पर नव साक्षरों की मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की गई। इसमें हमारा लक्ष्य 8 लाख का था। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सवा दस लाख से अधिक नव साक्षर इस परीक्षा में सम्मिलित हुए जो उनकी रूचि एवं कार्यक्रम की लोकप्रियता को सिद्ध करती है।

65. अध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से शिक्षा से वंचित वर्ग को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें वर्ष 2011-12 में 64180 शिक्षार्थियों का पंजीकरण किया गया। इसकी स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी और अब तक ढाई लाख से भी अधिक शिक्षार्थियों का पंजीकरण हो चुका है।

66. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर पुनः मंत्री परिषद एवं सम्माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करते हुए आशा करता हूं कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिराजी, राजीव गांधी एवं सोनिया गांधी के सपनों का भारत बनाने के लिए जी जान से कार्य करेंगे और विकसित एवं संस्कारित भारत के निर्माण की राह शिक्षा में ही निहित है। शिक्षा के प्रसार के लिये हर सम्भव कार्य हमारी सरकार के द्वारा किया जावेगा ताकि हमारा प्यारा प्रदेश विकसित राज्यों की श्रेणी में उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित हो सके।

धन्यवाद। जय हिन्द।

परिशिष्ट-3B

श्रीमती बीना काक (कला एवं संस्कृति मंत्री) का अनुदान की मांग संख्या-24 (शिक्षा, कला एवं संस्कृति) के सम्बन्ध में सदन पटल पर रखा गया उत्तर

माननीय अध्यक्ष महोदय,

कलाएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिनका संरक्षण, विकास एवं प्रोत्साहन आवश्यक है। भौतिकता से पीड़ित मानवता के लिए कलाएं संजीवनी का कार्य करती है तथा मानवीय प्रवृत्तियों को परिष्कृत करती है। निरन्तर अभ्यास, प्रदर्शन एवं समीक्षा से ही कलाओं को सजाया-संवारा जा सकता है तथा हमारी गौरवमय कलात्मक संस्कृति को संरक्षित किया जा सकता है।

राजस्थान में विभिन्न कलाओं के संरक्षण के लिए निजी एवं सरकारी क्षेत्र दोनों ने ही प्रयास किए हैं तथा वर्तमान में भी दोनों ही क्षेत्र प्रयासरत हैं। निजी क्षेत्र में विभिन्न कला मर्मज्ञों द्वारा स्थापित संस्थाओं एवं स्वयंसेवी संगठनों द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं, वहीं राजकीय क्षेत्र में भी राज्य सरकार द्वारा गठित विभिन्न संस्थाएं अलग-अलग कलाओं के संरक्षण में लगी हुई हैं।

कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के अधीन चार विभाग, दस अकादमियां एवं पांच अन्य संस्थाए हैं । पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का मुख्यालय जयपुर में है तथा इस विभाग का गठन 1950 में किया गया था। इस विभाग के अधीन वर्तमान में 17 राजकीय संग्रहालय, 1 कला दीर्घा, 322 स्मारक व 47 पुरास्थल संरक्षित है । इस विभाग द्वारा प्रदेश में बिखरी कला सम्पदा तथा सांस्कृतिक धरोहर की खोज, संरक्षित स्मारकों व संरक्षण एवं जीर्णोद्धार, पुरावशेषों का संरक्षण, संग्रहालयों का पुनर्गठन एवं विकास इत्यादि कार्य सम्पादित किए जाते हैं।

राजस्थान राज्य अभिलेखागार में राजस्थान (राजपुताना) के भूतपूर्व 22 रियासतों तथा वर्तमान राज्य सरकार के 25 वर्ष से अधिक पुराने ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अभिलेख सुरक्षित है । इन अभिलेखों को आवश्यकतानुसार देश-विदेश के शोध अद्धेताओं, राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों, न्यायालयों एवं जनसाधारण को उपलब्ध करवाया जाता है। विभाग का प्रमुख कार्य अभिलेखों को सुरक्षित एवं संरक्षित करना, इनकी सूचियां तैयार करवाना तथा सरकार एवं अर्द्ध सरकारी कार्योलयों के अभिलेखों एवं अभिलेख कक्षों का निरीक्षण कर उनके उचित रखरखाव तथा संरक्षण के लिए सुझाव इत्यादि देना है ।

अम्बेडकर पीठ डा. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन (अम्बेडकर पीठ) मूंडला, जयपुर की स्थापना एवं स्वायत्तशासी पंजीबद्ध संस्था के रूप में की गई। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य डा. अम्बेडकर के कार्यों व विचारों पर आधारित सामाजिक रूप से संरक्षित समूह के विकास एवं सशक्तिकरण में योगदान देना है । मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी-फारसी शोध संस्थान राजस्थान टोंक की स्थापना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1978 में की गई थी। यह संस्थान अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शोध संस्थान है । जहां देश-विदेश के शोधकर्ता शोध कार्य हेतु उपस्थित होते हैं । यह संस्थान अपने दुर्लभ व महत्वपूर्ण साहित्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है एवं शोधकर्ताओं के आकर्षण का प्रमुख केन्द्र है । यहां हिस्टोरियोग्राफी ओरियंटोलोजी एवं इस्लामिक स्टडीज पर अमूल्य एवं दुर्लभ सामग्री संग्रहित है जिस पर शोध, सम्पादन, सूचीकरण एवं प्रकाशन का कार्य निरन्तर जारी है ।

राजस्थान राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर अपने अधीनस्थ 6 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ संग्रह, सर्वेक्षण, सम्पादन, प्रकाशन एवं संरक्षण आदि उद्देश्यों के अन्तर्गत 61 वर्षों से कार्यरत है । इस अवधि में 1.23 लाख ग्रंथों का संग्रह तथा 215 महत्वपूर्ण ग्रंथों का सम्पादन कर प्रकाशित करवाया गया है। 52 के लगभग प्रकाशनों का पुनर्मुद्रण द्वितीय एवं तृतीय बार किया गया है। जवाहर कला केन्द्र में इस वर्ष सप्ताह के प्रत्येक गुरूवार को संगीत व नृत्य संध्या, शुक्रवार को नाटक व शनिवार को विभिन्न देशों की कला एवं संस्कृति तथा जनजीवन को उजागर करने वाली फिल्मों के प्रदर्शन की व्यवस्था की गई है । प्रदेश की लुप्त हो रही लोक कलाओं यथा मांड गायन व पण्डून के कड़े आदि के डाक्यूमेंटेशन का कार्य भी किया गया है । इसमें विरासत में मिली ये कलाएं भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रह सकेंगी ।

आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण के पंजीकृत संस्था के रूप में गठन की स्वीकृति दिनांक 2.7.2005 को दी गई थी । संस्था का पंजीयन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक 392/जयपुर/2005-06 के द्वारा दिनांक 10.11.2005 को किया गया था । राज्य सरकार द्वारा इसका गठन आमेर महल तथा आमेर क्षेत्र में स्थित कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग राजस्थान सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण की सम्पत्तियों के परिरक्षण, संरक्षण, पुनरोद्धार, सुरक्षा एवं प्रबन्धन के उद्देश्य हेतु किया गया है । इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा जयपुर के कुछ अन्य स्मारकों का जीर्णोद्धार कार्य भी किया जा रहा है।

राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर की स्थापना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1957 में एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में प्रदेश में संगीत, नृत्य एवं नाटक की बहुरंगी विधाओं के उन्नयन, संरक्षण एवं विकास करने तथा उनके माध्यम से राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी । राज्य सरकार द्वारा सन 1957 में राज्य की कला एवं कलाकारों को संरक्षण व प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना की गई । राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर की स्थापना राज्य सरकार द्वारा सन 1958 में राजस्थान प्रान्त में हिन्दी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए की गई । नृत्य, नाटक एवं संगीत कला के उत्थान हेतु वर्ष 1963 में राजस्थान सरकार द्वारा रविन्द्र मंच जयपुर की स्थापना की गई । स्थापना का मुख्य उद्देश्य कला एवं संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन करना है ।

कथक नृत्य की प्राचीन एवं शास्त्रीय शैली में जयपुर घराना अपनी पृथक महत्वपूर्ण पहचान रखता है। इसी शैली को सजीव एवं संवर्द्धित रखने के लिए जयपुर घराने के कथक नृत्य के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान हेतु राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर कथक केन्द्र संस्थान की स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी जबकि केन्द्र का कार्य औपचारिक रूप से 19 मई, 1979 से प्रारम्भ हुआ । सन् 1969 मे एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी की स्थापना हुई। अपनी स्थापना से यह अकादमी हिन्दी माध्यम में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए विज्ञान, तकनीकी, मानविकी, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा आदि विषयों की पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाती है। इस पाठ्य सामग्री में पाठ्य पुस्तकें हैं तो संदर्भ ग्रंथ भी हैं।

राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर की स्थापना वर्ष 1980 में संस्कृत दिवस पर राजस्थान सरकार के द्वारा की गई। संस्कृत अकादमी की मुख्य प्रवृत्तियां:- संस्कृत भाषा को जनमानस में लोकप्रिय बनाने, संस्कृत मौलिक लेखन को प्रोत्साहन देने राजस्थान में उपलब्ध संस्कृत साहित्य को प्रकाशित करने तथा नवोदित प्रतिभा को प्रकाश में लाने से सम्बन्धित है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1979 में सिन्धी भाषा, कला, साहित्य एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु राजस्थान सिन्धी अकादमी की स्थापना की गई थी। राजस्थान उर्दू अकादमी की स्थापना वर्ष 1979 में उर्दू भाषा एवं साहित्यिक कार्यकलापों को प्रोत्साहन देने तथा विकास करने हेतु की गई थी। सन् 1985 में राज्य सरकार ने प्रदेश में बृजभाषा के विकास उन्नयन एवं संवर्धन के लिए

प्रदेश में राजस्थान बृजभाषा अकादमी की स्थापना की है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करने के लिए 25 जनवरी, 1983 को बीकानेर में राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना की गई। राज्य सरकार द्वारा राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी की स्थापना 7 मार्च, 2006 को पंजाबी भाषा, साहित्य, कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु की गई है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां :-

1. जन्तर - मन्तर जयपुर को यूनेस्कों की वर्ल्ड हैरिटेज सूची में दिनांक 31.07.2010 को सूचीबद्ध करवाया गया। जन्तर - मन्तर के सौन्दर्यकरण के कार्य हेतु 2.00 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करवाई गई हैं तथा सौन्दर्यकरण का कार्य जारी हैं।
2. माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट घोषणा वर्ष 2009-10 के अनुरूप सात महान् हस्तियों को राजस्थान रत्न सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा दिनांक 30.03.2012 को राजस्थान दिवस के अवसर पर की गई।
3. जयपुर स्थित जिन अकादमी कार्यालयों के भवन नहीं है उनके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुरूप अकादमी संकुल का निर्माण करवाया गया है जो कि लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। इस पर 390 लाख रुपये की लागत आई हैं।
4. सभी अकादमियों के आयोजना मद के बजट को बढ़ाकर 4.32 करोड़ रुपये से 7.00 करोड़ रुपये इस वित्तीय वर्ष में कर दिया गया हैं।
5. जवाहर कला केन्द्र, जयपुर को सेन्टर फार परफोरमेन्स एण्ड लिविंग आर्टस के रूप में रूपान्तरित करने के लिए 1.25 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई, जिसका उपयोग निर्धारित कार्यों के लिए किया जा चुका है।
6. कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में ख्यातनाम कलाकारों को प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने के उददेश्य से वर्ष 2010-11 में 99.98 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई। इसी प्रकार वर्ष 2011-12 में भी 64.05 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत कर उपलब्ध करवाया गया। वर्ष 2012-13 के लिए 2.00 करोड़ रुपये अनुदान देने की बजट में घोषणा की जा चुकी है।
7. बजट घोषणा वर्ष 2011-12 के अनुरूप प्रदेश के सभी सम्भाग मुख्यालयों पर तीन दिवसीय कला, साहित्य एवं संस्कृति मेलों का

आयोजन करने के लिए 1.00 करोड़ रुपये की धनराशि की स्वीकृति जारी की गई। इनमें से उदयपुर सम्भाग को छोड़कर शेष सभी संभाग मुख्यालयों पर भव्य कला मेलों का आयोजन 31.03.2012 तक किया जा चुका हैं।

8. स्वामी विवेकानन्द जी की 150वीं जन्म तिथि के उपलक्ष्य में रामकृष्ण मिशन समिति, खेतडी, झुन्झुनूं द्वारा भारत सरकार के सहयोग से स्थापना किये जाने वाले विवेकानन्द स्मृति म्युजियम राज्य सरकार द्वारा 50.00 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करवाई गई।

9. राज्य के कलाकारों को सहयोग उपलब्ध कराने के लिए कलाकार कल्याण कोष में इस वर्ष 2.00 करोड़ रुपये धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। वर्तमान में कलाकार कल्याण कोष राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर द्वारा संधारित की जा रही है। जिसमें 2.97 लाख रुपये धनराशि दिनांक 31.03.2012 को उपलब्ध है।

10. विभाग के अधीन आने वाले चारों महत्वपूर्ण विभागों के महत्वपूर्ण दस्तावेजों, ग्रन्थों, पट्टों व पुराने सिक्कों को डिजिटाइज्ड करवाया गया। अब तक कुल 123.07 लाख रुपये प्राच्य सामग्री का डिजिटाइजेशन करवाया जा चुका हैं। अब तक डिजिटाइज्ड करवाई सामग्री को आम जनता को आनलाइन सुलभ करवाने के लिए 2.50 करोड़ रुपये की लागत से एक डिजिटल म्युजियम स्थापित करने की योजना हैं। इस वर्ष बजट घोषणा के माध्यम से इस डिजिटल म्युजियम स्थापित करने के लिए 2.50 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाने के लिए बजट घोषणा की गई है। इस योजना की क्रियान्विती से आम जनता इन्टरनेट के जरिये इन डिजिटाइज्ड सामग्री का लाभ उठा सकेगी।

भावी योजना :-

(1) प्रदेश के प्राचीन महत्व के स्मारकों के पुनरूद्धार एवं मरम्मत के लिए 5.00 करोड़ रुपये की धनराशि बजट घोषणा के रूप में उपलब्ध करवाई गई हैं जिससे इन प्राचीन स्मारकों के मरम्मत का कार्य करवाया जावेगा।

(2) राज्य के पारम्परिक लोक कलाकारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से बीमा योजना लागू करने की घोषणा इस वर्ष बजट में की गई है इसके लिए बीमा की वास्तविक प्रिमियम राशि का 90 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी तथा शेष 10 प्रतिशत धनराशि कलाकारों द्वारा वहन की जावेगी।

(3) राजस्थान राज्य अभिलेखागार विभाग, बीकानेर एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी-फारसी शोध संस्थान, टोंक में म्युजियम स्थापित करने के लिए क्रमश: 5.65 करोड़ व 5.50 करोड़ रुपये की राशि राज्य बजट से उपलब्ध करवाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। पूर्व में भारत सरकार के माध्यम से इन दोनों स्थानों पर म्युजियम का निर्माण होना था। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाने के कारण इसे बजट घोषणा वर्ष 2009-10 की क्रियान्विती राज्य सरकार के स्तर से किए जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(4) भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा गुरूदेव रविन्द्र नाथ टैगोर की 150वीं जयन्ती के अवसर पर एक नई योजना "टैगोर कल्चरल काम्पलेक्स स्कीम" लागू की हैं। इस योजना के अन्तर्गत विघमान रविन्द्र मंच/भवनों का जीर्णोद्वार एवं आधुनीकरण का कार्य करवाया जा सकेगा। इस योजना में भारत सरकार द्वारा कुल परियोजना लागत का 60 प्रतिशत तथा शेष 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा। राज्य के जयपुर स्थित रविन्द्र मंच के जीर्णोद्वार एवं आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार की ओर से 14.23 करोड़ रुपये की लागत का एक परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाया गया हैं। इस सम्बन्ध में नेशनल एप्राईजल कमेटी ने परियोजना प्रतिवेदन पर सैद्धान्तिक सहमति देते हुए 5.00 लाख रुपये का अनुदान विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाने हेतु स्वीकृत किया है। इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

इसी प्रकार राज्य की कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील है। निजी क्षेत्र के साथ भी पूर्ण समन्वय कर राज्य की कला एवं संस्कृति के अधीन प्रयास राज्य सरकार के स्तर से निरन्तर जारी है। राज्य के पर्यटन विभाग के माध्यम से भी कला एवं संस्कृति के विकास हेतु राज्य में 21 तीन दिवसीय पर्यटन मेलों का राज्य के विभिन्न स्थानों पर राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। इसके अलावा पर्यटन विभाग के माध्यम से राज्य के प्राचीन स्मारकों के संरक्षण एवं रखरखाव हेतु भी प्रयास किये जा रहे हैं। आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण के माध्यम से जयपुर स्थित प्राचीन स्मारकों के रखरखाव एवं संवर्धन की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। अंत में मैं सदन को आश्वस्त करना चाहती हूं कि राज्य की कला एवं संस्कृति के विकास में सरकार भरसक प्रत्यनशील है तथा इस दिशा में निरन्तर अग्रसर है।

परिशिष्ट-3C

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा) का अनुदान की मांग संख्या-24 (शिक्षा, कला एवं संस्कृति) के सम्बन्ध में सदन पटल पर रखा गया उत्तर

माननीय अध्यक्ष महोदय,

उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान में सामान्य शिक्षा के महाविद्यालयों का प्रबंधन करता हैं। आजादी के समय राज्य में मात्र 7 सामान्य शिक्षा के महाविद्यालय थे परन्तु छः दशकों के बाद उच्च शिक्षा में तीव्र गति से हुये प्रसार के फलस्वरूप आज प्रदेश में सामान्य शिक्षा के कुल 1422 महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें 142 महाविद्यालय राजकीय क्षेत्र में हैं। इन महाविद्यालयों के अतिरिक्त राजकीय क्षेत्र में 15 विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र में 28 विश्वविद्यालय तथा 8 विश्वविद्यालयवत् संस्थायें राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। इन शिक्षण संस्थाओं में लगभग 12 लाख नियमित एवं स्वयंपाठी विद्यार्थी नामांकित हैं।

राज्य के 142 राजकीय महाविद्यालयों में 56 पी.जी. संवर्ग के, 71 महाविद्यालय यू.जी. संवर्ग के एवं 15 विधि महाविद्यालय हैं जिनमें लगभग 2.75 लाख विद्यार्थी नियमित पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् हैं। पिछले तीन वर्षो में महाविद्यालयों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुयी हैं एवं 1198 निजी महाविद्यालयों में से 536 इन तीन वर्षों में नये खोले गये हैं। यू.जी.सी. के डाटा के अनुसार राज्य का ग्रोस एन्रॉलमेंट रेश्यो 9.8 है, जो कि राष्ट्रीय औसत (12.3) की तुलना में अभी भी काफी कम है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार अभी भी राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी काफी कम है एवं इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के द्वारा पिछले तीन वर्षों में 12 नये विश्वविद्यालयों को खोलने की स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं 35 निजी विश्वविद्यालयों को एल.ओ.आई (L.O.I.) जारी किया गया है। आगामी वर्षों में मैं आशा करता हूं कि ये विश्वविद्यालय भी अस्तित्व में आ जायेंगे।

महिला शिक्षा बाबत् राज्य सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। जैसा कि आपको विदित है, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं से कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता हैं। राज्य में 2009-10 में जहां प्रति 100 छात्रों पर 68 छात्रायें उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् थीं वहीं सत्र 2011-12 में यह संख्या बढ़कर 80 हो गयी है जो अब तक का अधिकतम अनुपात है। समस्त वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के

लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्ग एवं विशेष पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश में क्रमशः 16, 12, 21 एवं एक प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है तथा इन वर्गों के विद्यार्थी शिक्षण शुल्क से मुक्त हैं । महाविद्यालय स्तर पर लिये जाने वाले स्थानीय शुल्क में भी इन्हें 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है । राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिये देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना एवं प्रोत्साहन राशि योजना 2011-12 से प्रारम्भ की गई है एवं इस योजना के अन्तर्गत 500 छात्राओं को स्कूटी वितरित कर दी गई है । विद्यार्थियों के लिये नीड कम मेरिट छात्रवृतियों के अतिरिक्त उर्दू विषय में अध्ययनरत स्नातक स्तर की छात्राओं एवं स्नातकोत्तर स्तर पर छात्र एवं छात्राओं को उर्दू छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के सैक्शन 2 (एफ) एवं 12 (बी) के अन्तर्गत राज्य के 95 राजकीय महाविद्यालय पंजीकृत हैं। जिन्हें यू.जी.सी. से 11वीं पंचवर्षीय योजना में 41 करोड़ रु. की राशि अनुदान स्वरूप प्राप्त हो चुकी है । जिनका उपयोग महाविद्यालय स्तर पर विभिन्न विकास कार्यों हेतु किया जा रहा है। राज्य के 96 महाविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (नैक), बैंगलोर द्वारा प्रत्यायित किए गए थे। श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय, सीकर ने सत्र 2011-12 में नैक द्वारा किए गए मूल्यांकन में सर्वोत्तम ''ए'' ग्रेड प्राप्त की है ।

राजकीय महाविद्यालयों में वर्ष 2011-12 में 291 नये संवर्ग आबंटित कर कुल 22750 विद्यार्थियों को विभिन्न महाविद्यालयों में नामांकित किया गया है। राजस्थान स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम, 2010 के द्वारा विभिन्न अनुदानित महाविद्यालयों के 741 शैक्षणिक कार्मिकों एवं 733 अशैक्षणिक कार्मिकों का समायोजन राज्य सेवा में किया गया है । राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से 457 व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे, जिनमें से 210 को नियुक्ति आदेश प्रदान कर विभिन्न महाविद्यालयों में पदस्थापित किया गया है ।

उच्च शिक्षा को ई-गवर्नेस एवं कम्प्यूटराइजेशन से जोडने हेतु इस वर्ष नये प्रयास किये गये हैं जिसके अन्तर्गत प्रत्येक महाविद्यालय को स्वयं की वेबसाइट बनाने हेतु निर्देशित किया गया है । विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिये आकाश टैबलेट उपलब्ध कराने की योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। इससे लगभग 2.50 लाख विद्यार्थियों

को 1136/- रुपये में यह टैबलेट उपलब्ध हो सकेगा । नेशनल मिशन आन एज्यूकेशन थ्रू इन्फोर्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टैक्नोलोजी (एन.एम.आई.सी.टी.) योजना के तहत सम्पूर्ण उच्च शिक्षण संस्थाओं को 10 लाईनों के असीमित डाउन लोड क्षमता के ब्राडबैण्ड कनेक्शन मात्र 125/- रु. प्रति कनेक्शन की दर से उपलब्ध कराये गये हैं एवं इस हेतु 1 करोड़ रु. विभाग द्वारा राजकीय महाविद्यालयों को आबंटित किये गये हैं।

अमेरिकन एम्बेसी के सहयोग से विद्यार्थियों के संवाद दक्षता को बढ़ावा देने हेतु इंग्लिश लैंग्वेज फैलो कार्यक्रम के तहत आगामी सत्र 2012-13 में 5 महीने का कोर्स चलाया जायेगा एवं दिनांक 21-24 मार्च, 2012 को कनोडिया महिला महाविद्यालय में इस हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया जा चुका है । विद्यार्थियों के कैम्पस इन्टरव्यू के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु प्रत्येक महाविद्यालय में एक प्लेसमेंट सैल का भी गठन किया गया है जो युवा विकास केन्द्र के माध्यम से संचालित होगी एवं इसी वर्ष निजी क्षेत्र की कम्पनी AMCAT के द्वारा 48 महाविद्यालयों से एम.ओ.यू साईन किया गया है। यह कम्पनी विद्यार्थियों के नि:शुल्क स्क्रीनिंग कर विभिन्न कम्पनियों में इनका प्लेसमेंट सुनिश्चित करेगी।

राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन की सहायता से वर्तमान में 15 महाविद्यालय विद्यार्थियों के लिये रोजगारोन्मुखी कौशल सम्बन्धी पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं एवं इस वर्ष हम 50 महाविद्यालयों में यह कार्यक्रम शुरू करने का प्रयास करेंगे ।

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की अनुपालना में महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान एवं तम्बाकू उत्पादों का उपयोग एवं इनका विक्रय निषेध किया गया है एवं सभी महाविद्यालयों को कैन्टीन में जंक फूड के विक्रय को हतोत्साहित करने एवं स्वास्थ्यवर्धक सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित करने के भी निर्देश प्रदान किये गये हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अत्यन्त महत्वकांक्षी घोषणाएं इस बजट में की गई हैं एवं इसी परिप्रेक्ष्य में अलवर में मत्स्य विश्वविद्यालय, भरतपुर में बृज विश्वविद्यालय तथा सीकर में शेखावटी विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है इसके अतिरिक्त जयपुर में पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है । उदयपुर में राजीव गांधी

ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है एवं जोधपुर में सरदार पटेल पुलिस एवं सुरक्षा विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । राज्य के समस्त 142 राजकीय महाविद्यालयों में आगामी तीन वर्षों में लैंग्वेज लैब एवं पुस्तकालयों का कम्प्यूटराइजेशन करने हेतु 20-20 लाख रुपये प्रति महाविद्यालय दिये जाने का निर्णय लिया गया है ।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रमों को उच्च शिक्षा में आमेलित करने का निर्णय लिया है एवं उन्होंने 2012-13 में ग्रामीण क्षेत्रों के 5 राजकीय महाविद्यालयों में बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की भी घोषणा की है । इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु इस वर्ष में 10 स्नातक महाविद्यालयों एवं 5 स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में नये विषय प्रारम्भ करने एवं 5 स्नातक महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने राजकीय महाविद्यालयों के भवनों की मरम्मत, पुनर्निर्माण एवं रखरखाव हेतु 6 करोड़ रु. की राशि एवं विज्ञान प्रयोगशालाओं में आवश्यक उपकरण क्रय करने हेतु 4 करोड़ रु. की राशि आबंटित की है । इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह भी घोषणा की है कि ऐसे तहसील मुख्यालय जहां महाविद्यालय तो स्थापित हैं किन्तु जनसंख्या के आधार पर एवं मांग को दृष्टिगत रखते हुए यदि अतिरिक्त महाविद्यालय स्थापित करना उचित होता है तो वहां महाविद्यालय स्थापित करने हेतु जनसहभागिता के माध्यम से एक करोड़ रुपये प्रति महाविद्यालय देने की घोषणा की है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गणमान्य सदस्यों ने कटौती प्रस्तावों के माध्यम से जिन समस्याओं से मुझे अवगत कराया है इसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि विभाग आपके समस्त प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करेगा एवं प्रत्येक गणमान्य सदस्यों की भावना का ध्यान रखा जायेगा। माननीय सदस्यों द्वारा दिये कटौती प्रस्ताव के जवाब शीघ्र ही प्रेषित कर दिये जायेंगे।

परिशिष्ट-3D

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, तकनीकी एवं अभियांत्रिकी शिक्षा) का अनुदान की मांग संख्या 24 (शिक्षा, कला एवं संस्कृति) के सम्बन्ध में सदन पटल पर रखा गया उत्तर

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्थान मे तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गत 2-3 वर्षो में उल्लेखनीय प्रगति हुई है तथा 400 नये तकनीकी शिक्षण संस्थान स्थापित हुए हैं। इन संस्थानों की स्थापना से प्रदेश में एक लाख से अधिक प्रवेश स्थानों की वृद्धि हुई है तथा वर्तमान में तकनीकी पाठ्यक्रमों की कुल प्रवेश क्षमता 2 लाख से अधिक हो गई है। विभाग 3 वर्षों में राजस्थान में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 1500 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।

राज्य में तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत सत्र 2011-2012 में कुल 127 अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 177 पालिटेक्निक महाविद्यालय, 129 एम.बी.ए. संस्थान, 40 एम.सी.ए. संस्थान तथा 834 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत हैं, जिनमें कुल प्रवेश क्षमता लगभग दो लाख विद्यार्थी प्रतिवर्ष से अधिक है।

इस तरह से राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में राष्टीय औसत 128.5 (प्रति लाख जनसंख्या प्रवेश स्थानों की संख्या) को पार करते हुए राज्य में यह औसत 163.5 पहुंच गया है। इसी प्रकार पालिटेक्निक महाविद्यालयों में राष्ट्रीय औसत 62.26 के सापेक्ष में राज्य का औसत 68.67 हो गया है। अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में राष्ट्रीय औसत 122.80 है जिसके सापेक्ष में राज्य का औसत 79.00 है।

हमारा प्रयास है कि राज्य सरकार द्वारा निजी जन सहभागिता एवं निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करते हुये प्रत्येक जिले में न्यूनतम एक पालिटेक्निक, एक इंजीनियरिंग कालेज एवं प्रत्येक पंचायत समिति में एक आई.टी.आई. की सुविधा उपलब्ध हो सके।

राज्य में Lagging Area Policy के अन्तर्गत राज्य में 27 पालिटेक्निक महाविद्यालय तथा 13 अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत राज्य में 15 ऐसे जिले चिन्हित किये गये जहां पर की राजकीय पालिटेक्निक महाविद्यालय की सुविधा नहीं थी, इन स्थानों पर राजकीय पालिटेक्निक महाविद्यालय स्थापित

किये जा रहे है, जिससे कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक राजकीय पालिटेक्निक महाविद्यालय भी उपलब्ध हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय उपर्युक्त के अतिरिक्त मैं वर्तमान सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल में तकनीकी शिक्षा विभाग की मुख्य उपलब्धियां की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा :-

भारत सरकार द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान यथा : आई.आई.टी., आई.आई.एम. स्थापित किये गये हैं। आई.आई.टी. राजस्थान के लिए जोधपुर शहर के पास स्थित कडवड, झिपासनी तथा घडाव गांव में लगभग 900 एकड़ भूमि चिन्हित की जाकर भूमि अवाप्ति की जा चुकी है तथा जुलाई, 2010 से जोधपुर स्थित एम.बी.एम. अभियांत्रिकी महाविद्यालय परिसर में अस्थाई कैम्पस में कक्षाएं प्रारम्भ की जा चुकी हैं।

आई.आई.एम. के लिए उदयपुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर बलीचा ग्राम में स्थल का चयन किया जा चुका है, जिसकी भूमि आबंटन की जा चुकी है। आई.आई.एम. हेतु सोसायटी पंजीकृत करवायी जा चुकी है। आई.आई.एम. का भवन निर्मित होने तक शैक्षणिक सत्र 2011-12 से विद्यार्थियों को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अस्थाई कैम्पस के रूप में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पालिमर साइन्स हेतु नवनिर्मित भवन को उपयोग में लेते हुए प्रवेशित किया जा चुका है।

राज्य में पीपीपी मोड के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की सहायता से कोटा में एक IIIT की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा IIIT की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि एवं 45 करोड़ रुपये का अंशदान उपलब्ध करवाया जायेगा, जिसकी सैद्धान्तिक सहमति केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

केन्द्र सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना (TEQIP) के अन्तर्गत राज्य के 06 अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को केन्द्र सरकार द्वारा सम्मिलित किये जाने हेतु चयनित किया गया है तथा इसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार से परियोजना अवधि चार वर्षों में कुल लगभग 50 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे तथा योजना के प्रावधानानुसार इसमें राज्य सरकार द्वारा भी लगभग 12.00 करोड़ रुपये का अंशदान दिया जायेगा। केन्द्र सरकार से राज्य को केन्द्रीय अंशदान की राशि प्राप्त हो चुकी है।

तकनीकी शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र बांसवाड़ा में जनजाति क्षेत्रीय

विकास विभाग के सहयोग से एक राजकीय अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा भवन निर्माण के लिए राशि रुपये 8.50 करोड़ का प्रावधान किया जा चुका है तथा भवन निर्माण का कार्य आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा किया जा रहा है जो कि प्रगति पर है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमति सत्र 2011-2012 में प्राप्त नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को सत्र 2012-13 में ही प्रवेशित किया जा सकेगा।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत राज्य के कुल 15 पालिटेक्निक महाविद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं, जिनमें से 5 सहशिक्षा पालिटेक्निक कालेज डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जैसलमेर, धौलपुर एवं बारां में सत्र 2010-2011 से ही स्थापित किये जा चुके हैं तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से इन शेष 10 महाविद्यालयों में से 05 के लिए अनुमति प्राप्त हो जाने पर विद्यार्थियों को इसी सत्र 2011-2012 से प्रवेशित किया जा चुका है एवं एक महिला पालिटेक्निक महाविद्यालय सम्भाग भरतपुर मुख्यालय पर भी सत्र 2010-2011 से प्रारम्भ किया जा चुका है। इन सभी पालिटेक्निक महाविद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

जिन क्षेत्रों में विशेष पिछड़े वर्ग के लोगों का बाहुल्य है, वहां देवनारायण योजनान्तर्गत 6 नये आई.टी.आई. स्थापित किये जा चुके हैं, जिनके भवन निर्माण भी पूर्ण हो चुके हैं तथा सत्र 2011-12 से इन नव निर्मित भवनों में ही इस वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेशित किया जा चुका है।

राज्य में प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए किये जा रहे प्रयासों के क्रम में गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 06 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जा चुके हैं, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के लिए एक आई.टी.आई. एवं 02 पालीटेक्निक महाविद्यालय तथा जनजाति क्षेत्र के लिए एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं।

अन्त में मैं, अध्यक्ष महोदय एवं पूरे सदन को मांग संख्या-24 पर तकनीकी शिक्षा से सम्बन्धित प्रस्तावों पर चर्चा के लिए एवं आप सभी के सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

परिशिष्ट-3E

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य, मंत्री खेल) का अनुदान की मांग संख्या 24 (शिक्षा, कला एवं संस्कृति) के सम्बन्ध में सदन पटल पर रखा गया उत्तर

माननीय अध्यक्ष महोदय, युवा मामले एवं खेल विभाग, राज्य में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, खेल वातावरण तैयार करने, आधारभूत खेल सुविधाएं विकसित करने, युवाओं में राष्ट्रीय एकता, शान्ति, सद्भाव तथा युवाओं के चारित्रिक विकास के लिए सतत् प्रयत्नशील है।

स्टेडियम निर्माण एवं विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में 713.60 लाख रुपये की राशि स्टेडियमों के निर्माण कार्य करवाने के लिए जारी की गई।

जोधपुर में फुटबाल अकादमी हेतु उपयुक्त राशि स्वीकृत कर इसका निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण कार्य जोधपुर द्वारा किया जा रहा है।

भरतपुर में कुश्ती को बढ़ावा देने हेतु खेल संकुल का निर्माण एवं पीपीपी मोड पर झुंझुनूं में Physical Education and Sports University की स्थापना किए जाने का कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही जिला जोधपुर में भारत सरकार की USIS योजना के तहत एक बहुउद्देशीय इण्डोर हाल का निर्माण कराया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 में 211.81 लाख रुपये की राशि विभिन्न खेलकूद स्पर्धाओं में पदक प्राप्त खिलाड़ियों को अनुदान के रूप में वितरण की है।

पैरालिम्पिक खिलाड़ियों को सामान्य खिलाड़ियों (able bodied) के समकक्ष मानकर उनके अनुरूप अनुदान राशि दिये जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इसी के क्रम में पैरालिम्पिक खिलाडियों श्री जगसीर सिंह एवं श्री संदीप सिंह मान को पुरस्कार राशि प्रदान की गई एवं राज्य स्तरीय समारोह गणतंत्र दिवस 2012 के अवसर पर सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ वर्षों पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) चलाया जा रहा है, जिसके चार मुख्य घटक हैं:-

1. एकमुश्त पूंजीगत अनुदान
2. वार्षिक अधिग्रहण अनुदान
3. वार्षिक प्रचलानात्मक अनुदान

4. वार्षिक प्रतियोगिता अनुदान

इस योजना के प्रथम चरण में पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान योजना के अन्तर्गत 869 ग्राम पंचायतों व 24 ब्लाक पंचायतों को चिन्हित कर आधारभूत खेल संरचना मैदानों का विकास कार्य जिला परिषद् व ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया गया है।

अब भारत सरकार द्वारा इस योजना के द्वितीय चरण में 917 ग्राम एवं 25 ब्लाक पंचायतों हेतु रुपये 7.81 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे इस वित्तीय वर्ष में कार्य कराएं जाएंगे।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत आभारी हूं। जिन्होंने इस वर्ष की बजट घोषणाओं में खेलों को उच्च प्राथमिकता दी जाकर कई ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं। जहां एक ओर अन्तरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय स्पर्धाओं में विजेता खिलाड़ियों को देय पुरस्कार राशियों में 10 गुणा वृद्धि की गई है। वही दूसरी ओर खिलाड़ियों के दैनिक भत्तों में दुगनी वृद्धि की जाकर खिलाड़ियों का मनोबल अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया है।

राज्य के इतिहास में पहली बार 8 जिलों में खेल संकुलों के निर्माण हेतु 16.00 करोड़ रु. तथा निर्मित स्टेडियमों के संधारण हेतु 2.50 करोड़ रुपये का प्रावधान कर खेलों हेतु आधारभूत ढांचा संरचित किये जाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। एक अनूठी पहल के रूप में जनप्रतिनिधियों को खेलों के विकास से जोड़ते हुए सरकार द्वारा मैचिंग ग्राण्ट की व्यवस्था की गई है।

जैसेलमेर में बास्केटबाल अकादमी, करौली में कबड्डी अकादमी, कोटा में नौकायन अकादमी के साथ-साथ उदयपुर में जनजाति खेल अकादमी बनाये जाने से हमारे इस वृहद राज्य के कोने-कोने में खेलों के विकास एवं खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास को मजबूती मिलेगी।

अन्त में निष्कर्ष रूप में मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को सहृदय धन्यवाद देने के साथ-साथ माननीय सदन को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि आधारभूत संरचना के विकास, प्रशिक्षण हेतु उच्च स्तरीय सुविधाओं के विकास एवं खिलाडियों को देय पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी के साथ-साथ युवाओं को सरकार की कार्यशैली से जोड़ने के चहुंमुखी प्रयासों से राज्य के युवाओं में अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार होगा। इससे राज्य के युवा एक अच्छे नागरिक बनने के साथ-साथ राज्य के सर्वांगीण विकास में भी अपना भरपूर योगदान देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।